खण्ड-404, अंक-3
बुधवार, 21 फाल्गुन, शक संवत् 1913
(11 मार्च, 1992 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 404 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय			पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	..	ग–ङ
प्रश्नोत्तर	..	..	1-105
नियम 301 की सूचनायें	..	..	105-106
जनपद देवरिया के अनुसूचित जाति के 36 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना			106
जनपद आगरा में भीषण पेयजल समस्या के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	107
बरेली महानगर में मेन व ब्रांच सीवर की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	107
लोक निर्माण विभाग में की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	..	107-108
जनपद बरेली की केसर शुगर मिल बहेड़ी द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना		..	108
पर्वतीय जनपदों में जिला उद्योग अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..			108
नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की सूचनाएं		..	108
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	..	108
जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ना विभाग द्वारा गन्ना आपूर्ति किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना	..	..	109
व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास	..	..	110
यू० पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1984-85 .. (सदन के पटल पर रखा गया)			110
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (बारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1984-85 ..... (सदन के पटल पर रखा गया)			110
उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (तेरहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1985-86 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	..	..	110

विषय	पृष्ठ-संख्या
यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87..... (सदन के पटल पर रखा गया)	111
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र वर्ष 1987-88 .....(सदन के पटल पर रखा गया)	111
वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 जुलाई, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति.....(सदन के पटल पर रखी गयी) ..	111
अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के विषय को लेकर अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल के संबंध में न्याय मंत्री का वक्तव्य ..	111-113
कार्य-स्थगन प्रस्तावो की सूचनाएं	113-116
जनपद मऊ के थाना मधुबन के अन्तर्गत आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक के निर्माण संबंधी संकल्प पर चर्चा का स्थगन ..	116
उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्धसरकारी एवं वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माना जाये के संबंध में संकल्प पर चर्चा का स्थगन	117
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	117
उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों की आयु सीमा में छूट न दिये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	117-118
जनपद देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों के सृजन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत मा० राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य....	118-119
जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का रुपया फर्जी रूप से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य ..	119-120
जनपद आगरा के फतेहाबाद में बाईपास निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर न दिये जाने के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा का व्यपगत होना....	120
नत्थियां	121-139

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अंगद सिंह यादव, श्री	आजमगढ़	ओम प्रकाश, श्री	फतेहपुर
अखिलेश, श्री	महराजगंज	कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर
अजय प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा	कटार सिंह, श्री	मेरठ
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	कप्तान सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
अनिल कुमार तिवारी, श्री	फैजाबाद	कमलेश कुमार, श्री	गोण्डा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़
अब्दुल ए० सलाम, श्री	आजमगढ़	कासिम हसन सैय्यद, श्री	फतेहपुर
अभिमन्यु सिंह, श्री	फतेहपुर	किशोरी लाल, श्री	जौनपुर
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	कुंवर रेवती रमण सिंह,	इलाहाबाद
अरविन्द प्रताप सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	कृष्ण किंकर सिंह, श्री	बस्ती
अरिदमन सिंह, श्री	आगरा	कृष्ण कुमार, श्री	फतेहपुर
अर्जुन सिंह, श्री	सुल्तानपुर	कृष्ण वीर सिंह, श्री	बदायूं
अवध पाल सिंह, श्री	एटा	केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	खालिद गौरी, श्री	हरदोई
इजहार आलम खां, श्री	फर्रुखाबाद	गंगा भक्त सिंह, श्री	हरदोई
इन्द्रपाल सिंह, श्री	इटावा	गिरधारी, श्री	गाजीपुर
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	गोपी नाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	घनश्याम शुक्ल, श्री	गोण्डा
उमाकान्त यादव, श्री	जौनपुर	घुरहू, श्री	बलिया
उमानाथ, श्री	जौनपुर	चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
ऊदल, श्री	वाराणसी	छत्रपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
ओंकार सिंह, श्री	एटा	छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
ओमकार सिंह, श्री	बदायूं	जागेश्वर प्रसाद, श्री	फतेहपुर
ओम प्रकाश, श्री	गाजीपुर	जैदान सिंह यादव, श्री	फिरोजाबाद
		ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती	वाराणसी

ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
ठाकुर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री	इलाहाबाद
दीना नाथ सिंह यादव, श्री	वाराणसी
दुलारे लाल, श्री	मिर्जापुर
देवेन्द्र पाल सिंह, श्री	शाहजहांपुर
देवेन्द्र सिंह, श्री	कानपुर देहात
धर्मपाल यादव, श्री	बुलन्दशहर
नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री	बुलन्दशहर
नवाब सिंह, श्री	मथुरा
नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
पतिराज, श्री	आजमगढ़
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्यारे लाल संखवार, श्री	कानपुर देहात
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
फतेह बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
फागू, श्री	मऊ
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबूराम यादव, श्री	मैनपुरी
बालचन्द्र मिश्र, श्री	कानपुर नगर
बृजभान यादव, डा०	इलाहाबाद
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भागीरथी, श्री	इलाहाबाद
भारत सिंह रावत, श्री	गढ़वाल
भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
मदन भैया, श्री	मेरठ
मन्नू लाल कुरील, श्री	बांदा
मस्तराम, श्री	उन्नाव
महक सिंह, श्री	मेरठ
महेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	इलाहाबाद
महेन्द्र सिंह भाटी, श्री	गाजियाबाद
मायाशंकर पाठक, श्री	वाराणसी
मारकण्डेय, श्री	बलिया
मारकण्डेय चन्द, श्री	गोरखपुर
मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुकीम, श्री	सिद्धार्थनगर
मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़
रवीन्द्र शुक्ल, श्री	झांसी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजीव कुमार, श्री	नैनीताल
राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राम खिलाड़ी, श्री	बदायूं
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रसाद सिंह, श्री	बांदा
राम मूर्ति सिंह, श्री	शाहजहांपुर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम ललित चौधरी, श्री	बस्ती
राम सरन वर्मा, श्री	पीलीभीत
राम सरन सिंह, श्री	अलीगढ़
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर देहात

रामेश्वर दयाल बाल्मीकि, श्री	मैनपुरी	शिवेन्द्र सिंह, श्री	महराजगंज
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली	श्याद देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
लक्ष्मेश्वर सिंह, श्री	बस्ती	श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
लालचन्द, श्री	जौनपुर	श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
लालचन्द निषाद, श्री	गोरखपुर	श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
लालचन्द्र पाण्डेय, श्री	वाराणसी	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
लालजी वर्मा, श्री	फैजाबाद	सुखवीर सिंह गहलौत, श्री	गाजियाबाद
लीला राम शर्मा, श्री	पिथौरागढ़	सुधीर, श्री	बलिया
विक्रमाजीत मौर्य एडवोकेट, श्री	इलाहाबाद	सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
विक्रमाजीत पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र नाथ, श्री	बाराबंकी
विजय कुमार त्रिपाठी, श्री	लखनऊ	सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय पाल सिंह, श्री	आगरा	सुल्तान रजा मिर्जा, श्री	जौनपुर
विजय पाल सिंह तोमर, श्री	मेरठ	सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद	स्वामी नाथ यादव, श्री	देवरिया
विश्वनाथ, श्री	देवरिया	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरवंश कपूर, श्री	देहरादून
वीरेन्द्र सिंह ठाकुर, श्री	सहारनपुर	हरी चरन यादव, श्री	सुल्तानपुर
वेद प्रकाश, श्री	बस्ती	हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया
श्याद अली, श्री	प्रतापगढ़	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर	हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शिव प्रताप शुक्ल, श्री	गोरखपुर	हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

सत्यमेव जयते

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1992

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 2 मिनट पर दिन में उपाध्यक्ष श्री राम आसरे वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

(कोरम के अभाव में सदन की बैठक 2 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न †

श्री उपाध्यक्ष–

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)

विभिन्न प्रदेशों में एक समान विद्युत दर लागू करने के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये निर्देश की जानकारी

**1–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि विभिन्न प्रदेशों में एक समान विद्युत दर लागू किये जाने के संबंध में केन्द्र सरकार से कोई दिशा निर्देश या सुझाव प्रदेश सरकार को प्राप्त हुए हैं? क्या केन्द्र सरकार ने कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को अनदेखा कर, कृषि क्षेत्र को, उत्पादन लागत दर पर ही विद्युत दिये जाने की अपेक्षा राज्य सरकारों से की है? प्रदेश सरकार ने इन सुझावों के परिप्रेक्ष्य में क्या निर्णय लिये हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मंत्री जी ने कहा कि बिजली की विभिन्न दरें हैं जिनके संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि दरें समान हों। गांवों में कहते हैं कि 18 घंटे बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करायेंगे लेकिन वहां कई-कई दिनों तक बिजली नहीं जाती है, इसलिये उसके लिये अलग दर निर्धारण करने की जरूरत नहीं है, क्या इस पर विचार करेंगे?

मैं जानना चाहता हूं कि जितनी अवधि के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति की जाये उतने का ही किसानों से पैसा लिया जाये, ऐसी योजना क्या विचाराधीन है?

---

† टिप्पणी–मा० सदस्यों के विशेष रुचि प्रदर्शित करने पर श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अल्पसूचित तारांकित प्रश्नों को नत्थी "ग" के तारांकित प्रश्न संख्या–11 के बाद लिया गया था।

श्री रविकांत गर्ग--

माननीय सदस्य की जिज्ञासा और कथन के अनुरूप किसानों से सबसे कम विद्युत की दरें वसूल की जाती हैं। विद्युत आपूर्ति को दृष्टिगत रखते हुए उनसे एक निर्धारित शुल्क ही केवल लिया जाता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप -

मान्यवर, जितनी देर तक घोषणा होती है उतने समय तक विद्युत आपूर्ति आप नहीं कराते हैं, तो क्या बिजली न मिलने से जो क्षति किसानों को होती है उसके संबंध में क्या सरकार मुआवजा किसानों को प्रदान करने संबंधी योजना पर विचार करेगी ?

श्री रविकान्त गर्ग–

सरकार के द्वारा पूर्व में ही कृषि को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये रियायती मूल्यों पर विद्युत की आपूर्ति की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति को सुनिश्चित कराने के लिये पूर्ण व्यवस्था सरकार द्वारा की गयी है। अतः इस संबंध में प्रश्न नहीं उठता।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा डा० दिनेश जौहरी को पुकारे जाने के मध्य श्री रवीन्द्र प्रताप के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने डा० दिनेश जौहरी को बुला लिया है।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो खेती या कृषि उत्पादन का बिजली मूल्य है उससे कम मूल्य पर बिजली दिये जाने के संबंध में माननीय मंत्री जी का कोई स्पष्ट उत्तर नहीं आया है। क्या माननीय मंत्री जी फिर से पुनः विचार करके किसानों को बिजली उनकी लागत मूल्य के अनुसार ही उपलब्ध करायेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में अनुरोध किया कि ग्रामीण क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए और कृषि को बढ़ावा देने के लिये ही रियायती मूल्य निर्धारित किये गये हैं। अतः इस संबंध में पुनःविचार कोई विचाराधीन नहीं है।

एक सदस्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से.....

श्री उपाध्यक्ष–

आप नाम भी बता दें।

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जिस प्रकार किसानों का अनुबन्ध होता है कि इतने हार्स पावर के लिये इतना मूल्य देना होगा तो क्या उसी प्रकार सरकार की तरफ से भी कोई अनुबन्ध है कि हम इतने घण्टे बिजली सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, मैंने पूर्व में ही अवगत कराया कि ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये व्यवस्था की गयी है और जो निर्धारित हमारा आपूर्ति का लक्ष्य है उसको निरन्तर पूरा किया जा रहा है। उसका सतत् अनुश्रवण किया जा रहा है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, बिजली विभाग की आय बढ़ाने की गरज से ही माननीय मंत्री जी जो कृषि कार्य में बिजली इस्तेमाल होती है उसके कनेक्शन कटवा करके बिजली विभाग की आमदनी बढ़ाने के प्रयास से कटौती करते हैं। कनेक्शन कटवाते हैं। श्रीमन्, भीरा में एक क्रेशर मिल मालिक का बिजली का बिल साढ़े तीन लाख रुपये से भी अधिक था। उसे अदा न करवा करके उसका कनेक्शन काट दिया गया और बाद में फिर बिना बिल लिये हुए पुनः कनेक्शन जुड़वा दिया है। तो आपका लक्ष्य क्या है। आप उस बिल को छोड़ देना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय निर्वेन्द्र जी आपने जो प्रश्न किया है कृपया फिर से उसे स्पष्ट कर दें।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, किसानों को खेती के लिये जो बिजली के कनेक्शन दिये जाते हैं उससे खूब आमदनी होती है। अभी भीरा में एक थ्रेसर मिल मालिक का बिजली का बिल साढ़े तीन लाख रुपये था। उसने वह जमा नहीं किया था और उसका कनेक्शन काट दिया गया। फिर वहां के कर्मचारियों ने बिना बिल अदा हुए उसे जोड़ दिया। तो मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह साढ़े तीन लाख रुपये क्या ऐसे ही छोड़ दिये जायेंगे। क्या मंत्री जी इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहते हैं?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न कनेक्शन के सिलसिले में है। जबकि मूल प्रश्न दर के सिलसिले में है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

यह मेरी गुस्ताखी है, लेकिन यह बिजली विभाग के हित में था।

श्री उपाध्यक्ष–

अगर माननीय मंत्री जी गुस्ताखी की सजा देना चाहते हैं तो दे दें।

श्री रविकान्त गर्ग–

मेरी जानकारी में ऐसा प्रकरण नहीं है। अगर माननीय सदस्य जानकारी में लायेंगे तो कार्यवाही अवश्य करेंगे।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

बिजली का बिल अदा कर लें कार्यवाही भले न करें।

श्री रामसेवक–

मान्यवर, किसानों के उंपयोग में जितनी बिजली खर्चा होती है मैं ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं क्या उतना पैसा किसानों से लेने का कष्ट करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

आप उससे कम लेने की बात कर रहे हैं तो उससे कम तो हम ले ही रहे हैं।

श्री नन्दराम–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा जो लागत मूल्य है, मान्यवर, काश्तकारों की जो कटौती होती है तो क्या कटौती के हिसाब से बिजली देने की कृपा करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैंने अवगत कराया कि बहुत कम दर पर विद्युत की आपूर्ति ग्रामीण क्षेत्रों में कर रहे हैं। केन्द्र सरकार के द्वारा शासन को जो पत्र सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को प्रेषित किये गये हैं, उसके अनुसार उन्होंने निर्देश दिये हैं और एक आशा की है कि सामान्य दर लागू की जाये उनके अनुसार कम से कम 50 पैसा यूनिट वसूल किया जाना चाहिए जो वर्तमान में विद्युत की दरें नलकूप की वसूल कर रहे हैं उसमें प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक हार्स पावर 30 रुपये चार्ज कर रहे हैं उसको घंटे की आपूर्ति के हिसाब से अगर जोड़ा जाए तो मैं समझता हूं कि औसत विद्युत का प्रयोग आठ घंटे का है उसके अनुसार 16 पैसा यूनिट का वसूल किया जाता है तो हम तो जो केन्द्र सरकार ने दिया है, जो केन्द्र सरकार के निर्देश हैं उससे कम मूल्य पर ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिये प्रदेश में उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रदेश में कम मूल्य पर विद्युत आपूर्ति कर रहे हैं।

श्री किशोरी श्याम–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि लागत मूल्य का जिक्र किया गया है बिजली की दरें बिजली विभाग लेता है तीन पानी के बाद चौथा पानी नहीं दिया जाता है। किसानों को एक छटांक माल नहीं मिलता है तो ऐसी परिस्थिति में मेरा निवेदन है कि जो बिजली के बिल हैं उनको माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री किशन लाल दिलेर–

मान्यवर, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं, जैसा कि उन्होंने कहा कि गांवों में बिजली देने की व्यवस्था पूरी की जा रही है। मेरे जिले अलीगढ़ में आज भी आंख मिचौली चल रही है, बिजली न आने के कारण फसलें सूख रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मेरे जिले में फसलों की सिंचाई करवाने के लिये बिजली की क्या व्यवस्था कर रहे हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने जिज्ञासा प्रकट की है, सिंचाई के क्षेत्र को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिये निजी नलकूपों की संख्या में बढ़ोत्तरी कर रहे हैं । मैं आपके माध्यम से मान्यवर, एक उदाहरण

देना चाहता हूं कि इस वर्ष 15500 निजी नलकूप को विद्युत कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था जबकि हमने 19339 निजी नलकूपों को कनेक्शन दिया है। इसी तरह से पहले नलकूप खराब होने का जो प्रतिशत था वह 6 प्रतिशत था। वर्तमान में जनवरी, 1992 में यह प्रतिशत घटकर 2.16 रह गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि सिंचाई के क्षेत्र में विद्युत उपलब्धता को बढ़ाया गया है और अधिक क्षेत्रों को सिंचित करने के लिये नलकूपों की संख्या में वृद्धि की गयी है तथा उनके दोषों को कम किया गया है जिससे सिंचाई में वृद्धि हुयी है।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मैदानी क्षेत्र के नलकूपों के बारे में बताया है। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में नलकूपों का कोई औचित्य नहीं है, वहां पर कहीं नलकूप नहीं हैं। वहां पर सिर्फ प्रकाश के लिये विद्युत की आवश्यकता होती है और उसके लिये वहां के निवासियों को कनेक्शन चाहिये। मैंने माननीय मंत्री जी को 26 फरवरी को एक पत्र दिया था। हमारे टिहरी में एक गांव च़ोपड़ियाल है जहां पर 47 परिवारों ने 23-1-90 को विद्युत कनेक्शन लेने के लिये चार्जेज जमा कर दिये हैं लेकिन 1990 से विद्युत कनेक्शन उनको नहीं दिया गया है। इसके बारे में मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विद्युत कनेक्शन देने के संबंध में शासन की क्या नीति है और विद्युत कनेक्शन देने के लिये क्या समय की अवधि निश्चित की गयी है ? वहां के निवासियों को इतना समय बीत जाने के बावजूद भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसके लिये आप अलग से प्रश्न पूछ लें।

श्री लाखी राम जोशी–

मान्यवर, [xxx] मेरे प्रश्न का उत्तर दिलवा दें।

जनपद प्रतापगढ़ में आंवले की उपज बढ़ाने हेतु शोध एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की मांग

**2–श्री रमेश बहादुर सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि देश और प्रदेश का लगभग 90 प्रतिशत आंवले का उत्पादन जनपद प्रतापगढ़ में होता है? क्या यह सही है कि आंवले पर आधारित किसी उद्योग और विपणन के लिये शासन स्तर से सहयोग के अभाव में कृषकों को इसका लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है तथा आंवले की उपज बढ़ाने के लिये जनपद प्रतापगढ़ में शोध एवं अनुसंधान के लिये कोई संस्थान अथवा केन्द्र भी स्थापित नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्या प्रदेश की इस आंवला फल-पट्टी में आंवले पर आधारित उद्योग की स्थापना, आंवला शोध संस्थान या अनुसंधान केन्द्र खोलने और किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये शासन स्तर से कोई योजना बनायी जा रही है? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री (श्री धनराज यादव)–

जी हां।

नोटः –[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

जी हां।

जी हां।

आंवले के शोध एवं संस्थान हेतु आठवीं पंचवर्षीय योजना में एक औद्यानिक प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके अतिरिक्त औद्यानिक उत्पादों के विपणन हेतु सहकारी समितियों के गठन का प्रकरण भी शासन के विचाराधीन है।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, हर्र, बहेड़ा, आंवला और जड़ी बूटियां वगैरह जो औषधि निर्माण करने में काम आती हैं, उनको जो किसान पैदा करता है, उसे उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलता है। इसी तरह से आंवले की बात, प्रतापगढ़ के माननीय विधायक ने सही प्रश्न उठाया है, उत्तर प्रदेश में और भी जगह आंवला पैदा किया जाता है। इन किसानों का आंवला जब बाजार में आता है तो उसका सही मूल्य नहीं मिल पाता। तो चूंकि इसका अनुसंधान केन्द्र कहीं पर नहीं है, वैसे हमारे पूर्वजों ने, चरक और सुश्रुत में इसका बहुत अनुसंधान किया है, अनुसंधान केन्द्र न भी हो तो फर्क नहीं पड़ता। इसका अच्छा विक्रय मूल्य मिल जाता तो ठीक रहता। यह कहना कि सहकारी समितियां बनायी जा रही हैं, इससे काम नहीं चलेगा। जो भी औषधि पर आधारित और जड़ी बूटियां, फल, फूल हैं इनके विक्रय के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने उससे निर्मित औषधियों के सिलसिले में शायद जानना चाहा है। आंवले के विक्रय के लिये पहले ही बताया हैं कि उसके विपणन के लिये सहकारी समितियों के गठन का प्रस्ताव है और 1992-93 में हम शुरू करेंगे, ताकि जो किसानों से कम्पनी वाले और अन्य लोग लेते हैं, उसमें जो मूल्यों में डिफरेंस है, वह खत्म हो जाय, इसलिये ऐसा करने वाले हैं।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मैं अनुरोध कर रहा हूं कि 1992-93 में काफी समय है और अभी ही काफी आंवला बेकार पड़ा है और सस्ते मूल्य पर बिक रहा है, इसके लिये माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करेंगे?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, इसके लिये तो प्रयत्नशील हैं और किया जायगा और कोशिश होगी कि उनको उचित मूल्य मिले। इसके लिये किसानों की सहकारी समितियां बनायी जायेंगी, जिससे कि बिचौलिये फायदा न ले सकें, ऐसा उपाय किया जायगा।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मेरा मूल प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका नाम पुकारा था, आपको खड़े होना चाहिए था।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आश्वासन तो मिल गया कि आंवले के औद्योगिक प्रयोग और प्रशोधन केन्द्र की स्थापना का प्रस्ताव किया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह आश्वासन कब तक कार्य रूप में परिणित हो जायगा? दूसरे यह सहकारी समितियों के माध्यम से जो विपणन की व्यवस्था की जा रही है, यह कब तक होगी? हमारे क्षेत्र प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र, गड़वारा विधान सभा क्षेत्र और सदर में पूरे देश का 90 प्रतिशत आंवले का उत्पादन होता है। किसानों की दुर्व्यवस्था इतनी है कि वहां पर जितने कुंजड़े या खटिक जो आंवला खरीदते हैं, वे लगभग 1 लाख 50 हजार रुपये तक का आंवला खरीदते हैं और बेचते हैं, लेकिन उनको पूरा दाम कभी भी नहीं मिलता है।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, विपणन की व्यवस्था तो सहकारी समिति से करने का प्रस्ताव है, यह मैंने पहले ही आश्वासन दे दिया। यह कार्य 1992-93 में ही हम प्रारम्भ करेंगे।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, इस तरह से तो आंवले के बारे में हर सरकार द्वारा आश्वासन मिलते रहते हैं, लेकिन क्रियान्वयन उनका नहीं होता है। मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर साफ नहीं हुआ। मान्यवर, मेरे प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दिलवा दें।

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि एक सड़क बाई पास विश्व बैंक परियोजना से जा रही है, वह बाई पास अगर उसी रास्ते से जायगी, जिस रास्ते से जा रही है, तो न विपणन की आवश्यकता पड़ेगी और न आंवला रहेगा और न आंवले की बाग रहेगी। इसलिये आंवले के बारे में अन्य कोई उपाय माननीय मंत्री जी सोचने का विचार करें और अगर इनकी जानकारी में न हो, तो उसकी जानकारी करें और दूसरा रास्ता जहां पर चकौड़ का पेड़ भी नहीं उगेगा, उस रास्ते से ले जाने का प्रयास करें।

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, यह सड़क का जो काम है, इसको तो लोक निर्माण विभाग ही हल करेगा।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, यह आंवले से संबंधित है। मान्यवर, जब आंवले की बाग ही नहीं रहेगी, तो प्रशिक्षण केन्द्र और विपणन की व्यवस्था क्यों रहेगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने दो प्रश्न पूछे हैं। उन्होंने पहला प्रश्न आंवले के बारे में पूछा है। मान्यवर, कदाचित माननीय सदस्य को इसकी जानकारी होगी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में उसका उल्लेख है। मान्यवर, पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर जो 7 परियोजनाएं गठित की गयी हैं, उनमें से एक प्रतापगढ़ में आंवले से संबंधित परियोजना है और बहुत जल्दी उसका प्रारम्भ हो रहा है कि जल्दी ही उसका क्रियान्वयन हो। दूसरा सवाल सड़क के बारे में माननीय सदस्य ने कहा है। मैं जहां तक समझ पाया हूं, कोई सड़क वहां पर निकल रही है, जिस पर शायद कृषि योग्य भूमि उसमें जा रही है, आंवले के पेड़ उसमें पड़ रहे हैं। मान्यवर, माननीय सदस्य प्रार्थना-पत्र देंगे और उसमें दर्शायेंगे कि अगर यह बिल्कुल नई सड़क होगी, तब तो उसमें कृषि योग्य भूमि जायेगी ही, लेकिन अगर वह पुरानी सड़क होगी, तो वहां पर पहले से सड़क बनी होगी, तो यह देख लिया जायगा कि वहां पर सड़क निकलना उचित है या नहीं उचित है।

श्री राम किशन ''ददाजू''–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इटावा से लेकर आगरा के बीच में यमुना के किनारे मिट्टी है, वह आंवला और नीबू प्रजातीय पेड़ों के लिये उपलब्ध है, क्या कोई योजना इसके बारे में शासन के अधीन विचाराधीन है? क्या वहां पर ऐसे पेड़ लगाये जायेंगे?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि उद्यान विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में किस भूमि पर कौन सा फल और कौन सी साग सब्जी ज्यादा पैदा हो सकती है, उसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं और खोज की जा रही है, तो इसके परिणामस्वरूप १०-१२ जनपदों में केले के उत्पादन, नीबू के उत्पादन और साग सब्जी के उत्पादन के कार्यक्रम दिये जा रहे हैं। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसको भी देख लिया जायेगा कि कौन से फल का उद्योग सफल हो सकता है। मान्यवर, यह तो पूरे उत्तर प्रदेश के उद्यानीकरण की योजना है। इस योजना के द्वारा सरकार पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों को बढ़ावा देना चाहती है।

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, आंवले का विषय उठाया गया है। आयुर्वेद में आंवले का बड़ा उपयोग है। और इस पर आधारित धंधों पर लोगों को बहुत रोजगार मिल सकते हैं। मान्यवर, प्रदेश के बहुत से जिले हैं, जहां पर आंवला बहुतायत से पाया जाता है, लेकिन अगर उसका उत्पादन एक योजनाबद्ध तरीके से किया जाये तो उससे हजारों नवयुवकों को रोजगार मिल सकता है, किसानों को उसका उचित मूल्य मिल सकता है, किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक हो सकती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आंवले के योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन के लिये सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री धनराज यादव–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि आंवला या इसी तरह की और चीजें जब पैदा होती हैं, तो वह बहुतायत में हो जाती हैं, लेकिन उनका संरक्षण बहुत अधिक दिनों तक नहीं हो पाता है, जिससे जो लाभ किसानों को मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। इसके लिये नई तकनीक निकाली जा रही है, जिससे किसानों को लाभ हो सके। जहां तक छोटे-मोटे उद्योग लगाने की बात है, मैंने इस बात को समझा है, उनके लिये लाइसेंस लेना पड़ता है। इस संबंध में मैं केन्द्र सरकार से पत्र व्यवहार कर रहा हूं और मेरा प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र में आंवले पर आधारित उद्योगों की स्थापना की जाये, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, यह प्रयास चल रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर बहुत सवाल हो गये हैं। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूं।

श्री रमेश बहादुर सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से संसदीय कार्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां पर बाई पास जा रहा है, वह बाई पास किसी इंजीनियर के सर्वे के बिना ही बनाया जा रहा है, वहां पर कोई इंजीनियर सर्वे करने के लिये गया ही नहीं। अगर इसका सही रूप से सर्वे किया जाये तो 3-3 किलोमीटर की लम्बाई कम हो सकती है। चकरोड बना हुआ है और कहीं से जमीन नहीं लेना है, अगर वहीं से सड़क निकाली जाये तो बहुत सारी कृषि योग्य जमीन बच सकती है और आंवले के बाग भी बच सकते हैं, तो मेरी उनसे प्रार्थना है कि कोई निश्चित व्यवस्था कर दें, जिससे आंवले के पेड़ों का संरक्षण हो और जो नुकसान हो रहा है, वह बच जाये।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने एक जानकारी दी थी कि शायद उनके क्षेत्र में कोई सड़क बन रही है, उसकी जनता ने मांग की होगी और जिसकी आवश्यकता होगी और जो बन रही है वह उस स्थान से जा रही है जहां पर कृषि योग्य भूमि पड़ रही है, आंवला के बाग पड़ रहे हैं तो मैंने यह कहा है कि इस पर माननीय विधायक जी पूरी-पूरी विस्तृत जानकारी दे देंगे तो उसका परीक्षण करा लेंगे और उनके क्षेत्र का मामला है उनसे भी परामर्श कर लेंगे और जैसी आवश्यकता होगी, वैसी कार्यवाही करेंगे।

(नत्थी ''ख'' तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर तथा प्रश्नकर्ता सदस्य श्री श्याम देव राय चौधरी के अनुपस्थित होने पर)

श्री राम कुमार शुक्ल–

मान्यवर, इसको ले लिया जाय, इस पर हमारी रुचि है।

श्री उपाध्यक्ष–

किशन गोपाल जी ने भी इस पर अपनी रुचि दिखायी है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार निवारण हेतु विशेष अदालतों के गठन का प्रस्ताव

*1–श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य कमजोर तबकों पर ज्यादती रोकने के उपायों को प्रभावी बनाने तथा इन मामलों की सुनवाई हेतु विशेष अदालतों के गठन का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचर निवारण) अधिनियम, 1990 की धारा 14 के अन्तर्गत मा० मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रदेश में अधिसूचना संख्या– 44/सात-अ० न्या०-124/89, दिनांक 30-1-90 द्वारा 57 जनपदों में तथा अधिसूचना संख्या--6855/सात-न्याय-2-124/89, दिनांक 23-11-91 के द्वारा 6 जनपदों में (इस तरह प्रदेश के समस्त 63 जनपदों मे) न्यायालय उपरोक्त अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिये विनिर्दिष्ट कर दिये गये हैं।

श्री क्रिशन गोपाल–

मान्यवर, प्रदेश के प्रत्येक जिलों से समय-समय पर माननीय विधायक चाहे वह अनुसूचित जाति के हों या गैर अनुसूचित जाति के हों, यह विषय उठाते रहे हैं कि अनुसूचित जातियों, जनजातियों पर अत्याचार हो रहे हैं तो इसको रोकने के लिये मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में

टिप्पणी–मा० सदस्यों की रुचि पर यह प्रश्न श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार अन्त में लिया गया।

भी केन्द्र की भांति अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये कमीशन खोलने की कृपा करेंगे जिससे अत्याचार को रोका जा सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, यह विशेष अदालत जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये बनायी गयी है मैं समझता हूं कि उससे यह मुकदमों का निस्तारण का कार्य, जो प्रदेश 51 जिलों में 2670 कुल मुकदमें हैं, अनुसूचित जातियों पर अत्याचार से संबंधित सभी जिलों को मिलाकर उनका कार्य पूरा हो जायेगा, अगर संतोषजनक नहीं पाया जायेगा तो अन्य व्यवस्था पर विचार किया जायेगा। लेकिन शासन की नीति इस अत्याचार को रोकने की है, अगर कहीं कोई घटना हो जाती है तो उसका निस्तारण अतिशीघ्र करेंगे। इन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को राहत दिलाना है इसलिये इस पर हमेशा बल देते रहेंगे और प्रदेश सरकार की ओर से न्यायालयों में उच्च न्यायालयों के माध्यम से यह आग्रह निरन्तर करते रहेंगे कि इस पर शीघ्रता से कार्यवाही कर राहत दे।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दे दिया है कि न्यायालयों में यह कार्य किया जाने वाला है लेकिन अब तक जो हो रहा है अत्याचार उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि अत्याचार को रोकने के लिये जिस तरह से केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति का कमीशन खोल रखा है तो क्या उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये कमीशन खोलेगी जिससे जो अत्याचार अब तक नहीं रुका है उसे आगे तो रोका जा सके?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, वैसे तो यह प्रश्न इस मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, न्यायालय से संबंधित प्रश्न है। लेकिन शासन इसमें सब प्रकार की व्यवस्था कर चुका है और निर्देश जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को दे दिये गये हैं कि अत्याचार न होने पाये, जहां कहीं भी अत्याचार होता है वहां कार्यवाही की जा रही है। सरकार इसे नियंत्रित करने में सफल है। यह जो 2600 मुकदमें हैं यह इस साल के नहीं पिछले कई सालों से लम्बित हैं। इस समय शासन इन अत्याचारों पर नियंत्रण करने में पूरी तरह सफल है, अंकुश लगाये हुए हैं और दृष्टि उस पर है।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि 5 जिलों में विशेष अदालतें अनुसूचित जाति के लिये लगायी गयीं तो क्या माननीय मंत्री जी मंडल वाइज, कमिश्नरी वाइज अदालत खोलने की कृपा करेंगे जिससे दूरदराज से आने वाले लोगों को कठिनाई न हो?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

न्यायालयों की स्थापना की जो बात है, जो न्यायालय चल रहे हैं वे जिला स्तर पर होते हैं कुछ न्यायालयों को तहसील के कैम्पों में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की गयी है, लेकिन यह तो जिला न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं उन्हीं में से किसी एक को विशेष स्थिति में इस कार्य के लिये न्यायाधिकार प्रदान किया गया है। इनको इन मुकदमों की सुनवाई का अधिकार दिया गया है उच्च न्यायालयों की राय से। मण्डलवाइज या मण्डल स्तर पर ऐसे न्यायालय की कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सार्वजनिक उत्पीड़न के संबंध में कि उनको वकील भी प्रदान किये जायें उनका जो आर्थिक उत्पीड़न हो रहा है– उदाहरण के तौर पर इन हरिजनों की जो पट्टे की भूमि है जो सीलिंग से मुक्त हो रही है, ऐसे सीलिंग मुक्त केसों की पैरवी में सरकारी वकील या नायब तहसीलदार उसकी अपीलों को न करके उनके पट्टों में बाधक बन रहे हैं । वह उनकी पैरवी नहीं कर रहे हैं। तो इस संबंध में इस प्रकार की जो ढील बरती जा रही है, क्या मंत्री जी उसके लिये कर्मचारियों तथा अधिकारियों को दण्डित करेंगे जिससे उनको आर्थिक लाभ पहुंचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। आपकी जिज्ञासा मंत्री जी शान्त करना चाहें तो कर दें।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जैसा आपने कहा आपका प्रश्न प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित है और शासन इस बात को बार-बार कहता है कि जो भी अधिकारी इन अनुसूचित वर्ग के लोगों को मिलने वाले अधिकारों के मार्ग में बाधक होंगे या उसमें ढिलाई बरतेंगे उनके साथ सख्त कार्यवाही की जायेगी। उसको किसी तरह से बख्शा नहीं जायेगा। माननीय सदस्य के पास इस प्रकार की ढिलाई का कोई उदाहरण हो तो वह उसे हमें दे दें, हम निश्चित रूप से और तत्परता से उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और पीड़ित व्यक्ति को राहत दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे।

श्री राम कुमार शुक्ल–

जो विशेष अदालतें खोली जा रही हैं वह स्वागत योग्य हैं, क्योंकि आज तक उनके साथ अत्याचार हुआ है। अब यह कम तो हुए हैं, लेकिन रुके नहीं हैं। जो स्टेट वर्सेज उस आदमी के केस होते हैं उसमें सरकार की ओर से हरिजन के लिये वकील होता है लेकिन जो दीवानी से संबंधित मामले हैं, उनमें यह व्यवस्था नहीं है.....

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है यह कि हम विपक्ष के हैं, इसलिये हमें बोलने का मौका आप नहीं देते हैं और सत्तापक्ष के माननीय सदस्यों की कहानी सुन रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार शुक्ल–

ऐसे केसेज में वकील की फीस नहीं दे सकता है, उसका सपोर्ट नहीं ले सकता है, इसलिये मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार ऐसे मामले में उनको सरकारी वकील देगी और जो विशेष अदालतों की स्थापना की बात कही गयी है वह कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

यह आदेश जा चुके हैं। यह न्यायालय कार्य कर रहे हैं और जिन केसेज में जो केस वह नहीं लड़ रहे हैं उसके लिये मुफ्त कानूनी सहायता देने की व्यवस्था है, हम उसको और भी सशक्त बना रहे हैं और अन्य कारणों से जहां जो राहत नहीं मिल पा रही है या कानूनी व्यवस्था नहीं हो रही इसके ऊपर सरकार विचार कर रही है और ऐसी व्यवस्था कर रही है कि हर जिले में एक विशेष या अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता अलग से इसके लिए नियुक्त कर दिया जाय ।

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, एक अंतिम प्रश्न पूछ लेने दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है, अब आप बैठें ।

जनपद आगरा की कीट नाशक फर्म मे० पेस्टीसाइड इण्डिया लि० को कथित अनियमितताओं की जांच किये बिना पचास लाख रु० का भुगतान

*2–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि 31 दिसम्बर, 1990 को तत्कालीन अपर आयुक्त गन्ना विकास की रिपोर्ट पर तत्कालीन प्रदेश सरकार ने आगरा की कीटनाशक फर्म मे० पेस्टीसाइड इण्डिया लिमिटेड का 50 लाख रुपया का भुगतान फर्म के विरुद्ध धोखा धड़ी आदि आरोपों के आधार पर रोक दिया था तथा फर्म को काली सूची में भी डाल दिया था ? क्या यह सत्य है कि सितम्बर, 1991 में प्रदेश की सरकार ने पिछली सरकार के आदेशों की अवहेलना करके 50 लाख रुपये का भुगतान बिना दुबारा जांच कराये इस फर्म को कर दिया है ? यदि हां, तो पिछली सरकार ने उपरोक्त भुगतान रोकने में जो अनियमिततायें पाई थीं उनकी दुबारा जांच कराये बिना भुगतान करने का क्या कारण है ?

गन्ना विकास राज्य मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

जी नहीं । वास्तविक स्थिति यह है कि गन्ना आयुक्त कार्यालय द्वारा आपूर्ति करायी गयी दो विवादग्रस्त दवाओं के मूल्य का लगभग 30 लाख रुपये का भुगतान लम्बित रखते हुये प्रश्नगत फर्म के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा उसे काली सूची में डालने हेतु, निदेशक, उद्योग, उ० प्र० को लिखा गया था ।

जी नहीं । वर्तमान सरकार ने मामले का विधिवत् परीक्षण कराकर फर्म को देय में से केवल रु० 29,31,562.03 का भुगतान कराया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

उत्तर प्रदेश के विद्युत विभाग के अवर अभियन्ता के पद पर उत्तीर्ण लाइन मैन अभ्यर्थियों की पदोन्नति

* 3–श्री श्रीराम (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-11-85 में सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के लाइन मैनों की पदोन्नति के लिये जू० इ० की परीक्षा हुई थी ? क्या उसका परिणाम घोषित हुआ है ? यदि नहीं, तो क्या अविलम्ब परीक्षा फल घोषित कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को जू० इ० के पदों पर नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

वर्ष 1985 में परिचालन संवर्ग जिसमें लाइन मैन का पद भी आता है, जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन विभिन्न स्थलों पर किया गया था।

जी नहीं।

नोट:-द्वितीय चक्र में नत्थी ख्र के तारांकित प्रश्न संख्या-। लिये जाने के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

वर्ष 1985 की परीक्षा कुछ स्थलों पर बहिष्कार, कुछ स्थानों पर परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित शिकायत एवं कानपुर में कर्फ्यू के कारण अपूर्ण है। वर्तमान में वर्ष 1977-79 में लिखित परीक्षा पास परिचालन वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में सर्वप्रथम इसमें लिखित परीक्षा पास अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा के अंक कम करके, अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करके अभ्यर्थियों का चयन अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु किया जाना है जिसकी कार्यवाही की जा रही है। इसलिये न तो परीक्षाफल अविलम्ब घोषित करना सम्भव है और न ही पदोन्नति।

बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 1992 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न

जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में विद्युतीकरण की योजना

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि 72. निघासन, लखीमपुर खीरी जो दुधवा नेशनल पार्क नेपाल की सरहद से जुड़ा है और जहां आतंकवादी गतिविधियां एवं जंगली जानवरों से निवासियों की समुचित सुरक्षा नहीं है, में बिजली आपूर्ति एवं मार्ग प्रकाश की सुचारु रूप से व्यवस्था नहीं है। यदि हां, तो निघासन क्षेत्र के गांवों एवं मार्गों जैसे ग्राम चटुइयापुर, सरपतहा, वैलहा, सुरजीपुरवा, लालबोझी, तारानगर, ठकेरवा खालसा कोलापुरवा, नकरहा, करहा, रसाल, टांडा, कृष्णा नगर, धबई पुरवा, हथिया, वोझ राजपुर, महराज नगर डी० एम० कालोनी, मरुआ पश्चिम, मुजहा आदि में अभी तक बिजली आपूर्ति की सुचारु रूप से व्यवस्था न किये जाने के क्या कारण हैं? यह कार्य कब तक करा दिया जायेगा?

श्री रविकान्त गर्ग–

प्रश्नगत ग्रामों में से केवल 8 ग्राम ही राजस्व ग्राम हैं जिन्हें नीचे दी हुई तालिका में कोड सं० एवं विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति सहित दिखाया गया है :––

क्र०सं०	ग्राम का नाम	कोड सं०	विद्युतीकरण की अद्यतन स्थिति
1.	सरपतहा	234	नहीं
2.	बैलहा	206	नहीं
3.	लालबोझी	198	नहीं
4.	ढकेरवा खालसा	192	नहीं
5.	कृष्णा नगर	7	हां
6.	महराज नगर	170	नहीं
7.	मरुआ पश्चिम	73	नहीं
8.	मुजहा	62	नहीं

सीमित संसाधनों के कारण उपरोक्त ग्रामों में से केवल बैलहा ग्राम विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1991-92 के लिये चयन किया गया है। शेष ग्रामों के विद्युतीकरण की इस वर्ष कोई योजना नहीं है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, मैं जानता हूं कि विद्युतीकरण की एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया के तहत एक-एक, दो-दो, और चार-चार गांव ही लिये जाते हैं लेकिन मैंने जो प्रश्न किया उसका लक्ष्य यह नहीं है कि तमाम गांव में एकदम से बिजली लगा दी जाय। मेरा लक्ष्य यह है कि वहां पर आतंकवादियों ने तीन चार महीनों से लगातार डेरा डाल रखा है और वे रात के अंधेरे में ही ग्रामीणों की जान लेते हैं और निघासन तहसील चारों तरफ से जंगलों से घिरी हुई है जिससे शेर आदि जंगली जानवर भी रात में गांवों में घुस कर लोगों की जान ले लेते हैं। इसलिये मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस तहसील में ग्रामीणों की जान, प्रकाश की व्यवस्था न होने के कारण आतंकवादी और शेर ले रहे हैं उसके लिये प्रकाश की व्यवस्था कराकर क्या वह ग्रामीणों की जान की सुरक्षा करेंगे?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, ग्रामीण विद्युतीकरण की एक निर्धारित प्रक्रिया है। इसके लिये पहले भारत सरकार के आर० ई० सी० द्वारा प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। उसके उपरान्त जनपद का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। निघासन तहसील, जनपद लखीमपुर खीरी में आती है और लखीमपुर खीरी में 22 गांवों का लक्ष्य निर्धारित है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, लक्ष्य जान बचाने का प्रथम होना चाहिए इसी क्राइटेरिया को प्राथमिकता देनी चाहिए। मैं इस संबंध में जानना चाहता हूं कि जान बचाने के लिये आप क्या कर रहे हैं? आपने तो फोर्स वहां पर लगायी है लेकिन वह फोर्स भी आतंकवादियों और शेरों का सामना करने में सक्षम नहीं हो पाती है, वहां पर प्रकाश व्यवस्था न होने के कारण। तो क्या बिजली के प्रकाश की व्यवस्था कराकर ग्रामीणों की जान की रक्षा करेंगे।

श्री रविकान्त गर्ग–

ग्रामीण विद्युतीकरण आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। केन्द्र सरकार की एक संस्था है रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन, उसके द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये धन उपलब्ध कराया जाता है। मान्यवर, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा मैं उनकी बात को कोई अन्यथा नहीं बता रहा हूं, लेकिन सीमित संसाधनों के कारण इस कार्य के होने में बाधा है। इस वर्ष 1991-92 में आर० ई० सी० से करीब 76 करोड़ रुपया मिलना था, लेकिन मात्र 20 करोड़ रुपया ही मिल पाया है। इसलिये लक्ष्य से अधिक विद्युतीकरण कराना असम्भव है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, ऐसी भी कई योजनाएं हैं जो कम लागत से लोगों की जानें बचा सकती हैं जैसे–पहाड़ी क्षेत्रों में मैं पूर्णागिरि गया था और वहां पर देखा है कि सूर्य की ऊर्जा के द्वारा वहां पर बिजली की व्यवस्था की जा रही है जो कम पैसे में हो जाती है। अतः यदि उन ग्रामों में उसी प्रकार से प्रकाश की व्यवस्था आप करा दें तो लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो क्या मंत्री जी ऐसी व्यवस्था कराकर हमारे यहां के ग्राम वासियों के प्राणों की रक्षा करेंगे?

श्री रवीन्द्र प्रताप–

जो ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है, केन्द्र से प्राप्त सहयोग न मिलने के कारण ग्रामीण विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता है । तो उन योजनाओं पर जिनकी बाबत प्रदेश सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि इतने गांवों का विद्युतीकरण हम करेंगे उसमें देवरिया जनपद के भी 48 ग्रामों के विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित है, तो उसमें अगर केन्द्र सरकार पर्याप्त धन नहीं उपलब्ध करायेगी तो आपके जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको पूरा करने के लिये प्रदेश सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय रवीन्द्र प्रताप जी आपका प्रश्न से भिन्न है लेकिन अगर माननीय मंत्री जी जवाब देना चाहें तो दे दें ।

श्री राम सेवक (बदायूं)–

मान्यवर, इस संबंध में केन्द्र की जो परिभाषा है, किसी जगह से 5 हजार या 3 हजार की लाइन चली गयी, भले ही उसमें विद्युतीकरण मान लिया गया, तो क्या ऐसे गांवों की समीक्षा कराने के बाद उनका विद्युतीकरण कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में अवगत कराया, ग्रामीण विद्युतीकरण की सम्पूर्ण योजना केन्द्र सरकार के अधीन आर० ई० सी० के तहत बनायी जाती है और उसी के द्वारा मानक के अनुसार सी० ए० और एलटीमेंट्स निर्धारित है जिसके अनुसार केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में इस मानक के अनुसार ग्रामीण विद्युतीकरण कराया जाता है।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, जितने आतंकवाद ग्रस्त जिले हैं उनमें आशा की जा रही है और प्रदेश सरकार ने कहा भी है कि उनमें विद्युत व्यवस्था भंग नहीं होगी समूची विद्युत व्यवस्था की जायेगी और रात भर विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। लेकिन जो आतंकवाद से ग्रस्त इलाके हैं उंनमें विद्युत व्यवस्था अभी भी ठीक नहीं है, बरेली भी इसमें शामिल है वहां आतंकवाद का प्रभाव है, वहां रात में अक्सर बिजली चली जाती है। क्या माननीय मंत्री जी जो आतंकवाद से ग्रस्त जिले व इलाके हैं वहां विद्युत व्यवस्था सुदृढ़ रहे इसको सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, सभी आतंकवाद क्षेत्रों में विद्युत व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने के लिये वहां की विद्युत कटौती समाप्त कर दी गयी है वहां पर किसी प्रकार की विद्युत कटौती नहीं की जाती है। सरकार आतंकवादी क्षेत्रों के बारे में चिंतित है वहां पर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध करा रही है।

(श्री निर्वेन्द्र कुमार के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी माननीय निर्वेन्द्र कुमार व डा० दिनेश जौहरी ने एक परिस्थिति विशेष का उल्लेख किया है उस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्या ऐसे इलाकों का विद्युतीकरण करने पर आप विचार करेंगे जो आतंकवाद की गिरफ्त में आ रहे हैं शायद यही आपके पूछने का तात्पर्य था।

श्री राम सेवक (बदायूं)–

मान्यवर, बदायूं जनपद भी संवेदनशील है वहां रोज शाम को बिजली चली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष–

वह आप मंत्री जी को सुझाव दे दीजियेगा।

श्री अवनीश कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो उन्होंने विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है, मेरी जानकारी है कि उसमें समस्त गांवों का विद्युतीकरण नहीं किया जा रहा है तो मैं जानना चाहता हूं कि जनपद बदायूं में जितने गांवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है या हो चुका है उन समस्त गांवों को पूरी तरह से विद्युतीकरण कराने के लिये आवश्यक निर्देश देंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि मेरा लक्ष्य यह नहीं है कि गांवों में बिजली लग जाये और मेरा नाम हो जाये। मेरा लक्ष्य यह है कि वहां पर बिजली की किसी प्रकार से व्यवस्था हो जाये। जो सूर्य से पैदा होती है उससे प्रकाश की व्यवस्था करके ग्रामीणों के जान बचाने की है।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, सौर ऊर्जा के संबंध में माननीय विधायक जी हमको लिखकर दे दें हम उस पर परीक्षण करा लेंगे और तदनुसार कार्यवाही कर देंगे।

श्रीमती गुलाब देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान अपने जनपद मुरादाबाद में अपने क्षेत्र की ओर आकृष्ट करना चहती हूं। वहां पर कई वर्षों से कुछ ऐसे गांव हैं जहां विद्युतीकरण नहीं हुआ है वहां पर विद्युतीकरण की सारी कार्यवाही कागजों पर हुई है। तो क्या माननीय ऊर्जा मंत्री जी उन कागजी कार्यवाही को पूरा करायेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है इसलिये इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

श्री प्रीतम सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जो 1990-91 में जो गांव अम्बेडकर गांव घोषित किये गये हैं उसमें विद्युतीकरण करने का कोई प्राविधान है।

श्री उपाध्यक्ष–

यह लखीमपुर खीरी के सम्बन्ध वाला प्रश्न नहीं है। यह मूल प्रश्न से हटकर है इसलिये इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है।

(ता० प्र० सं० –2 से 10 तक पुकारे जाने पर प्रश्नकर्ता सदस्य उपस्थित नहीं थे)

विद्युत विभाग में वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत कर्मियों के वेतन भुगतान की कार्यवाही

*2–श्री श्याम देव राय चौधरी–(अनुपस्थित)

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत "वेसू" में 1987 से कार्य कर रहे विद्युत कर्मियों को महीने में वास्तविक रूप से सिर्फ 25 दिन का ही वेतन दिया जाता है और 30 दिन के कार्य के हिसाब से भुगतान की रसीद पर हस्ताक्षर करवाया जाता है? यदि हां, तो इस प्रकार से मजदूरों के शोषण द्वारा लाखों रुपये के घपले के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को दण्डित करने हेतु सरकार कोई कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद सीतापुर, विद्युत वितरण मण्डल के अधीनस्थ मानचित्रक के रिक्त पद को भरे जाने की मांग

*4–श्री राम शरण (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत वितरण मण्डल, सीतापुर के अधीनस्थ मानचित्रक, पद लगभग 5 वर्ष से खाली पड़ा है। यदि हां, तो क्या यह पद अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी को पदोन्नति देकर भरा जाना था? यदि हां, तो इसे कब तक भरा जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

निकट भविष्य में।

प्रश्न ही नहीं उठता।

इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में चीनी मिल लगाने की मांग

*5–श्री मोहम्मद मुकीम (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन ने इटवा, जनपद सिद्धार्थनगर में चीनी मिल लगाने का फैसला किया है? यदि हां, तो कब तक मिल स्थापित हो जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सचिव, उद्यान द्वारा संयुक्त/उप निदेशक स्तर के पदों पर कथित अनियमति रूप से नियुक्ति एवं विपणन प्रकोष्ठ की स्थापना बिना शासनादेश के किये जाने की जांच

*6–श्री रमाकान्त यादव (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि सचिव, उद्यान द्वारा बिना शासन के वित्त विभाग एवं उद्यान मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किये संयुक्त निदेशक एवं उप निदेशक स्तर के पदों पर अनियमित रूप से, बिना किसी कार्य के, पदों के लिये निर्धारित अर्हता विहीन अधिकारियों को विभाग में प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ? यदि हां, तो क्या इस मामले में उ० प्र० कार्य नियमावली, 1975 एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय अनुदेश 1982 के नियमों का पालन किया गया ? क्या इन अधिकारियों के लिये जिस विपणन प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है उसका किसी शासनादेश द्वारा सृजन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या इससे उक्त अधिकारियों को दिये गये वेतन भत्तों का अपव्यय हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराने व अनियमित नियुक्ति करने वालों पर दण्डनीय कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (श्री गंगा भक्त सिंह)–

प्रादेशिक सहकारी दुग्ध संघ से सर्वश्री ए० के० दास, वाई० पी० शर्मा, दीप विष्ट, के० आर० वर्मा तथा ए० डी० मेहता को विपणन प्रकोष्ठ में तैनात किये जाने के आदेश दिनांक 21-3-91 को तत्कालीन उद्यान सचिव द्वारा जारी किये गये थे। इन अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन विभाग के समकक्ष वेतनमान के रिक्त पदों के समक्ष आहरित किये जाने के आदेश दिनांक 18-4-91 को निर्गत किये गये थे। इनमें से दो कर्मचारियों सर्वश्री के० आर० वर्मा व ए० डी० मेहता ने विभाग में योगदान नहीं किया। इस संबंध में विभागीय मंत्री की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है तथा संविदा की शर्तों के संबंध में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जा रही है। इनकी तैनाती इनके पैतृक विभाग में किये गये इनके कार्य अनुभव को देखते हुए विभागीय कार्य के हित में की गयी है । विभाग में अस्थाई तौर पर चलाये जा रहे विपणन प्रकोष्ठ के सृजन की औपचारिकतायें अभी पूरी की जा रही है । इन अधिकारियों द्वारा विभिन्न औद्यानिक परियोजनाओं के लिये प्रोजेक्ट तैयार करने एवं उनके कार्यान्वयन में उचित योगदान दिया जा रहा है। अतः इनको दिये जा रहे वेतनादि को अपव्यय नहीं कहा जा सकता है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मेरठ के बरनावा विधान सभा क्षेत्र में चोगामा क्षेत्र की नहर की खुदाई का कार्य

*7–श्री कटार सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मेरठ के बरनावा विधान सभा क्षेत्र में चोगामा क्षेत्र में नहर की खुदाई सिंचाई विभाग द्वारा शुरू कर दी गयी थी जो कुछ समय बाद विभाग द्वारा बन्द कर दी गयी थी ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ? क्या सरकार इस नहर को पूर्ण कराने हेतु सिंचाई विभाग को पुनः आदेशित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, हिन्डन कृष्णी दोआब परियोजना नहर के कार्य वर्ष 1979 में आरम्भ किये गये थे जो कुछ समय तक बन्द रहने के बाद पुनः प्रारम्भ किये गये तथा परियोजना के कार्य अभी भी प्रगति में हैं।

पुनः आदेशित करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

*8–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

प्रदेश में विद्युत वितरण व्यवस्था

*9–श्री सुरेश प्रताप गांधी (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतलायेंगे कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन सामान्य से कम होने के कारण विद्युत आपूर्ति में व्यापक रूप से कटौती किये जाने से उपभोक्ताओं को कठिनाई हो रही है तथा प्रदेश में गम्भीर विद्युत संकट उत्पन्न हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य राज्यों से व नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद कर प्रदेश की विद्युत वितरण व्यवस्था में सुधार करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां। प्रदेश में इस समय तापीय विद्युत उत्पादन सामान्य से कम हो रहा है। यदि प्रदेश का तापीय विद्युत उत्पादन सामान्य भी हो जाय तब भी प्रदेश की विद्युत मांग इतनी अधिक है कि उसे पूरा नहीं किया जा सकता है। इस विषम परिस्थिति में विद्युत प्रणाली को पूर्णतया ठप्प होने से बचाने के लिये आपातकालीन कटौती करनी पड़ रही है। विद्युत की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय विद्युत गृहों से प्रदेश के हिस्से से अधिक विद्युत का आयात किया जा रहा है और इस बात का पूरा प्रयास किया जा रहा है कि सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्धारित विद्युत आपूर्ति हो सके।

जनपद बांदा के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा प्रश्नकर्ता विधायक से अनौचित्यपूर्ण पत्राचार किये जाने पर कठोर चेतावनी

*10–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28-9-91 को भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा को लिखे गये पत्र के उत्तर में यह सूचित किया गया था कि विधान सभा क्षेत्र बांदा में उनकी इकाई द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है अतः प्रश्नकर्ता की शिकायत का प्रश्न स्वतः ही समाप्त हो जाता है? यदि हां, तो क्या अपने विधान सभा क्षेत्र के अतिरिक्त किसी अन्य क्षेत्र की शिकायत के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मांगी गयी जानकारी न उपलब्ध कराये जाने के विषय में शासन का कोई आदेश है? यदि नहीं, तो उक्त अधिकारी द्वारा यह रोक लगाने का क्या आधार है और इसके लिये उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही शासन द्वारा की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों।

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

जी नहीं ।

माननीय विधायक से किये गये अनौचित्यपूर्ण पत्राचार के लिये प्रश्नगत अधिकारी को कठोर चेतावनी दे दी गयी है ।

जनपद लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित अहिबरनपुर के पावर स्टेशन से संदर्भित लाइन को हटाने की मांग

*11–कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिवेणीनगर-3, सीतापुर रोड, अहिबरनपुर, लखनऊ से 11000 के० वी०, विद्युत लाइन जो अहिबरनपुर पावर स्टेशन से मलिहाबाद व बक्शी के तालाब की ओर जाती है उसे हटाने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री रविकान्त गर्ग–

संदर्भित लाइन को अन्यत्र हटाये जाने में अनुमानित व्यय रुपया 36 लाख आयेगा। भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82(4) में निहित प्राविधानों के अनुसार अनुमानित, प्राक्कलित धनराशि राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त होने पर संदर्भित लाइन को हटाने की कार्यवाही करना सम्भव है।

कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि वहां पर जो मकानों के ऊपर जो लाइनें हैं मैंने उसे हटाने की मांग अपने प्रश्न के माध्यम से की थी और माननीय मंत्री जी ने काफी घुमा फिराकर उसका उत्तर दिया है तो उन लाइनों को हटाने के सम्बन्ध में यह सरकार क्या कोई कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, संदर्भित [illegible] हजार के० वी० लाइन लगभग 20 वर्ष पूर्व बनायी गयी थी, उस समय त्रिवेणी नगर नाम की कोई कालोनी नहीं थी। यह कालोनी लगभग 10 वर्ष पूर्व बनी है, यह अविकसित कालोनी है और [illegible] भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 77, 79 व 82 के प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए तमाम अवैध रूप से निर्माण करा लिये हैं, इस संबंध में विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से अवगत भी कराया गया। इस प्रकार अवैध रूप से कराये गये निर्माण के लिये विद्युत लाइन को हटाये जाने का कोई प्राविधान नहीं है और दूसरी बात, लाइन जब कभी हटाई जाती है, तो विद्युत परिषद् के पास उसको हटाने की आंकलित धनराशि जमा करनी होती है, यदि किसी के द्वारा यह धनराशि जमा कराई जायेगी, तो इस पर विचार किया जायेगा।

(एक सदस्य द्वारा प्रश्न पूछने के लिये खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न पूछने से पहले अपना नाम बता दीजियेगा।

श्री नन्द राम–

मान्यवर मैं तो सन् 80 से आपका साथी हूं, मेरा नाम तो आपको मालूम ही होगा।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अपनी गलती को सुधार कर लिया है।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि लाइन पड़ जाने के बाद लोगों ने अवैध रूप से निर्माण करा लिया है । मैं पूछना चाहता हूं कि यदि कोई घटना घट जायेगी, तो उसकी जिम्मेदारी माननीय मंत्री जी की होगी, इसलिये क्या माननीय मंत्री जी किसी सम्भावित दुर्घटना से बचने के लिये कोई व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपने प्रश्न तो किया नहीं, केवल अपेक्षा प्रकट कर दी ।

श्री नन्द राम–

मान्यवर, मैंने प्रश्न ही किया है कि किसी प्रकार की घटना न होने पाये, ऐसी व्यवस्था करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पूर्व में ही निवेदन किया कि लाइन 20 साल पुरानी है और उसके बाद सारे अवैध निर्माण किये गये हैं । किसी भी अवैध निर्माण के लिये लाइन को हटाना कदापि न्यायोचित नहीं है और इस संबंध में आंकलित धनराशि किसी के द्वारा जमा करने पर ही विचार किया जायेगा।

श्री राम किशन ददाजू–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो 11 हजार के० वी० की लाइन ऊपर से पड़ी है, उसको धरती के नीचे से कराने की कृपा करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

जब लाइन धरती के नीचे डाल दी जायेगी, तो लोग उसके ऊपर भी अवैध निर्माण कर लेंगे, तो फिर क्या होगा।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में तमाम ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे विद्यालय, अस्पताल आदि, जहां से 11 हजार और 33 हजार के० वी० की लाइनें गुजर रही हैं, इन लाइनों को व्यवस्थित कराने की कृपा करेंगे, दूसरी बात जानना चाहता हूं कि विद्युतीकरण हेतु जो खम्भे लगे हैं, उनके नीचे लोगों ने तमाम अवैध निर्माण करा लिये हैं, उन प्लाटों को, अवैध निर्माण कार्यों को रोकने के लिये क्या कोई प्रभावी कदम उठायेंगे, जिससे जानमाल की क्षति न हो ?

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी यदि जवाब देना चाहें, तो दे दें, वैसे मूल प्रश्न से यह बिल्कुल अलग है।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, फिर भी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा के लिये अवगत करा दूं कि 33 के० वी० के लाइनों के अनुरक्षण की एक नियमित प्रक्रिया है। जहां कहीं भी और जब कभी भी इस प्रकार की कोई समस्या आती है तो नियमित रूप से उनका अनुरक्षण किया जाता है। अवैध निर्माण को रोकने के संबंध में जिम्मेदारी अन्य विभागों की होती है। हमने अपनी ओर से भी निर्देश भिजवाये हैं कि इस प्रकार के अवैध निर्माणों को रोका जाय ।

श्री कल्पनाथ–

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आजमगढ़ जनपद में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में एक ठिकाना बलाक है, जहां पर एक मशीन बहुत दिनों से खराब पड़ी है, जिससे किसानों को बहुत परेशानी हो रही है। माननीय मंत्री जी भी वहां स्वयं गये थे। मैंने भी माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया था, परन्तु आज तक वह मशीन ज्यों की त्यों पड़ी है। क्या माननीय मंत्री जी वहां पर उस मशीन को तत्काल ठीक करने या मशीन को लगाने की सोच रहे हैं। यदि हां, तो कब तक वह मशीन चालू हो जायेगी?

श्री उपाध्यक्ष–

इस प्रश्न का मूल प्रश्न से कहीं संबंध नहीं है।

श्री कल्पनाथ–

माननीय, किसानों की समस्या है। इस पर माननीय मंत्री जी कोई आश्वासन दे दें ताकि हम जाकर कह सकें कि आपकी बात सदन के पटल पर रख दी गयी है और वहां से इस प्रकार का आश्वासन मिला है।

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है। इसलिये मैं मंत्री जी से नहीं कह सकता कि वह इसका उत्तर दें।

डा० दिनेश जौहरी–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अवैध कालोनियों का निर्माण हुआ है। यह सही हो सकता है। परन्तु प्रदेश में कई ऐसी वैध कालोनियां हैं, जहां पर लाइनें ऊपर से गयी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी वहां पर जो लाइनें ऊपर से गयी हैं, और उसे लाइन को हटाने के लिये जो वहां पर फीस लेने की बात कही गयी है, उसे माफ करने पर आप विचार करेंगे?

श्री रविकान्त मर्मा–

माननीय, माननीय सदस्य ने किसी पार्टिकुलर बात की ओर इंगित नहीं किया है, इसलिये मैं इसकी गहराई में न जाकर माननीय सदस्य की जिज्ञासा के लिये यह बताना चाहता हूं कि इसके लिये मानक निर्धारित हैं कि इतनी ऊंचाई से 11 के० वी० की लाइन जायेगी और इतनी ऊंचाई से 33 के० वी० की लाइन जायेगी। आपके कहीं वैध कालोनी बनी हुई है तो उसका मानचित्र स्वीकार किया गया होगा और वह निर्धारित मानकों को अवश्य पूरा करता होगा।

श्री विजेन्द्र कुमार–

माननीय, माननीय मंत्री जी ने अवैध निर्माण के बारे में कहा, पहले तो मैं चाहता हूं कि वह इसे परिभाषित करें। दूसरा, उन्होंने मानक की बात कही है। स्थानीय निकायों के द्वारा जहां निर्माण हेतु परमीशन दी जाती है, उनके पास किसी प्रकार के निर्देश नहीं हैं। वहां से भवन निर्माण की स्वीकृति मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में माननीय मंत्री जी उन कालोनियों के बारे में क्या व्यवस्था करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री रविकान्त गर्ग–

माननीय सदस्य हमें बता दें। अवैध निर्माण को रोकने के लिये दूसरे विभाग हैं। माननीय सदस्य की अगर कोई शिकायत होगी तो हम उस पर उनसे बात कर लेंगे।

श्री किशन गोपाल–

माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि जहां इच्छा होगी वहां 11 हजार के० वी० की लाइन और जहां इच्छा होगी वहां 22 हजार के०वी० लाइन डालेंगे तो जिन क्षेत्रों में बिलकुल विद्युत नहीं है उन क्षेत्रों में भी विद्युत की व्यवस्था करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य मूल प्रश्न लाइन के संबंध में है और आपका जो प्रश्न है वह उससे हट कर है।

श्री किशन गोपाल–

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया कि जहां आवश्यकता होगी 11 हजार के० वी० की लाइन डालेंगे और जहां 22 हजार के० वी० की आवश्यकता होगी वहां 22 हजार की डालेंगे तो उन क्षेत्रों में जहां बिलकुल विद्युत नहीं है वहां भी इच्छानुसार विद्युत लाइन डालने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न मूल प्रश्न से हटकर है अगर माननीय मंत्री जी इच्छा व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, विद्युत की सुव्यवस्था के लिये एक सुनियोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्य किया जाता है इसमें किसी क्षेत्र विशेष के विषय में माननीय सदस्य बतायेंगे तो उसका परीक्षण कराकर कार्यवाही करेंगे।

श्री किशन गोपाल–

माननीय मंत्री जी ने कहा इच्छानुसार 11 हजार और 22 हजार के० वी० लाइन कर सकते हैं तो जहां बिल्कुल विद्युत नहीं है वहां की व्यवस्था भी करेंगे ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि मैंने इच्छानुसार नहीं आवश्यकतानुसार संसाधनों के उपलब्ध होने की बात कही।

श्री लाखीराम जोशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी कहा कि जहां हमारी पहले से लाइनें बिछी हुई हैं और उनके नीचे अवैध बस्तियां बस गयी हैं इसलिये लाइन हटाना सम्भव नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि टिहरी गढ़वाल जहां बहुत सारे बांधों की परियोजनायें चल रही हैं जैसे टिहरी बांध है उसमें विद्युत उत्पादन होगा। वहां पर सदियों पहले से गांव बसे हुए हैं अब उन गांवों के ऊपर से विद्युत लाइन बिछायी जा रही हैं। इसके कारण गांवों को वहां खतरा पैदा हो गया है। तो क्या उन गांवों की सुरक्षा के लिये शासन स्तर पर कोई कार्यवाही की जायेगी और भविष्य में इस प्रकार से लाइन बिछायी जायेंगी जिससे वहां गांवों को खतरा न हो।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य यह प्रश्न लखनऊ के त्रिवेणीनगर के संबंध में है और आपने इसे टिहरी गढ़वाल पहुंचा दिया । आपने माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कर दिया और उनका ध्यान आकर्षित हो गया होगा। यह जो आपका प्रश्न है वह मूल प्रश्न से हट कर है ।

श्री लाखीराम जोशी–

माननीय मंत्री जी ने कहा जहां लाइन पहले बिछ गयी और उसके बाद अवैध रूप से कालोनी बनी वहां लाइन हटाना सम्भव नहीं है। लेकिन टिहरी गढ़वाल में जहां बांध बन रहे हैं उसके बाद लाइन बिछाई जा रही है और वहां गांव बहुत पहले से बसे हुए हैं तो ऐसे गांवों की सुरक्षा के बारे में आवश्यक कदम उठाने की बात मैंने कही है तो क्या उन गांवों की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे? इस पर मैं व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न काल में व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता । आपका प्रश्न इससे हटकर है और अलग से प्रश्न लिख कर दे दें तो मंत्री जी जवाब दे देंगे ।

श्री विजेन्द्र कुमार–

ग्रामीण क्षेत्र में भवन निर्माण के परमीशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है इसलिये वहां जो लाइनें आ रही हैं उसके लिये कोई विशेष रियायत की क्या सरकार की कोई योजना है?

श्री उपाध्यक्ष–

आपका प्रश्न भी मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

(तारांकित प्रश्न संख्या 12 से 20 तक के माननीय सदस्यों के नाम श्री उपाध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर अनुपस्थित पाये गये)

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ की सोनपुर नहर और जरगों जलाशय से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की मांग

*12–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड राजगढ़ में सोनपुर नहर का निर्माण वर्ष 1974 से कराया जा रहा है और अभी तक वह नहर तैयार नहीं हो सकी है ? क्या यह सही है कि उक्त नहर और जरगों जलाशय के पास स्थित सोनपुर तथा अहिरुपुर आदि गांवों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध न हो पाने के कारण इस वर्ष धान की फसल सूख गयी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव की सिंचाई हेतु जरगों जलाशय से पानी पम्प करके सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

फसल सूखने की जानकारी विभाग को नहीं है ।

जी नहीं, जरगों बांध से पानी लिफ्ट करके उक्त क्षेत्र को सिंचाई सुविधा प्रदान करना तकनीकी एवं वित्तीय दृष्टि से अव्यवहारिक है। प्रश्न ही नहीं उठता ।

निर्माणाधीन सोनपुर नहर के पूर्ण होने पर सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में खरीफ का उत्पादन

*13–श्री हृदय नारायण दीक्षित (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में दोषपूर्ण नियोजन के कारण खरीफ के उत्पादन में रिकार्ड गिरावट आयी है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष 1991-92 के लिये उत्पादन लक्ष्य क्या थे और उत्पादन कितना हुआ है ? कम उत्पादन के प्रमुख कारण क्या हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

(क) जी नहीं । वर्ष 1990-91 तक खरीफ के उत्पादन में लगातार वृद्धि हुई है ।

(ख) वर्ष 1991-92 के लिये खरीफ खाद्यान्नोत्पादन का लक्ष्य 139.50 लाख मी० टन निर्धारित है । वास्तविक उत्पादन के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में स्थित बलरामपुर थर्मल पावर को चलाने की मांग

*14–श्री घनश्याम शुक्ल (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलरामपुर थर्मल पावर स्टेशन, जनपद गोण्डा को क्रय करने के लिये कोई प्रस्ताव बलरामपुर चीनी मिल ने राज्य विद्युत परिषद् को डिस्ट्रलरी कारखाना लगाने हेतु दिया हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बलरामपुर रियासत से जिस क्रय मूल्य पर यह पावर स्टेशन लिया गया था उतने ही मूल्य का प्रस्ताव आया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार बलरामपुर चीनी मिल के प्रस्ताव को अस्वीकृत करेगी और बलरामपुर थर्मल पावर स्टेशन को चलाने पर विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । केवल बलरामपुर स्थित पुराने बन्द पावर हाउस की भूमि को आवंटित करने हेतु बलरामपुर चीनी मिल लि० के पत्र दिनांक 27-1-91 तथा 20-3-91 द्वारा एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ।

उक्त पत्रो में बलरामपुर पावर स्टेशन क्रय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

चूंकि थर्मल पावर स्टेशन को क्रय करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है इसलिये इसे बेचने का प्रश्न नहीं उठता है । इस पावर हाउस को 1982 में भारतीय रेल विभाग द्वारा बलरामपुर में कोयला आपूर्ति करने में असमर्थता व्यक्त करने तथा संयंत्रों के अत्यधिक पुराने हो जाने के कारण बन्द किया गया था और अब इसे चलाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद पिथौरागढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति हेतु ट्रांसफार्मरों की व्यवस्था

*15–श्री लीला राम शर्मा (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में कुल कितने भिन्न-भिन्न के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर कब से खराब पड़े हैं तथा उनकी मरम्मत कब तक हो जायेगी? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला पिथौरागढ़ में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति हेतु कितने ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है और ये ट्रांसफार्मर कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

श्री लालजी टण्डन–

जनपद पिथौरागढ़ में 5 के० वी० ए० के 6 नग, 25 के० वी० ए० के 37 नग, 63 के० वी० ए० के 1 नग और 100 के० वी० ए० के 1 नग, कुल 45 नग, जले हुए ट्रांसफार्मर थे, जिनमें से 31 नग बदले जा चुके हैं। शेष 14 नग शीघ्र ही बदल दिये जायेंगे ।

उपरोक्त के अतिरिक्त जनपद में ग्रामीण क्षेत्रों के लिये 7 नग ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता और है जो माह फरवरी, 1992 तक उपलब्ध कराये जायेंगे।

जनपद फैजाबाद की तहसील टाण्डा में मुंसिफ न्यायालय की स्थापना

*16–श्री लालजी वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्च न्यायालय ने तहसील टाण्डा, जनपद फैजाबाद में मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने की स्वीकृति प्रदान की है? यदि हां, तो क्या शासन टाण्डा में मुंसिफ न्यायालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो उक्त न्यायालय की स्थापना कब तक की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की स्थिति को देखते हुए अभी मुंसिफ न्यायालय की स्थापना किया जाना सम्भव नहीं है।

राज्य मण्डी परिषद् द्वारा सोडियम लैम्प्स तथा वाष्पपम्प की खरीद में कथित घपले की जांच

*17–श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री नरेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि राज्य मंडी परिषद् में माह अक्टूबर, 1991 में सोडियम लैम्प्स तथा वाष्पपम्प की मुख्यालय से खरीद में कई लाख रुपये के घपले का मामला प्रकाश में आया है? यदि हां, तो मंडी परिषद् मुख्यालय का केयरटेकर/स्टोर कीपर कहां तक दोषी पाया गया है? क्या यह सही है कि इस स्टोर कीपर द्वारा अभी भी पचासों लाख रुपये की खरीद सिंगिल टेण्डर के आधार पर किया जाता है और यह सभी आपूर्ति आदेश मनमाने ढंग से अपने सगे संबंधियों को दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने पर विचार करेगी?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद आगरा की यमुना नदी पर प्रस्तावित बैराज का निर्माण कार्य

*18–श्री विजय सिंह राणा (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में प्रस्तावित यमुना नदी पर बनने वाले बैराज का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? क्या बैराज के लिये स्थल चयन का मामला अन्तिम रूप से निर्णित हो गया है? यदि हां, तो कहां? यदि बैराज का निर्माण यमुना के ऊपरी भाग में होगा तो क्या निचले भाग में वियर बनाया जायेगा? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आगरा में प्रस्तावित यमुना नदी पर बैराज का निर्माण केन्द्रीय जल आयोग का अनुमोदन प्राप्त होने एवं इस हेतु धन उपलब्ध होने पर प्रारम्भ किया जा सकेगा। जी हां, स्थल का चयन यमुना नदी पर ताजमहल से 8 कि०मी० ऊपर किया गया है।

यह मामला अभी विचाराधीन है।

जनपद लखनऊ में स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के ''सी'' ब्लाक के कतिपय मकानों की छतों से सटे विद्युत तारों को हटाने की मांग

*19–श्री राम प्रसाद सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी के ब्लाक ''सी'' मकान नं० 2105/7 के समाने व चारों ओर बिजली की लाइन के सजीव तार मकानों की छतों के इतने निकट जा चुके हैं कि उनके सम्पर्क से कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है ? क्या मंत्री जी उक्त तारों को मकानों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर अविलम्ब हटवायेंगे ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ स्थित इन्दिरा नगर कालोनी का विद्युतीकरण आवास एवं विकास परिषद् द्वारा किया गया था। इन्दिरा नगर ब्लाक ''सी'' का मकान नं० 2105/7 अल्प आय वर्ग के लिये बने मकानों के क्षेत्र में स्थित है। अल्प आय वर्ग के बने मकानों की विद्युत लाइन की ऊर्ध्वाधर एवं क्षितिज दूरी भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 79 के अनर्तगत सही थी क्योंकि उक्त अल्प आय वर्ग के मकान एक मंजिल के थे। उक्त मकान एवं इस क्षेत्र के अन्य मकान मालिकों ने भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82 के प्राविधानों का अनुपालन न कर मकानों का विस्तार करा लिया, जिसके कारण बिजली की लाइनों के सजीव तारों की मकानों की छतों से धारा 79 में दिये गये प्राविधानों के प्रतिकूल ऊर्ध्वाधर एवं क्षितिज दूरियां कम हो गयी, जो कि दुघर्टना का कारण बन सकती हैं।

संबंधित मकान मालिकों द्वारा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 की धारा 82(1) के तहत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सूचित कर उन्हें लाइन हटाने पर होने वाले व्यय की प्राक्कलित धनराशि सूचित कर दी जायगी। संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के उपरान्त मकानों से पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर लाइन हटाने का कार्य किया जा सकता है। मकान के मालिकों द्वारा प्राक्कलित धनराशि जमा करने के उपरान्त 6 महीने की अवधि में कार्य पूर्ण किया जा सकता है ।

मेसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स और मेसर्स इस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन के श्रमिकों को विद्युत परिषद् की भांति सुविधा का लाभ देने की मांग

*20–श्री लल्लू सिंह (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अनपरा तापीय परियोजना में जल आपूर्ति संस्थान में कार्यरत ठेका श्रमिकों को मेसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स, मेसर्स इस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा परिषद् के द्वारा नियोजित श्रमिकों की भांति समान कार्य का समान वेतन पद नाम, वार्षिक बढ़ोत्तरी, आवासीय व्यवस्था, राजपत्रित अवकाश, आकस्मिक अवकाश,

साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश, अनुग्रह धनराशि चिकित्सा की सुविधा आदि अन्य हितकारी लाभ नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में श्रम नियमों का पालन न करने वाली उक्त फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करेगी? उक्त ठेका श्रमिकों को उक्त सुविधायें कब से सुलभ करायेगी?

श्री लालजी टण्डन–

मेसर्स परफेक्ट इंजीनियरिंग वर्क्स को अनपरा की कालोनी में पेयजल आपूर्ति संयंत्र के परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य का ठेका दिया गया है तथा मेसर्स इस्टर्न इंजीनियरिंग कारपोरेशन को स्थायी फिल्ट्रेशन प्लांट के परिचालन एवं अनुरक्षण के कार्य का ठेका दिया गया है। उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् प्रिंसपल इम्प्लायर होने के नाते इन कार्यों में ठेकेदार द्वारा लगाये गये श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलवा रही है जो श्रम विभाग द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जाता है। ठेकेदार के श्रमिकों को परिषद् के श्रमिकों के समान वेतन, पदनाम, आवासीय व्यवस्था, राजपत्रित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, साप्ताहिक सवैतनिक अवकाश, अनुग्रह धनराशि चिकित्सा की सुविधा इत्यादि दिलवाना नियमनुसार परिषद् की जिम्मेदारी नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

1–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

2–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

3–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की श्रेणी–1 के पदों की सेवा नियमावली

4–श्री रमाकान्त यादव–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की श्रेणी–1के पदों की सेवा नियमावली नियम –5 में कार्मिक विभाग के अनुमोदन एवं भाषा विभाग से अनुवाद के पश्चात् एक उप नियम अनियमित रूप से बढ़ाकर शासन को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की गई ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषी अधिकरियों को दण्डित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

इस सम्बन्ध में की गयी छानबीन से यह निश्चित नहीं हो सका कि संदर्भित उप नियम किस स्तर से सम्मिलित किया गया किन्तु इस पर मंत्रि-परिषद् का अनुमोदन प्राप्त किया गया है और इस प्रकार सेवा नियमावली पूर्णतया नियमित है। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता।

गन्ना विभाग में रिक्त पदों पर जिला संवर्गीय मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की प्रोन्नति न देने का कारण

5–श्री अखिलेश–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग में विगत तीन वर्षों से जिला संवर्गीय मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की रिक्तियां होते हुए भी उपयुक्त कर्मचारियों की उन पदों पर प्रोन्नतियां नहीं की गईं ? यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो सेवानिवृत हो गये और समय से प्रोन्नति न किये जाने के कारण उस सुविधा से वंचित रह गये ? कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो वर्षो से रिक्त पदों पर प्रोन्नति न दिये जाने के कारण उक्त लाभ से वंचित हैं ? क्या सरकार सम्बन्धित मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों को रिक्त पदों पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति देने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

गन्ना विभाग में विगत तीन वर्षों से जिला संवर्गीय मिनिस्ट्रीयल कर्मचारियों की जो भी रिक्तियां हुई हैं, उनमें ज्येष्ठता एवं पात्रता के आधार पर कर्मचारियों के प्रोन्नति के मामलों पर विचार कर प्रोन्नतियां की गई हैं । पात्रता क्षेत्र में जो कर्मचारी नहीं आ सके उन्हें प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला । पदोन्नति की कार्यवाही निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है । रिक्तियां होने पर कार्यवाही यथा समय की जाती रहती है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

6–श्री अखिलेश

[दिनांक 26–2–92 को अता० प्र० सं०–59 द्वारा उत्तरित]

जनपद खीरी के पलिया ब्लाक में सुहेला नदी पर बांध बनाने की मांग

7–श्री निवेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद खीरी के पलिया ब्लाक के अंतर्गत सुहेला नदी पर लगभग 4 कि० मी० बांध की महती आवश्यकता को देखते हुए यह प्रकरण वर्ष 1991 के प्रारम्भ में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के सम्मुख प्रश्नकर्ता द्वारा रखा गया था और उस पर शासन द्वारा विस्तृत रिपोर्ट विभाग से मंगायी गयी थी ? यदि हां, तो रिपोर्ट के आधार पर अब तक कार्यवाही न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या मंत्री जी बांध की आवश्यकता को देखते हुए अविलम्ब बांध की व्यवस्था कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत मामले में विस्तृत सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है । विस्तृत सर्वेक्षण के पश्चात् योजना तैयार कर मुख्य अभियन्ताओं की समिति को प्रस्तुत किया जायेगा और समिति के निर्णय के बाद अग्रिम कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा ।

जनपद खीरी के ग्राम सभा परिहन में विद्युतीकरण की मांग

8–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि गत वर्ष जनपद खीरी के ग्राम परिहन के समस्त ग्रामों में एवं बेला परसुआ की हरिजन बस्तियों में प्रकाश व्यवस्था कराये जाने हेतु अम्बेदकर ग्राम चयनित सूची के अन्तर्गत व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त ग्रामों में प्रकाश की व्यवस्था करा दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त ग्रामों में प्रकाश व्यवस्था कब तक करा दी जायेगी?

श्री लालजी टण्डन–

ग्राम परिहन का विद्युतीकरण दिनांक 5-5-80 को किया जा चुका है तथा इसकी हरिजन बस्ती भी दिनांक 3-3-81 को विद्युतीकृत की जा चुकी है। ग्राम बेला परसुआ के विद्युतीकरण हेतु 10 किलोमीटर की 11 के० वी० लाइन, 2 किलोमीटर की एल० टी० लाइन एवं एक 25 के० वी० ए० क्षमता का 11/0.4 के० वी० विद्युत उप केन्द्र बनाना पड़ेगा। उपरोक्त कार्य पर लगभग रु० 9 लाख की लागत आयेगी। अतएव सीमित संसाधनों के कारण ग्राम बेला परसुआ का विद्युतीकरण अभी सम्भव नहीं प्रतीत होता है?

प्रदेश में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शनों का निर्धारित लक्ष्य

9–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अन्दर वर्ष 1990-91 के लिये विभिन्न योजनाओं के लिये निर्धारित बिजली के कनेक्शन के लक्ष्य पूरे कर लिये गये हैं? यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि किस-किस योजना की, कितनी-कितनी कनेक्शन आपूर्ति लक्ष्य की पूर्ति हुई है?

श्री लालजी टण्डन–

घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों को छोड़ कर अन्य योजनाओं के कनेक्शन पूरे कर लिये गये हैं।

पर्याप्त संसाधन उपलब्ध न होने के कारण घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों का लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है।

विभिन्न श्रेणियों के लिये लक्ष्य एवं प्रगति निम्नलिखित रही :–

श्रेणी	लक्ष्य	प्रगति
1–निजी नलकूप	15,100	17,914
2–औद्योगिक	4,680	5,249
3–वाणिज्यिक एवं घरेलू	2,20,000	1,95,592

जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर के अन्तर्गत बहने वाली गरई नदी में आने वाली बाढ़ से प्रभावित गांवों की संख्या तथा उससे निराकरण का उपाय

10–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर में बहने वाली गरई नदी में आने वाली बाढ़ से पचासों गांव प्रतिवर्ष प्रभावित होते हैं? यदि हां, तो क्या यह सही है

कि उक्त नदी में बाढ़ आने का मुख्य कारण उसमें उगे बेहया की झाड़ियां हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त झाड़ियों की सफाई कराकर बाढ़ का निराकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, गरई नदी की बाढ़ से जनपद मिर्जापुर के विकास खण्ड जमालपुर के लगभग 55 ग्राम प्रभावित होते हैं।

जी नहीं। बेहया की झाड़ियों से प्रवाह बाधित होता है परन्तु बाढ़ आने का मुख्य कारण अपर्याप्त जल-प्रवाह क्षमता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में स्थित तापीय विद्युत परियोजना हरदुआगंज (कासिमपुर) में विद्युत उत्पादन बढ़ाने की मांग

11 –श्री सुरेश प्रताप गांधी तथा श्री दलवीर सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि तापीय विद्युत परियोजना (कासिमपुर), जनपद अलीगढ़ की विभिन्न इकाइयों की अधिष्ठापित क्षमता क्या है ? इसके विपरीत उनमें कितना उत्पादन हो रहा है? इकाइयों के बन्द होने या उत्पादन सामान्य से कम होने के कारण क्या हैं ? क्या यह सही है कि त्रुटिपूर्ण नीति निर्धारण व आवश्यक संसाधनों की कमी से इस तापीय विद्युत गृह का उत्पादन आधे से भी कम रह गया है ? यदि हां, तो क्या व्यवस्था में आवश्यक सुधार कर विद्युत उत्पादन बढ़ायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह की अधिष्ठापित क्षमता एवं उसके समक्ष औसत विद्युत उत्पादन निम्नवत् रहा है :––

ता० वि० मू०	इकाई सं०	अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)	अवक्षरित क्षमता (मे० वा०)	उत्पादन (मे० वा०) औसत अक्टू० 91	नव० 91	दिस० 91
"अ" विद्युत	1	30	–	–	–	–
गृह	2	30	–	–	–	–
	3	30	30	–	–	–
"ब" विद्युत	1	50	40	25	15	2
गृह	2	50	40	–	–	–
	3	55	55	–	–	–
	4	55	55	19	13	17
"स" विद्युत	5	60	60	29	26	8
गृह	6	60	60	13	5	17
	7	110	105	35	22	21

प्रश्नगत कम उत्पादन के कारण निम्नवत् हैं :--

(1) इस परियोजना की कई इकाइयां अपना उपयोगी जीवन पूर्ण कर चुकी हैं और इन इकाइयों से पुनः सामान्य उत्पादन प्राप्त करने हेतु विस्तृत नवीनीकरण किये जाने की आवश्यकता है जो धनाभाव के कारण सम्भव नहीं है।

(2) इस परियोजना को अत्यन्त निम्न गुणवत्ता वाले कोयले की लगातार आपूर्ति होने से भी विद्युत उत्पादन में गिरावट आयी है।

परियोजना की कई इकाइयां, जो अपना उपयोगी जीवन पहले ही पूर्ण कर चुकी हैं, पर धनाभाव के कारण नवीनीकरण कार्य किया जा पाना संसाधनों की कमी व कोयले की दोषपूर्ण आपूर्ति से विद्युत उत्पादन में काफी कमी आयी है।

जी हां।

12–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

13–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[4थे बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद खीरी की तहसील निघासन के ब्लाक पलिया में सुहेली नदी पर बांध के निर्माण की मांग

14–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद खीरी की तहसील निघासन के ब्लाक पलिया में सुहेली नदी के उफान के कारण पर्वतीय घाट से लोहरा के बीच बांध के निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 1991 में तत्कालीन सिंचाई मंत्री के आदेशानुसार कोई योजना जिला स्तर पर तैयार करके शासन को भेजी गयी थी? यदि हां, तो उक्त बांध का निर्माण अभी तक न कराये जाने के कारण क्या हैं? उक्त बांध का निर्माण कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद खीरी की तहसील निघासन में ब्लाक पलिया में सुहेली नदी पर बांध निर्माण कराये जाने हेतु वर्ष 1991 में कोई योजना जिला स्तर पर तैयार करके शासन को नहीं भेजी गयी थी।

प्रश्नगत क्षेत्र के सर्वेक्षण के आदेश दे दिये गये हैं। सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण होने पर यह ज्ञात हो सकेगा कि कोई योजना तकनीकी दृष्टि से ग्राह्य होगी अथवा नहीं। अतः बांध के निर्माण के लिये कोई तिथि दिया जाना सम्भव नहीं है।

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति में मृतक आश्रित नियमावली का पालन

15–श्री लालजी वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1983 में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कुछ मृतक आश्रित कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी? यदि हां, तो

क्या उक्त नियुक्ति में मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का पालन किया गया है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त नियमावली का परिपालन कराने का आदेश करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने में मृतक आश्रित नियमावली, 1974 का परिपालन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई को विद्युत कटौती से अवमुक्त करने की मांग

16–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आबादी के अनुसार उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विद्युत कटौती के लिये जनपदों की श्रेणी का गठन किया गया था? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उन श्रेणियों में आने वाले निम्न स्तर के जिले रायबरेली, सुल्तानपुर व अलीगढ़ जो हरदोई जनपद के समकक्ष हैं विद्युत कटौती से अवमुक्त हैं? यदि हां, तो हरदोई जनपद को इस श्रेणी में न रखने का क्या कारण है?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा विभिन्न नगरों की विद्युत आपूर्ति का आधार उनकी 1981 की जनगणना एवं उनका महत्व है। जो नगर जिला मुख्यालय हैं या जिन नगरों की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 60,000 से अधिक है उन्हें जिला मुख्यालय नगर का स्तर दिया गया है। जिन नगरों की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 2,50,000 से अधिक है या उन्हें शासन द्वारा विशेष श्रेणी नगर घोषित किया गया है ऐसे नगरों को विशेष श्रेणी नगर का स्तर दिया गया है। कुछ नगर जिनकी जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 2,50,000 से कम है उन्हें राज्य सरकार ने विशेष श्रेणी नगर का दर्जा दिया है। ऐसे नगर रायबरेली, सुल्तानपुर, हरिद्वार, देवबन्द, मुगलसराय, रामनगर आदि हैं। अलीगढ़ नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 3,19,981 है और इसे जनसंख्या के आधार पर ही विशेष श्रेणी नगर का स्तर प्राप्त है। हरदोई नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार केवल 82,617 है और इसे जिला मुख्यालय स्तर प्राप्त है। कोई भी नगर स्थायी रूप से विद्युत की आपातकालीन कटौती से मुक्त नहीं है। जब भी विद्युत की उपलब्धता मांग के सापेक्ष बहुत कम होती है तब प्रदेश की विद्युत प्रणाली को पूर्णतया क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिये विशेष श्रेणी नगरों की भी आपातकालीन कटौती करायी जाती है। चूंकि हरदोई नगर की जनसंख्या 1981 की जनगणना के अनुसार 2,50,000 से कम है इसलिये इस नगर को विशेष श्रेणी में नहीं रखा गया है।

17–18–श्री राम स्वरूप वर्मा–

[मा० सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित]

जनपद अलीगढ़ के भिंतर ग्राम में जल की उपलब्धता हेतु अन्वेषणात्मक छिद्रण कार्य कराने हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् से अनुरोध

19–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद अलीगढ़ के ग्राम भिंतर में भूगर्भ जल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण अत्यन्त आवश्यक, राजकीय नलकूप लगाने हेतु छिद्रण कार्य

नहीं कराया जा सका, क्या भिंतर ग्राम तथा आसपास के ग्रामों में सिंचाई की कोई व्यवस्था न होने के कारण इस क्षेत्र में कई नलकूपों के लगाये जाने की सम्भावनायें हैं? क्या विश्व बैंक नलकूप का एक कलस्टर भी इस क्षेत्र में प्रस्तावित था? क्या यह सही है कि जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति तथा जनपद की सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति की बैठकों में भी सर्वसम्मत प्रस्ताव से भिंतर ग्राम में नलकूप लगाने की संस्तुति की गयी है? क्या अन्वेषणात्मक कार्य कराकर भूगर्भ जल की उपलब्धता सुनिश्चित करायेंगे? यदि हां, तो कब तक?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। ग्राम भिंतर में भूगर्भ जल की उपलब्धता सुनिश्चित न हो पाने के कारण नवीन नलकूप का छिद्रण कार्य नहीं कराया जा सका।

क्षेत्र में उपयुक्त भूगर्भ जल की उपलब्धता अनिश्चित होने के कारण नलकूप लगाये जाने सम्भव नहीं हैं।

ब्लाक हसायन में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत नलकूपों हेतु प्रारम्भिक सर्वेक्षण कराया गया था जिसके अनुसार नलकूपों का कलस्टर (समूह रूप में) लगाना सम्भव नहीं पाया गया।

जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति से भिन्तर ग्राम में नलकूप लगाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ एवं जिला सलाहकार समिति ने भी नलकूप लगाने की संस्तुति की। परन्तु उक्त ग्रामों में उपयुक्त भूगर्भ जल स्ट्रेटा उपलब्ध न होने के कारण नलकूप का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो सका।

भूगर्भ जल की उपलब्धता के संबंध में अन्वेषणात्मक छिद्रण कराने हेतु केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद् से अनुरोध किया गया है।

प्रदेश के अन्तर्गत चीनी निगम की मिलों में जी० एम० के पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखे गये अधिकारियों की संख्या एवं औचित्य

20–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी निगम की कितनी मिलें हैं? इसमें कितनी मिलों में निगम के बाहर के अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर जी० एम० के पद पर रखे गये हैं? कितनी मिलों में निगम के अधिकारी जी० एम० पद पर हैं? प्रतिनियुक्ति पर रखे जाने का क्या औचित्य है?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की 35 मिलें हैं। इसमें से 12 मिलों में सामान्य प्रबन्धक वाह्य सेवा पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। शेष 23 चीनी मिलों में निगम के अधिकारी सामान्य प्रबन्धक के पद पर कार्यरत हैं। सामान्य प्रबन्धक के रिक्त पदों पर अविलम्ब कार्यहित को दृष्टिगत रखते हुए अनुभवी एवं सक्षम अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा जाता है।

जनपद कानपुर के विद्युत वितरण खण्ड केसा में अधीक्षण अभियन्ता व सहायक अभियन्ता की गृह जनपद मे तैनाती का विवरण

21–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चरनजीत सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर जोन, श्री आर० के० मिश्र, श्री पी० एन० अवस्थी, श्री परमजीत सिंह, श्री हर भजन सिंह, श्री पी० के० टण्डन, श्री ओ० एन० मिश्रा, श्री श्रवन पाण्डेय, सभी सहायक अभियन्ता, केसा एवं श्री पी० एन० अवस्थी, सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर श्री एस० एन० बाजपेयी, सहायक अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, कानपुर अपने गृह जनपद में ही नियुक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में उल्लिखित अधिकारियों के विषय में विवरण निम्नवत् है :—

श्री चरन जीत सिंह, अधीक्षण अभियंता का गृह जनपद "कानपुर शहर" है। वह सम्प्रति मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, कानपुर से सम्बद्ध अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कार्यरत हैं और मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, कानपुर के कार्यक्षेत्र में "कानपुर शहर" जनपद नहीं आता है। अतएव श्री चरनजीत सिंह का गृह जनपद "कानपुर शहर" ही होना उनकी वर्तमान तैनाती में कदापि बाधक नहीं है।

इसी प्रकार सर्वश्री पी० एन० अवस्थी और एस० एन० बाजपेयी, सहायक अभियन्ता का गृह जनपद क्रमशः कानपुर देहात और "कानपुर नगर" है जब कि वे लोग क्रमशः कानपुर नगर जनपद तथा कानपुर देहात जनपद में नियुक्त हैं। इस प्रकार इन दो सहायक अभियन्ताओं का कार्यक्षेत्र भी इनका गृह जनपद नहीं है।

प्रश्न में उल्लिखित श्री श्रवण पाण्डेय नाम के कोई सहायक अभियन्ता वर्तमान में परिषद् में नहीं हैं। श्री श्रवण परती नाम के एक सहायक अभियन्ता अपने गृह जनपद "कानपुर नगर" में नियुक्त हैं।

शेष छः सहायक अभियन्ता अपने गृह जनपद "कानपुर नगर" तथा "कानपुर देहात" जनपद में तैनात हैं। इनमें से श्री ओ० एन० मिश्रा, सहायक अभियन्ता को वर्ष 1990 में लखनऊ स्थानान्तरित किया गया है। यह आदेश दि० 30-4-92 तक स्थगित है और तत्पश्चात् प्रभावी होंगे।

परिषदीय नीति के अनुसार अभियन्ता अधिकारियों को वितरण क्षेत्र में उनके गृह जनपद में नहीं तैनात करने के यथासम्भव प्रयास किये जाते हैं परन्तु अपवाद स्वरूप कभी-कभी उपरोक्त नीति का परिपूर्णता में पालन नहीं हो पाता है।

छः सहायक अभियन्ता जो अपने गृह जनपद में तैनात हैं, उन्हें इस वर्ष स्थानान्तरण सत्र में उनके गृह जनपद से स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तथा श्री ओ० एन० मिश्रा को दिनांक 30-4-92 के बाद इस सत्र में पूर्व आदेशों के अनुपालन में कार्यमुक्त कर दिया जायेगा।

जनपद कानपुर, केसा व पनकी में कतिपय सहायक अभियन्ताओं की तैनाती अवधि का विवरण

22–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बतानें की कृपा करेंगे कि श्री ए० के० निगम, सहायक अभियन्ता, श्री पी० एन० अवस्थी, सहायक अभियन्ता एवं श्री आलोक कुमार, सहायक अभियन्ता पिछले सत्रह वर्षों के मध्य केसा, पनकी, कानपुर में कितने दिनों से हैं? क्या यह सत्य है कि श्री आलोक कुमार, सहायक अभियन्ता स्थानान्तरण के पश्चात् भी कार्यमुक्त नहीं हुए हैं? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्न में नामित सहायक अभियन्ता सर्वश्री

(1) ए० के० निगम, सहायक अभियन्ता के रूप में लगभग कुल 17 वर्षों के सेवाकाल में से लगभग 12 वर्ष पनकी परि० में एवं अगस्त, 1988 से केसा, कानपुर में नियुक्त हैं।

(2) प्रेम नारायण अवस्थी, सहायक अभियन्ता के रूप में कुल 15 वर्षों (लगभग) के सेवाकाल में से लगभग 11 वर्षों तक पनकी परियोजना में एवं जुलाई, 1989 से केसा, कानपुर में नियुक्त हैं।

(3) आलोक कुमार, सहायक अभियन्ता के रूप में कुल लगभग 14 वर्षों के सेवाकाल में से लगभग 11 वर्षों से केसा, कानपुर में नियुक्त हैं।

जी हां। श्री आलोक कुमार, सहायक अभियन्ता का स्थानान्तरण हो गया है तथा कार्य के हित में यह आदेश दिनांक 30-4-92 तक स्थगित है।

जनपद कानपुर के केसा व पनकी में अधिक समय से कार्यरत अभियन्ताओं के स्थानान्तरण न किये जाने का कारण

23–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री केशव सिंह, अधिशासी अभियन्ता, कानपुर, श्री ए० एन० शुक्ल, केसा, पनकी, कानपुर में अधि० अभियन्ता, श्री राम राज सिंह, अधि० अभियन्ता, केसा, श्री टी० सी० कालरा, अधि० अभियन्ता, कानपुर, श्री हरिश्चन्द्र, अधि० अभियन्ता, कानपुर, श्री आर० के० मिश्र, अधि० अभियन्ता, कानपुर, श्री चरणजीत सिंह, अधीक्षण अभियन्ता, कानपुर एवं श्री डी० आर० शाह, सहायक अभियन्ता, कानपुर में कितने दिनों से हैं? यह सभी अधिकारीगण अपनी सेवाकाल के अब तक के जीवन में कुल कितने दिनों केसा/पनकी, कानपुर में हैं? क्या इनके लिये किसी स्थानान्तरण का नियम लागू होता है? यदि हां, तो इनका स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं?

श्री लालजी टण्डन–

श्री केशव सिंह वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में तीन वर्ष पांच महीने से तैनात हैं तथा पूर्ण सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की कुल अवधि 18 वर्ष 5 महीने है।

श्री अखिलेश नरायन शुक्ला वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में चार वर्ष से तैनात हैं तथा पूर्ण सेवाकाल में केसा/पनकी/कानपुर में इनकी तैनाती की कुल अवधि 13 वर्ष है।

श्री राम राज सिंह वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में आठ वर्ष 6 महीने से तैनात हैं तथा सम्पूर्ण सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की कुल अवधि 9 वर्ष 7 महीने है।

श्री टेक चन्द कालरा वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में तीन वर्ष 6 महीने से तैनात हैं तथा पूर्ण सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की अवधि कुल 18 वर्ष 4 महीने है।

श्री हरिश्चन्द्र वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में 6 वर्ष 6 महीने से तैनात हैं तथा पूर्ण सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की कुल अवधि 9 वर्ष 6 महीने है।

श्री राजेन्द्र कुमार मिश्र वर्तमान में अधिशासी अभियन्ता के पद पर कानपुर में 9 वर्ष 7 महीने से तैनात हैं तथा पूर्ण सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की कुल अवधि 12 वर्ष 11 महीने है।

श्री चरण जीत सिंह, अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कानपुर में छः वर्ष 7 माह से तैनात हैं। अपने पूरे सेवाकाल में केसा/कानपुर में इनकी तैनाती की अवधि 11 वर्ष 2 माह है।

श्री डी० आर० शाह, सहायक अभियन्ता, केसा, कानपुर में दिनांक 23-7-77 से मध्य अगस्त, 1991 तक रहे। श्री डी० आर० शाह लगभग 17 वर्ष के सेवाकाल में से लगभग 14 वर्ष तक पनकी/केसा, कानपुर में नियुक्त रहे।

जी हां, इनके लिये समय-समय पर परिषद्/शासन द्वारा जारी किये गये स्थानान्तरण नियम लागू होते हैं तथापि केसा/पनकी, कानपुर में अधिकांशतः अभियन्ता ऐसे थे जिन्हें वहां तैनात हुए पर्याप्त समय हो चुका था और उक्त स्थानान्तरण नीति के आधार पर उन सभी को एक साथ स्थानान्तरित कर देने पर केसा/पनकी के अनुभवी अधिकारियों की कमी हो जाती। अतएव विगत में ऐसे अभियन्ताओं को केसा/पनकी से स्थानान्तरित करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि उनमें से उनकी तैनाती काल के वरिष्ठताक्रम के आधार पर ही उन्हें स्थानान्तरित किया जाय। अब शेष अभियन्ताओं को आगामी सत्र में स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा।

श्री डी० आर० शाह के स्थानान्तरण आदेश वर्ष 1988में निर्गत कर दिये गये थे जिनके अनुपालन में उन्होंने दिनांक 16-8-91 को सामग्री प्रबन्ध, लखनऊ में कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

जनपद कानपुर केसा/पनकी के अधीक्षण अभियन्ता श्री टी० पी० गुप्ता तथा श्री नन्द लाल ,अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध चल रही जांच का विवरण

24–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टी० पी० गुप्ता, अधि० अभियन्ता एवं श्री नन्द लाल, अधि० अभियन्ता, केसा/पनकी, कानपुर में अपने सेवा काल के प्रारम्भ से अब तक कितने वर्षों तक रहे हैं? इतने दिनों तक एक ही स्थान पर रखने का क्या औचित्य है जबकि इन दोनों अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता विभाग से जांच चल रही है? क्या मंत्री यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि यह जांच सतर्कता विभाग के कौन से अधिकारी कब से कर रहे हैं? अब तक के जांच के आधार पर कौन सी कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन–

श्री टी० पी० गुप्ता 16 वर्ष 4 माह तथा श्री नन्द लाल 6 वर्ष 6 माह तक तैनात रहे हैं। श्री गुप्ता केसा में अधिशासी अभियन्ता के वर्तमान स्थान पर 4 वर्ष से और श्री नन्द लाल 6 वर्ष 6 माह से तैनात हैं। विद्युत परिषद् में इस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि किसी अधिकारी/कर्मी के एक इकाई/संगठन में तैनाती के पश्चात् स्थानान्तरित होने पर पुनः कभी उस इकाई/संगठन में तैनाती न की जाय। मात्र सतर्कता जांच चलते रहने के आधार पर किसी अधिकारी को स्थानान्तरित करने का कोई प्राविधान नहीं है।

पुलिस महानिरीक्षक (सतर्कता), उ० प्र०, राज्य विद्युत परिषद् यह जांच 28-8-90 से कर रहे हैं। जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी के विद्युत वितरण खण्ड शारदा नगर में विद्युतीकरण हेतु प्राप्त अभ्वेदनों का विवरण

25–श्री बाला प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड शारदा नगर, लखीमपुर खीरी में 1 जनवरी, 1991 से कितने आवेदन पत्र निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत करने, लाइट फैन कनेक्शन देने,

उद्योगों को ऊर्जीकृत करने आदि के संबंध में अक्टूबर, 1991 तक प्राप्त हुए हैं? आवेदन पत्रों पर कितने दिवस के अन्दर विद्युत कनेक्शन दिया गया है और प्रत्येक उपभोक्ताओं का कितना आगणन आया है और कितने आवेदन पत्र का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ है? निस्तारण कितने दिन में करने के नियम हैं? यदि अधिक समय से आवेदन पत्र लम्बित हैं तो सरकार अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड तथा संबंधित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण खण्ड शारदानगर, लखीमपुर खीरी में 1 जनवरी, 1991 से अक्टूबर, 1991 तक विद्युतीकरण हेतु प्रश्नगत विभिन्न श्रेणियों के निम्नलिखित आवेदन पत्र प्राप्त हुए :—

क्र० सं०	श्रेणी	आवेदन पत्र की संख्या
1	निजी नलकूपों	90
2	लाइट फैन	502
3	उद्योग	10

उपरोक्त में से प्रश्नगत अवधि में लाइट फैन के 452 कनेक्शन, नलकूप के 69 कनेक्शन तथा उद्योग के सभी 10 कनेक्शनों को दिया जा चुका है। यह सभी कनेक्शन वर्तमान नियमों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही दिये गये। लाइट फैन के शेष बचे हुए 50 अदद कनेक्शनों को उक्त अवधि में इसलिये नहीं दिया जा सका क्योंकि उक्त 50 अदद आवेदकों ने आगणन की धनराशि एवं अन्य वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की थीं। निजी नलकूप के 21 मामले लम्बित थे जिनमें से 10 कनेक्शनों को माह नवम्बर, 1991 में दिया जा चुका है एवं अवशेष 11 नलकूप के आवेदकों द्वारा नियमानुसार भंडार से अपने कार्य स्थल तक सामान नहीं ले जाया गया है जिसके कारण कनेक्शन नहीं दिये जा सके हैं। प्रश्नगत अवधि में माहवार विभिन्न श्रेणी के आवेदन पत्रों के निस्तारण की स्थिति को संलग्न तालिका में दर्शाया गया है। नलकूप कनेक्शन जोकि अधिकांशतः पांच अश्व शक्ति के होते हैं तथा शासन द्वारा फ्री लाइन की छूट के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनकी सर्विस लाइन दस मीटर से अधिक न हो उनके लिये धनराशि रु० 815 का आगणन आता है। पंखा बत्ती के एक किलोवाट के कनेक्शनों में जिसमें मात्र केबिल सर्विस होती है उनमें धनराशि रु० 425 एवं उद्योग हेतु दस अ० श० के कनेक्शनों जिसमें मात्र दस मीटर की केबिल सर्विस लगनी होती है, धनराशि रु० 2,775 का आगणन प्रत्येक उपभोक्ता पर आता है, इसमें प्रतिभूति की राशि भी शामिल है।

वर्तमान नियमानुसार निजी नलकूपों एवं उद्योगों के कनेक्शनों हेतु आगणन के अनुसार वांछित धनराशि एवं अन्य औपचारिकतायें पूर्ण करने के 3 माह के अन्दर तथा लाइट फैन के कनेक्शनों को आगणन की जमा धनराशि के साथ वांछित औपचारिकतायें पूर्ण करने के एक माह के अन्दर दे देने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 121 पर)

जनपद लखीमपुर खीरी, गन्ना विकास निरीक्षक, श्री हरिनाम सिंह राना की पदोन्नति

26–श्री बाला प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हरिनाम सिंह राना, गन्ना विकास निरीक्षक क्रय-विक्रय, लखीमपुर खीरी पहले गन्ना अनुसंधान विभाग में मात्र लिपिक थे और तत्कालीन आयुक्त, गन्ना ने इनकी पदोन्नति गन्ना विकास निरीक्षक के पद पर बिना शासन की अनुमति के कर दिया जबकि गन्ना विकास निरीक्षक के पद का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा होता है? यदि हां, तो क्या सरकार श्री राना के अवैध पदोन्नति पर विचार करेगी और इन्हें मूल पद पर वापस किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

27–श्री घनश्याम शुक्ल–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद देवरिया शोध संस्थान, सेवरही की बैलेन्स शीट में हेरा-फेरी की शिकायत एवं जांच की मांग

28–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शोध संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया की बैलेन्स शीट में काफी हेरा-फेरी की गयी है? क्या यह सही है कि श्री वंका सिंह रिटायर्ड व्यक्ति द्वारा बैलेन्स शीट बनायी गयी है। क्या यह सही है कि लाखों की हेरा-फेरी कर वास्तविक व्यय को छिपाने के साथ-साथ शासन को गुमराह करने का प्रयास किया गया है? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर वास्तविक तथ्य से सदन को अवगत करायेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया के गन्ना प्रजनन संस्थान, सेवरही के सलाहकार डा० एच० एन० सिंह व पुस्तक विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन द्वारा विदेश यात्रा के दौरान की गयी विदेशी मुद्रा संबंधी हेरा-फेरी की जांच रिपोर्ट तथा डा० सिंह के विरुद्ध कार्यवाही का विवरण

29–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एच० एन० सिंह, सलाहकार, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन संस्थान, सेवरही, जनपद देवरिया द्वारा वर्ष 1989-90 में विदेश यात्रा की गयी थी? कुल कितनी विदेशी मुद्रा डा० सिंह को दी गयी थी? क्या यह सही है कि दिल्ली के किताब विक्रेता श्री नरेश कुमार जैन भी डा० सिंह के साथ विदेश यात्रा पर गये थे? क्या यह सही है कि श्री नरेश कुमार जैन ने

करोड़ों रुपये की पुरानी किताबों की आपूर्ति संस्थान सेवरही को की है? क्या यह सही है कि इस प्रकरण में विदेशी मुद्रा की काफी हेरा-फेरी की गयी है? क्या सरकार इस प्रकरण की जांच कराकर वास्तविक तथ्य को सदन के समक्ष रखेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

30–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डा० एच० एन० सिंह, संलाहकार, गेंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान संस्थान, सेवरही, देवरिया के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच हुई है? यह जांच कब प्रारम्भ हुई? यदि हां, तो श्री सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

दिनांक 12-7-90 के आदेश द्वारा गोपनीय छानबीन करायी गयी, जिसकी आख्या प्राप्त हो गयी है और शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

31–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसंधान संस्थान, सेवरही, देवरिया के मंत्रिमण्डल के निर्णय दिनांक 3-7-91 के परिपेक्ष्य में अभी तक सेवा मुक्त क्यों नहीं किया गया? क्या यह सही है कि डा० सिंह की पुनर्नियुक्ति संविदा के आधार पर की गयी थी? क्या यह सही है कि मंत्रिमण्डल के निर्णय के अनुसार पुनः नियुक्ति तथा संविदा आधार की नियुक्ति आच्छादित है?

श्री हनुमन्त सिंह–

डा० एच० एन० सिंह की सेवायें संविदा पर थी जो दिनांक 7-1-92 के आदेशों द्वारा समाप्त कर दी गयी और उन्हें दिनांक 10-1-92 के प्रभाव से कार्यमुक्त कर दिया गया।

जी हां।

उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना विकास समितियों में आरक्षण का कोटा पूर्ण करने की मांग

32–श्री नन्द राम–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 168 सहकारी गन्ना विकास समितियों में कितने अनु० जाति के सचिव कार्यरत हैं? क्या शासन के आदेश द्वारा आरक्षित कोटा पूरा है? यदि नहीं, तो क्यो? क्या सरकार उक्त कोटा पूर्ण करेगी।

श्री हनुमन्त सिंह–

उ० प्र० में 158 सहकारी गन्ना विकास समितियों में 13 अनुसूचित जाति के सचिव कार्यरत हैं।

सहकारी गन्ना समितियों के सचिव के पद पर गन्ना विकास विभाग तथा उ० प्र० सहकारी गन्ना समिति संघ के विभिन्न संवर्गों के कर्मचारी/अधिकारी तैनात किये जाते हैं, अतः सचिव का कोई कोटा आरक्षित नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के सिंचाई विभाग में ऊर्जीकृत नलकूपों का विवरण

33–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर में सिंचाई विभाग में कितने नलकूप ऐसे हैं जो एक वर्ष से ऊर्जीकृत हैं परन्तु अब तक सिंचाई के लिये प्रारम्भ नहीं किये गये हैं। क्या इनका विद्युत बिल दिया जायेगा? यदि हां, तो सिंचाई न करने से प्रदेश के उपभोक्ताओं को जो हानि हुई है उसका जिम्मेदार कौन है ? क्या दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत शाहजहांपुर जनपद में ऐसा कोई नलकूप नहीं है जो गत एक वर्ष से ऊर्जीकृत हो, परन्तु सिंचाई के लिये प्रारम्भ न किया गया हो। अतः इनके विद्युत बिल के भुगतान न करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति के काश्तकरों के खेतों में बनाये गये बन्धे का कार्य विवरण

34–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा वर्ष 1989-90. 1990-91 में डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत ब्लाक तिन्दवारी में किस-किस गांव में किन-किन अनुसूचित जाति के काश्तकारों के खेत में बन्धे बनाये गये हैं और कितने मानव दिवस कार्य हुआ है? क्या ट्रैक्टर के द्वारा कार्य कराया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या मस्टर रोल फर्जी बनाकर सरकारी धन का गबन किया गया है? यदि नहीं, तो कार्य विवरण क्या है?

श्री गंगा भक्त सिंह–

डी० पी० ए० पी० योजना द्वारा ब्लाक तिन्दवारी में चार ग्रामों में सत्तरह अनुसूचित जाति के काश्तकारों के खेतों में बन्धे बनाये गये हैं। 2359 मानव दिवस सृजित हुए।

(सूची संलग्न)।

जी नहीं ।

भूमि संरक्षण कार्य दैनिक श्रमिकों द्वारा ही कराया गया है।

जी नहीं, कार्य विवरण संलग्न सूची में है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 122 पर)

35–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया ।]

जनपद देवरिया के सलेमपुर, लार, भटनी, भाटपाररानी व भलुअनी विकास खण्डों के समस्त ग्रामों का विद्युतीकरण करने की मांग

36–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अंतर्गत विकास खण्ड सलेमपुर, लार, भाटपाररानी, भटनी और भलुअनी में अब तक कितने गांव का विद्युतीकरण किया जा चुका है ? कुल कितने गांव चयनित किए गए हैं व उन गांवों का नाम क्या हैं ? क्या उक्त विकास खण्डों के सभी गांवों का विद्युतीकरण कराने का विचार सरकार के विचाराधीन् है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनवरी 1992 के अन्त तक जनपद देवरिया के अंतर्गत विकास खण्ड सलेमपुर में 149, लार में 81, भाटपाररानी में 97, भटनी में 82 तथा भलुअनी में 106 गावों की विद्युतीकरण किया जा चुका हैं ।

वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु निम्न गांव चयनित किये गये हैं :–

विकास खंण्ड	गांव का नाम
1–सलेमपुर	क–इंटहुआ चन्दौली
	ख–मडपट्टी
2–भाटपाररानी	क–बेल्थरा
	ख–अहिरौली तिवारी
3–लार	क–बढया हरदो
	ख–बावन पाली
4–भटनी	क टेघरा
5–भलुअनी	क–वादीपुर

सीमित संसाधनों के कारण विद्युतीकरण सम्भव नहीं हो पा रहा है। आवश्यक संसाधन उपलब्ध होने पर विद्युतीकरण किया जा सकेगा।

जनपद देवरिया के बिकास खण्ड सलेमपुर में लगाये गये राजकीय नलकूपों की संख्या एवं चालू तथा खराब पड़े नलकूपों का बिवरण

37–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री. बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत सलेमपुर खण्ड में कितने नलकूप लगाये गये हैं? उसमें से इस समय कितने नलकूप चालू हैं तथा कितने नलकूप किन परिस्थितियों में खराब पड़े हैं। सरकार द्वारा कितने नये राजकीय नलकूप वहां पर लगाने की व्यवस्था की जा रही है? नहर न होने के कारण यहां के किसानों के लिये सिंचाई की कौनसी व्यवस्था सरकार के विचाराधीन हैं? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद देवरिया में नलकूप खण्ड-2 सलेमपुर (देवरिया) के अन्तर्गत 453 नलकूप लगाये गये हैं। सिंचाई 1-10-91 को चलित नलकूपों की संख्या–450 थी।

3 नलकूप पूर्णतया असफल हैं तथा 450 चलित नलकूपों में से दिनांक 2-1-92 को अस्थायी रूप से 23 नलकूप यांत्रिक दोष से व 17 नलकूप विद्युत दोष से बन्द थे।

नलकूप खण्ड-2 सलेमपुर जनपद देवरिया में वर्ष 1991-92 में 6 नये नलकूपों का ऊर्जीकरण हो गया है तथा उनकी जल वितरण प्रणाली निर्माणाधीन है। साथ ही वर्ष 1991-92 की जनपद योजना के अन्तर्गत तीन नये राजकीय नलकूप लगाये जाने का कार्यक्रम है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड भागलपुर व सलेमपुर में इण्डोडच नलकूप परियोजना के अन्तर्गत 24 नये नलकूपों का निर्माण, 22 पुराने नलकूपों का आधुनिकीकरण तथा 10 पुराने नलकूपों को स्वतंत्र विद्युत फीडर से जोड़े जाने का कार्य प्रगति पर है। इस प्रकार प्रश्नगत क्षेत्र में नलकूपों के निर्माण से अतिरिक्त सिंचन क्षमता सृजित की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की मांग

38–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के अन्तर्गत तहसील सलेमपुर में मुन्सिफ न्यायालय खोलने की व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या इसके लिये भूमि का अधिग्रहण करने की व्यवस्था पूरी कर ली गयी है? यदि नहीं, तो कब तक की जायेगी? कब तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वित्तीय संसाधनों एवं अन्य कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए सम्प्रति तहसील सलेमपुर में मुन्सिफ न्यायालय खोलना सम्भव नहीं है। अतः भूमि अधिग्रहण का कोई प्रश्न नहीं उठता।

विश्व बैंक के अंतर्गत लगे नलकूपों वाले ग्रामों को विद्युतीकृत ग्राम माने जाने का औचित्य

39–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिन ग्रामों की सीमा में विश्व बैंक पोषित नलकूप लगे हैं उन सभी ग्रामों को विद्युत विभाग ने विद्युतीकृत मान लिया है ? यदि हां, तो क्या उन्हें यह भी जानकारी है कि विद्युत विभाग के साथ हुए अनुबन्ध के अनुरूप, विश्व बैंक के नलकूपों की विद्युत लाइनों से अन्य प्रयोजन, निजी नलकूपों के ऊर्जीकरण तथा ग्राम के विद्युतीकरण के लिए बिजली नहीं दी जा सकेगी ?

यदि हां, तो इस स्थिति में विश्व बैंक के नलकूपों वाले ग्रामों को विद्युतीकृत माने जाने का औचित्य क्या है ? क्या इस प्रकार के ग्रामों के विद्युतीकरण की अलग से व्यवस्था करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्या विश्व बैंक नलकूपों की विद्युत लाइनों से निजी नलकूपों के लिए तथा ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु बिजली दिए जाने का प्राविधान करेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार ऐसे समस्त ग्राम विद्युतीकृत माने जाते हैं जिनकी राजस्व सीमा में किसी भी श्रेणी का कम से कम एक विद्युत कनेक्शन दे दिया गया हो । विश्व बैंक नलकूप भी एक विद्युत संयोजन ही है । अतः जिन ग्रामों की राजस्व सीमा में विश्व बैंक नलकूप आ गये हैं उनका परिभाषा के अनुसार विद्युतीकरण मानना उचित है ।

संभव नहीं ।

जी नहीं । केवल केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा से विद्युतीकृत समस्त ग्रामों के आबादी क्षेत्र में एल० टी० मेन बिछाने का शासन का ध्येय है । वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार शनैः-शनैः यह कार्य किया जा सकता है ।

जनपद लखनऊ की तहसील मोहनलालगंज में सिंचाई की व्यवस्था हेतु शारदा सहायक पोषक नहर के दाहिने किनारे पर हेड के निर्माण की मांग

40–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद की तहसील मोहनलालगंज में शारदा सहायक पोषक नहर के दाहिनी पटरी पर शारदा नहर की टेल का भार होने के कारण 22 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल, जिसमें पहले शारदा नहर लखनऊ द्वारा सिंचाई की जाती थी, वर्ष 1978 से असिंचित पड़ा हुआ है ? यदि हां, तो संबंधित क्षेत्रफल के सिंचाई हेतु सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

तहसील मोहनलालगंज, जनपद लखनऊ की शारदा सहायक पोषक नहर की दाहिनी पटरी पर कृषि योग्य भूमि (सी० सी० ए०) 26978 हेक्टेयर है जिसमें से खरीफ एवं रबी में प्रस्तावित सींच क्रमशः 6465 एवं 6753 हेक्टेयर है। वर्ष 1978 से अब तक औसतन सींच इस क्षेत्र के खरीफ में 2729 हेक्टेयर एवं रबी में 3985 हेक्टेयर की जाती रही है। इस क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था हेतु शारदा सहायक पोषक नहर के दाहिने किनारे पर एक हेड का निर्माण कराया जा चुका है तथा नहरों के सुदृढ़ीकरण का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है।

शारदा सहायक नहर के निर्माण हेतु ग्राम सभा तोरईय एवं उसके मजरों के किसानों की भूमि के अधिग्रहण की शर्तें

41–श्री सन्त बक्श रावत–

क्या सिंचाई मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शारदा सहायक पोषक नहर के निर्माण के समय वर्ष 1978 में ग्राम सभा तोरईय एवं उसके मजरों के किसानों की भूमि अस्थायी रूप से मिट्टी निकालने के लिये अधिग्रहीत की गयी थी? यदि हां, तो उसके लिये क्या शर्तें थीं ? क्या संबंधित किसानों के खेत बिना बराबर किये कम ज्यादा गहंराई में खुदाई कर कृषि अयोग्य कर दिया गया है? क्या सरकार संबंधित किसानों को उनके खेत बराबर करके देगी अथवा उन्हें स्थायी रूप से अधिग्रहीत करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1978 में ग्राम सभा तोरईय एवं उसके मजरों के किसानों की भूमि अस्थायी रूप से मिट्टी निकालने के लिये अधिग्रहीत नहीं की गयी।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के भूमि संरक्षण अधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की जांच

42–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या कृषि मंत्री बतालाने की कृपा करेंगे कि भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा करवाये जा रहे कार्यों की शिकायत दि० 2-11-91 को जिलाधिकारी, बांदा के विश्राम कक्ष में चल रही डी० आर० डी० की मीटिंग में साक्ष्यों सहित की गयी थी? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करवाये जाने के आदेश या प्रस्ताव उक्त मीटिंग में किये गये थे ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच समिति नियुक्त की गयी है ? यदि हां, तो उसके सदस्य एवं पदाधिकारी कौन-कौन हैं? क्या जांच समिति ने कोई जांच की है? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ? यदि जांच नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । जिलाधिकारी, बांदा द्वारा जांच समिति का गठन किया गया है। जांच समिति में निम्नलिखित अधिकारी नामित हैं:––

1–अधिशासी अभियन्ता, अल्प सिंचाई, बांदा–अध्यक्ष ।

2–सहायक अभियन्ता, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा–सदस्य ।

3–सहायक परियोजना अधिकारी (कृषि) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण , बांदा–सदस्य ।

जांच परिणाम प्रतीक्षित है।

जनपद देवरिया में हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनायी गयी नहर के किनारे सिंचाई खण्ड द्वितीय में विश्व बैंक द्वारा लगाये गये नलकूप के संबंध में कतिपय जानकारी

43–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड द्वितीय देवरिया के अन्तर्गत विश्व बैंक के अनुदान द्वारा संचालित ट्यूबवेल हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनायी गयी नहर के किनारे लगा था? उसकी बोरिंग कब हुई थी ? मेन्टीनेंस/कर्मचारी के मद में आज तक कितना खर्च किया गया ? ट्यूबवेल

कितने घंटे चला तथा बिना कार्य के कितने कर्मचारियों को वहां तैनात किया गया ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई खण्ड–2 देवरिया के अन्तर्गत विश्व बैंक अनुदान द्वारा संचालित नलकूप जो हाटा से बैकुण्ठपुर तक बनायी गयी नहर के किनारे लगाये गये थे, उनकी बोरिंग 1977 से 1983 तक की अवधि में की गयी थी ?

मेन्टीनेन्स/कर्मचारी के मद में सिंचाई खण्ड–2. देवरिया द्वारा दिनांक 1-4-85 से 31-12-91 तक रु० 1,27,626.00 खर्च किया गया ।

प्रत्येक नलकूप औसतन 5 घण्टे चलाये गये । बिना कार्य के कोई कर्मचारी तैनात नहीं किया गया ।

इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है ।

कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता ।

परिषदीय चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण संबंधी नीति

44–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय चिकित्सकों की वरिष्ठता निर्धारण की क्या नीति है तथा उनकी कोई सेवा नियमावली परिषद् ने प्रकाशित की है ? यदि हां, तो मंत्री जी उसे सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या चिकित्सकों की तदर्थ नियुक्तियों की बिना व्यवधान के निरन्तर सेवा में रहने पर उस सेवा काल की गणना वरिष्ठता निर्धारण के लिये की जायगी जैसा कि अन्य परिषदीय कर्मचारियों के साथ की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

परिषद् में चिकित्सा अधिकारियों की वरिष्ठता चयन की तिथि एवं चयन में समिति द्वारा निर्धारित "श्रेष्ठता" के आधार पर निर्धारित की जा रही है। परिषद् ने चिकित्सा अधिकारियों की कोई सेवा नियमावली प्रकाशित नहीं की है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं । तदर्थ नियुक्ति की अवधि की सेवा का लाभ वरिष्ठता निर्धारण में देने का प्राविधान परिषद् के किसी विनियम में नहीं है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, फैजाबाद के कार्यरत और सेवा निवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं का विवरण

45–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युत नगर, फैजाबाद में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं में से कितने अभियन्ता वर्ष 1992 में सेवा निवृत्त हो रहे हैं ऐसे अभियन्ताओं के नाम व सेवा निवृत्त की तिथि क्या है ? क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त हो रहे अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकायें लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) शक्ति भवन, लखनऊ के कार्यालय से गायब हैं ? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

टाण्डा तापीय परियोजना में कार्यरत कोई वरिष्ठ सहायक अभियन्ता कैलेण्डर वर्ष 1992 में सेवा निवृत्त नहीं हो रहे हैं। अतः अपेक्षित सूचना शून्य समझी जाये ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन मुख्य अभियन्ता कार्यालयों में दस वर्षों से अधिक समय तक कार्यरत लिपिक कर्मचारी को स्थानान्तरण किये जाने की मांग

46– श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित श्री रमापति शास्त्री के अतारांकित प्रश्न संख्या 83 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बतायेंगे कि एक ही स्थान पर लम्बी अवधि से कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की कौन सी नीति निर्धारित की गयी है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय के समस्त कर्मचारियों को जो उसी कार्यालय में 10 वर्षों से अधिक अवधि से हैं, उसी परिसर में स्थानान्तरण किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण करने पर शासन के समक्ष क्या कठिनाई है?

श्री लाल जी टण्डन–

एक ही स्थान पर सबसे लम्बी किन्तु न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित किये जाने की नीति है ।

जी नहीं । केवल कुछ मामलों में ही 10 वर्षों से अधिक अवधि से कार्यरत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ कार्यालय के कर्मचारियों को उसी परिसर में स्थानान्तरित किया गया है।

एक ही परिसर में एक ही अनुभाग से दूसरे अनुभाग में स्थानान्तरण पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में स्थानान्तरण करने पर कोई कठिनाई नहीं है। ऐसे 61 कर्मचारियों को एक परिसर/कार्यालय से दूसरे कार्यालयों में स्थानान्तरित भी किया गया है ।

विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा परिषदीय आदेशों का उल्लंघन करने के संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के प्रान्तीय मंत्री के पत्र पर कार्यवाही

47–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में कार्यरत तत्कालीन अधिकारियों एवं कार्यालय अधीक्षक की मिली भगत से परिषदीय आदेशों का उल्लंघन करने विषयक पत्र संख्या 3131/उ० प्र० वि० मजदूर संघ/1991, दिनांक 24-8-91 जो कि नन्दलाल जायसवाल, प्रान्तीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ द्वारा सचिव/निदेशक (कार्मिक) को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा उसकी बिन्दुवार स्थिति क्या है?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

आरोपों की जांच करायी गयी। जांच की बिन्दुवार स्थिति निम्नवत् है :--

1–श्री राजकुमार, चपरासी को परिषदीय कार्यों के प्रति लापरवाही बरतने के कारण निलम्बित किया गया था । श्री राजकुमार द्वारा आरोप पत्र के प्रति उत्तर में अपनी गलती स्वीकार कर लिये जाने पर समुचित विचारोपरान्त निन्दा प्रविष्टि देते हुए निलम्बन की तिथि से उन्हें बहाल कर दिया गया है।

2–गृह निर्माण के लिये अग्रिम धनराशि का आवंटन नियमों के अनुसार किया जाता है। श्री रामचन्द्र यादव, आशुलिपिक व श्री वी० सी०, पन्त कनिष्ठ पाण्डुलिपिक को भवन निर्माण अग्रिम विद्युत सेवा आयोग में स्थानान्तरण के पूर्व अन्य कार्यालयों द्वारा स्वीकृत किया गया था और इसकी प्रथम किश्त का भुगतान भी वहीं से किया गया । विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त इन्होंने दूसरी किश्त के भुगतान हेतु आवेदन पत्र दिया था किन्तु धन की कमी के कारण इनको दूसरी किश्त का भुगतान करना सम्भव नहीं हो सका ।

3–जिन कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान विद्युत सेवा आयोग कार्यालय द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, उनके मामले मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), लखनऊ को नहीं भेजे जाते। केवल मण्डलीय स्तर के एक आशुलिपिक का मामला दिशा निर्देश हेतु परिषद् कार्यालय को भेजा गया था क्योंकि इस संबंध में आदेश स्पष्ट नहीं थे ।

4–श्री अयोध्या प्रसाद ने बताया कि उनका पैतृक निवास बाराबंकी में है किन्तु वे लखनऊ में रहते हैं । श्री अयोध्या प्रसाद के लखनऊ निवास का पता 440/15 हरी बाजार, बालागंज, चौक, लखनऊ, कार्यालय अभिलेखों में अंकित है। वे कार्यालय समय पर आते जाते हैं ।

5–विद्युत सेवा आयोग कार्यालय में दो चौकीदार नियुक्त हैं। कभी-कभी दोनों की अनुपलब्धता में एक अन्य चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री हरगोविन्द मिश्रा, दफ्तरी से चौकीदार का कार्य ले लिया जाता है जो सेवा आयोग कार्यालय के एक कमरे में रहते हैं किन्तु वह इतना छोटा है कि उसे निवास गृह नहीं कहा जा सकता ।

48–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

[दिनांक 26-2-92 अता० प्र० सं० 44 द्वारा उत्तरित]

जनपद वाराणसी में नगर की विद्युत आपूर्ति के सुधार हेतु मुख्य अभियन्ता को नियुक्ति करने की मांग

49–श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे नगर की विद्युत आपूर्ति में सुधार हेतु वाराणसी में एक मुख्य अभियन्ता की नियुक्ति की आवश्यकता महसूस करते हैं? यदि हां, तो कब तक उसकी नियुक्ति की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

अभी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव के ग्राम कविरामपुर में जले ट्रांसफार्मर को न बदले जाने के कारणों की जानकारी

50–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाबतपुर चौराहा, ब्लाक बड़ागांव, त० व जिला वाराणसी व ग्राम कविरामपुर, ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी का ट्रांसफार्मर वर्षों से जला है ? यदि हां, तो अब तक ट्रांसफार्मर न लगाने का कारण क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

बाबतपुर चौराहा एवं ग्राम कविरामपुर, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी के 33/0.4 के० वी० 100 के०वी० ए० एवं 50 के०वी० ए० के ट्रांसफार्मर क्रमशः अप्रैल व मई माह 1990 में जल गये थे ।

उपरोक्त वोल्टेज रेशियो के ट्रांसफार्मरों का परिषद् में प्रचलन कई वर्षों से पूर्णतया बन्द होने के कारण भण्डार से उपलब्ध नहीं हो सके किन्तु बाबतपुर चौराहे पर जले ट्रांसफार्मर से जुड़े सभी उपभोक्ताओं को एक अन्य 11/0.4 के० वी०, 100 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मर से जोड़कर माह अप्रैल, 1990 में ही चालू कर दिया गया था । इसी प्रकार कविरामपुर के जले ट्रांसफार्मर से जुड़े उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति अलग से एक नया 11/0.4 के० वी०, 63 के० वी० ए० का उपकेन्द्र बनाकर माह जून, 1990 में चालू कर दी गयी ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक बड़ागांव का चयनित ग्राम बचेउरा में विद्युतीकरण

51–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, 1991 में विद्युत एवं सिंचाई सलाहकार समिति की बैठक में प्रश्नकर्ता ने गांव बचेउरा, जो सन् 1989 का चयनित ग्राम था उसको लिखित प्रस्ताव देकर नम्बर एक पर रखा था ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि जो कार्यवाही सभी सदस्यों को भेजी गयी है उसमें बचेउरा ब्लाक बड़ागांव, तहसील व जिला वाराणसी का नाम नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम बचेउरा वर्ष 1988-89 में विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में विद्युतीकरण हेतु चयनित किया गया था ।

वर्ष 1988-89 में विद्युतीकरण हेतु प्रस्तावित ग्राम व हरिजन बस्तियों की जो सूची समिति के सभी सदस्यों को इस संबंध में भेजी गयी थी उसमें ग्राम बचेउरा का नाम विद्युतीकरण हेतु विकास खण्ड बड़ागांव के अन्तर्गत क्रमांक-3 पर दर्शाया गया था ।

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हसायन के कतिपय ग्रामों में जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु बनायी गयी योजना का विवरण

52–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद के विकास खण्ड हसायन के अन्तर्गत ग्राम कोडरा, बकायन, हसायन, पिछौती, हैदलपुर आदि जलप्लावन व जल भराव की समस्या से विशेष रूप से

प्रभावित हैं? क्या सिंचाई विभाग ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ द्वारा इस क्षेत्र के जल भराव की समस्या के निराकरण हेतु योजना बनाकर गत वर्ष प्रमुख अभियन्ता के माध्यम से शासन की स्वीकृति हेतु भेजी गयी थी ? यदि हां, तो योजना की स्वीकृति तथा धन आवंटन का कार्य शासन द्वारा कब तक हो जायेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । कथित ग्राम जल भराव की समस्या से प्रभावित हैं ।

जी नहीं । इस संबंध में एक योजना लागत रुपये 4.05 लाख की मुख्य विकास अधिकारी, अलीगढ़ को स्वीकृति व धनावंटन हेतु भेजी गयी थी । वांछित धनराशि उनसे प्राप्त हो गयी है। कार्य प्रगति पर है।

शासन द्वारा योजना की स्वीकृति एवं धन आवंटन का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद आगरा के यमुना नदी पर बैराज बनाने हेतु विभागीय संस्तुति और प्राक्कलन

53–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में यमुना नदी पर बैराज निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का दिनांक 29 अगस्त, 1991 का कोई पत्र उन्हें मिला है ? यदि हां, तो इस संबंध में शासन का अन्तिम निर्णय और योजना क्या है? क्या बैराज निर्माण हेतु विभाग की संस्तुति और प्राक्कलन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यमुना नदी पर बैराज बनाने हेतु स्थल के चयन पर शासन द्वारा निर्णय ले लिया गया है जो ताजमहल से 8 किलोमीटर ऊपर है। परियोजना का प्रारम्भिक प्राक्कलन बनाया गया था व केन्द्रीय जल आयोग को जल विज्ञान की जांच हेतु मई, 1991 में भेजा गया था । केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस पर निर्णय के उपरान्त विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया जायेगा ।

54–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 8 द्वारा उत्तरित]

जनपद आगरा में मध्य गंगा कैनाल को मांट फीडर तथा जेवर रजबहा के माध्यम से यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बनाकर आगरा कैनाल से जोड़े जाने के संबंध में कार्यवाही

55–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य गंगा कैनाल को मांट फीडर तथा जेवर रजबाहा के माध्यम से यमुना नदी पर एक्विडिक्ट बना कर आगरा कैनाल से जोड़े जाने का संदर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई सुझाव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब ? क्या शासन ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या अब इसी सुझाव को मान्यता देकर निर्णय लेने की कृपा करेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव के मौरावां ब्रांच की टेल से प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कार्य योजना

56–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि हरदोई ब्रांच की टेल से निकले उन्नाव आसीवन ब्रांच व इस ब्रांच की टेल से निकले मौरावां ब्रांच व मौरावां ब्रांच की टेल पर स्थित प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में पानी पहुंचाने की कोई कार्य योजना सरकार ने तैयार की है ? क्या मंत्री जी अवगत हैं कि माह नवम्बर 1. 1991 हिलौली ब्लाक की बी० डी० सी० की बैठक में सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि ने स्वीकार किया था कि 16 मील के नीचे पानी बिल्कुल नहीं आया ? यदि हां, तो क्या सरकार मौरावां ब्रांच के इस हिस्से को नहर कमाण्ड से मुक्त करेगी और क्या नहर बन्द करेगी ? सरकार की पानी देने की योजना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत नहर खण्ड-6 के सहायक अभियन्ता द्वारा डीजल व पेट्रोल पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण

57–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत नहर निर्माण खण्ड 6 में सहायक अभियन्ता द्वारा जनवरी, 90 से अक्टूबर, 91 डीजल व पेट्रोल पर कुल कितना धन व्यय किया गया है ? क्या इनके लागबुक का सत्यापन उच्च स्तरीय अधिकारी से कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इनके द्वारा किये गये अनुबन्ध शासनादेश के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या जांच करायी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

केवल पेट्रोल पर रु० 28,935.68 व्यय हुआ है । डीजल पर कोई व्यय नहीं हुआ है ।

(क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जीप द्वारा की गयी यात्राओं के सत्यापन हेतु राजपत्रित अधिकारी सक्षम हैं (सहा० अभि०) द्वारा सत्यापन किया गया है । जो स्वयं सक्षम अधिकारी हैं ।

(घ) प्रश्नगत अवधि में जीप की मरम्मत एवं रखरखाव के संबंध में कोई अनुबन्ध नहीं किया गया है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर के कतिपय ग्रामों की आबादी को छोटी गण्डक नदी के कटान से बचाने की कार्यवाही

58–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद देवरिया अन्तर्गत तहसील सलेमपुर में छोटी गण्डक नदी के कटान से बनकटा दीक्षित, बगुसरा, पयासी, नदावरघाट, सलेमपुर कस्बा, निजामाबाद, शामपुर, नवलपुर, बड़वाटोला मझौली, दीसनौली, वमनौली बाबू, करमुआ, रतनपुरा, परासी चकलाल, गढ़वा, मेहरौना आदि ग्रामों की आबादी नदी में विलीन होती जा रही है? यदि हां, तो इन गांवों को बचाने के लिये सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत ए० पी० तटबन्ध टूटने के कारण प्रभावित हुए लोगों की संख्या एवं अन्य विवरण

59–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत ए० पी० तटबन्ध के टूटने का मुख्य कारण क्या है तथा यह बन्धा कितनी लम्बाई में टूटा है इससे कितने ग्राम प्रभावित हुए तथा कितने लोगों की मृत्यु हुई ? क्या इस बन्धे के टूटने में अभियन्ता दोषी है ? यदि हां, तो उन पर कौन सी कार्यवाही हुई तथा बन्धा टूटने पर कितनी धनराशि व्यय की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नदी द्वारा दूसरे बैंक पर सिल्टेशन के कारण नदी का बहाव उत्तर से दक्षिण का हो जाने के कारण ए० पी० तटबन्ध टूट गया था, जो एक दैवी आपदा है। यह बन्धा कि० मी० 4.990 से 6.050 तक (1060 मीटर लम्बाई मे) टूटा है। बन्धा टूटने से केवल चार ग्राम प्रभावित हुए हैं तथा किसी की मृत्यु नहीं हुई । इस बन्धे के टूटने में कोई अभियन्ता दोषी नहीं है, अतः कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है। प्रश्नगत बन्धा टूटने पर लगभग रु० 23.91 लाख व्यय किया गया ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत नहर निर्माण खण्ड-6 में मस्टर रोल के रूप में व्यय धन का विवरण

60–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत नहर निर्माण खण्ड 6 में जनवरी, 90 से 31 अक्टूबर, 91 तक मस्टर रोल के रूप में कितना धन व्यय किया गया ? क्या इसकी जांच उच्च स्तरीय अधिकारी से करायी जायेगी? क्या सहायक अभियन्ता द्वारा सुपरवाइजर और चौकीदार के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बना कर काफी धन हड़प लिया गया है ? यदि हां, तो इस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनवरी, 90 से अक्टूबर, 1991 तक मस्टर रोल के रूप में कुल रु० 7,01,659.40 मात्र धन व्यय किया गया है।

आवश्यकता नहीं है। ऐसा कोई प्रकरण प्रकाश में नहीं आया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

61–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष निर्वाचित हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद लखनऊ के ग्राम ऐन में नियमित और अनियमित विद्युत उपभोक्ताओं का विवरण

62–श्री रमाकान्त यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम ऐन, जनपद लखनऊ में कितने विद्युत उपभोक्ता हैं तथा कितने उपभोक्ताओं को निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात भी विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? क्या ऊर्जा मंत्री यह भी बतायेंगे कि ग्राम ऐन, जनपद लखनऊ में जब से विद्युत आपूर्ति की गयी है तब से कभी आकस्मिक छापे मारे गये ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी को जानकारी है कि कितने नियमित उपभोक्ता हैं उससे कहीं अधिक अनाधिकृत रूप से कटिया लगाकर विद्युत उपभोग करते हैं? क्या उक्त लाइन के लिये कोई आकस्मिक जांच हेतु अधिकारी/कर्मचारी या चेकिंग दल नियुक्त नहीं है? यदि हां, तो इसका कोई मासिक/त्रैमासिक/छमाही/वार्षिक जांच का लक्ष्य है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त क्षेत्र/लाइन की आकस्मिक जांच हेतु कोई समयावधि निर्धारित की जायेगी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम ऐन, जनपद लखनऊ में कुल 86 पंखा बत्ती के उपभोक्ता हैं तथा ऐसा कोई उपभोक्ता नहीं है जिसका निर्धारित शुल्क जमा होने के बाद कनेक्शन न हुआ हो क्षेत्र में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर छापे मारे जाते हैं। समिति में उपलब्ध जानकारी के अनुसार ग्राम ऐन का कोई भी उपभोक्ता अनाधिकृत रूप से विद्युत का उपभोग नहीं कर रहा है ।

उक्त लाइन की आकस्मिक जांच हेतु अधिकारी/कर्मचारी तथा चेकिंग दल नियुक्त हैं। परन्तु उनकी कोई मासिक/त्रैमासिक छमाही/वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं है? क्योंकि नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी तथा चेकिंग दल समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण करते रहते हैं तथा दोषी उपभोक्ताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करते रहते हैं । उक्त क्षेत्र/लाइन के आकस्मिक जांच हेतु समयावधि निर्धारित की गयी है जो माह फरवरी, 92 में आकस्मिक जांच का कार्य पूर्ण करेगी ।

जनपद उन्नाव के बन्द पड़े राजकीय नलकूपों के पुनर्निर्माण आदि की योजना

63–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद उन्नाव में कुल कितने और किस स्थान के कौन-कौन नलकूप असफल अथवा खारा पानी होने के कारण बन्द पड़े हैं? इनके पुनर्निर्माण और प्रतिस्थापना की कोई योजना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद उन्नाव में 22 राजकीय नलकूप असफल होने से बन्द पड़े हैं, जिसमें से 9 खारे पानी के कारण असफल हैं। इन का विकास खण्ड व ग्रामवार विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है।

प्रश्नगत क्षेत्र के भूगर्भ में खारा पानी होने तथा निर्धारित मानक के अनुरूप पर्याप्त जल उपलब्ध न होने के कारण केन्द्रीय भूगर्भ जल संगठन से अधिक गहराई तक अन्वेषणात्मक छिद्रण करवाकर उनकी संस्तुति के अनुसार नलकूपों के पुनर्निर्माण पर विचार किया जायेगा।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 123 पर)

64–श्री रविन्द्र प्रताप–

[दिनांक 26-2-92 को अता० प्र० सं० 64 द्वारा उत्तरित]

विद्युत परिषद् के मस्टर रोल व्यक्तियों की वरिष्ठता निर्धारण का मामला

65–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987-88, 88-89, 89-90, 90-91 मस्टर रोल/ठेका श्रमिक संबंधी मामलों में किन संगठनों (यूनियन) से सेवा में लेने संबंधी/नियमित करने संबंधी समझौता किया गया था? इससे कितने लोग प्रभावित हैं और समझौता क्या है? क्या इसके लिये परिषद् स्तर पर वरिष्ठता निर्धारण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्ष 1987-88, 88-89 में मस्टर रोल/ठेका श्रमिक संबंधी मामलों में परिषद् और संगठन के मध्य कोई समझौता नहीं हुआ। दिनांक 19 फरवरी, 1990 तथा 10 जुलाई, 1990को गोरखपुर क्षेत्र के छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिकों के संबंध में हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्प्लाईज यूनियन (हिन्द मजदूर किसान पंचायत), उ० प्र० बिजली कर्मचारी संघ, विद्युत मजदूर संगठन उ० प्र० तथा छटनीशुदा मस्टर रोल कर्मचारी संघर्ष समिति गोरखपुर जोन के प्रतिनिधियों के साथ सचिव, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् स्तर पर हुई बैठकों में यह सहमति बनी थी कि आवश्यकतानुसार चतुर्थ श्रेणी परिचालकीय पद सृजित किये जायेंगे और इन्हें छटनीशुदा मस्टर रोल श्रमिकों से भरा जायेगा। उक्त सहमति 550 श्रमिकों के संबंध में 10 जुलाई, 1990 को अन्तिम रूप से उपरोक्त संगठनों के सहयोग से बनी है।

जी नहीं। मस्टररोल पर कार्यरत व्यक्तियों की वरिष्ठता सूची परिषद् स्तर पर निर्धारित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फैजाबाद के टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना, विद्युतनगर में सेवानिवृत्त वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिका लखनऊ स्थित उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् कार्यालय से गायब होना

66–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना विद्युतनगर, फैजाबाद में कार्यरत वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं में से कितने सहायक अभियन्ता वर्ष 1992 से सेवा निवृत्त हो रहे हैं, ऐसे अभियन्ताओं के नाम व सेवा निवृत्ति की तिथि क्या है? क्या यह सही है कि सेवा निवृत्त हो रहे अभियन्ताओं की सेवा पुस्तिकायें लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा) शक्ति भवन, लखनऊ के कार्यालय से गायब हैं? यदि हां, तो इसके लिये दोषी कौन

है तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या शासन/परिषद् सेवा निवृत हो रहे संबंधित वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं को सेवा निवृत्त कर देय पेंशन, ग्रेच्युटी का भुगतान सेवा निवृत्त के एक माह के अन्दर करेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

टाण्डा तापीय परियोजना में कार्यरत कोई वरिष्ठ सहायक अभियन्ता कैलेण्डर वर्ष 1992 में सेवा निवृत्त नहीं हो रहे हैं। अतः अपेक्षित सूचना शून्य समझी जाये ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ को जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति का प्रस्ताव

67–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ को जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर फीडर से विद्युत आपूर्ति करने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से आपूर्ति की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । जनपद सुल्तानपुर के जगदीशपुर 132 के वी० उप-केन्द्र से बाराबंकी जनपद की तहसील हैदरगढ़ तक 33 के वी० लाइन के निर्माण की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है ।

सीमित संसाधनों के कारण उपरोक्त लाइन का निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया जा सका है ।

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में कार्यरत शारदा सहायक खण्ड-28 में आने वाली माइनरों में टेल तक पानी पहुंचने की शिकायत

68–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में कार्यरत शारदा सहायक खण्ड 28 में आने वाली बारा, सुबेहा, लाही, खानपुर थलवारा आदि माइनरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, जिससे हजारों एकड़ भूमि असिंचित है? शासन द्वारा इसके लिये की गयी व्यवस्था क्या है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित माइनरों की टेलों पर रबी 1399 फसली में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचा है तथा सिंचाई हुई है । थलवारा नाम की कोई माइनर नहीं है। ग्राम थलवारा गोसियामऊ माइनर के अन्तर्गत पड़ता है। गोसियामऊ माइनर में भी टेल तक पानी पहुंचा है ।

प्रदेश के गन्ना आयुक्त के अधीन कार्यालयों में रिक्त पदों को भरने की मांग

69–श्री मामचन्द्र तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि वर्तमान सरकार द्वारा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नियुक्तियों पर लगे प्रतिबन्ध को हटा लेने के बाद भी गन्ना आयुक्त के अधीनस्थ सभी (प्रदेश स्तर पर) कार्यालय में हजारों पद (दोनों संवर्ग के) बाद भी उक्त पाबंदी लागू है जिससे रिक्तियां नहीं भरी जा रही हैं और जनहित में तमाम कार्य रुके पड़े हैं? यदि हां, तो क्या सरकार शासनादेश को तत्काल लागू करने हेतु गन्ना आयुक्त को निर्देशित करने पर विचार करेगी तथा अब तक शासनादेश की अवहेलना करने हेतु दोषी को दंडित करने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं । अभी जगहें खाली नहीं हैं।

रिक्तियां होने पर नियमानुसार उन्हें भरने की कार्यवाही होती है।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

70–श्री राम प्रसाद सिंह–

[3रे मंगलवार में अता० प्र० सं० 188 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में चयनित सह-प्राध्यापकों के वरिष्ठता क्रम का विवरण

71–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर में सह-प्राध्यापकों के पदों पर कार्यरत कौन-कौन शिक्षक लोक सेवा आयोग उ० प्र० अथवा विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल द्वारा किस-किस तिथि में अनुमोदित/विधिवत चयनित हैं तथा उनका वरिष्ठता क्रम क्या है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना संलग्न है † ।

जनपद कानपुर स्थित आजाद कृषि विश्वविद्यालय में सूरजमुखी के ''वीडर सीड'' उत्पादन में धोखाधड़ी की शिकायत की जांच रिपोर्ट

72–श्री श्याम बिहारी सिंह–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय, कानपुर के एग्रोनामिस्ट सूरजमुखी ने अपनी त्याग-पत्र की शर्त पर सूरजमुखी के ''वीडर सीड उत्पादन'' में धोखाधड़ी की शिकायत दिनांक 4-9-87 को की थी तथा उ० प्र० शासन की ओर से दिनांक 11-3-91 में जांच के आदेश किये थे ? यदि हां, तो कुलपति द्वारा उसकी जांच न कराने तथा दोषी व्यक्तियों को दण्डित न करने का क्या कारण है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी, किन्तु आरोप सिद्ध नहीं हो सका।

73–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

---

† छापी नहीं गयी ।

जनपद वाराणसी के भदोही में राजकीय नलकूप गोपाल पट्टी के पूर्वी नाली में से सिंचाई हेतु दक्षिणी गूल के निर्माण कराने की मांग

74–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप, गोपाल पट्टी, वी० जी० नं० 82 भदोही, जिला वाराणसी के पूर्वी नाली में से दक्षिणी कच्ची गूल के लिये विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी संयुक्त संगठन, वाराणसी ने भूमि का मुआवजा सभी किसानों को दिनांक 26-7-90 को दे दिया है? यदि हां, तो अब तक उक्त गूल का निर्माण न कराने का कारण क्या है ? क्या नलकूप विभाग ने जमीन को कब्जे में ले लिया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार किसानों द्वारा सिंचाई हेतु तुरन्त गूल निर्माण कराने की व्यवस्था करेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। दक्षिणी कच्ची गूल के निर्माण हेतु मात्र 0.206 एकड़ भूमि का अभिनिर्णय घोषित हुआ था, जिसके मुआवजा का भुगतान 26-7-90 को कर दिया गया है।

उक्त 0.206 एकड़ भूमि पर कच्ची गूल का निर्माण किया जा चुका है।

0.206 एकड़ भूमि जिस पर कच्ची गूल का निर्माण किया गया है, विभाग के कब्जे में है।

प्रश्न नहीं उठता।

गूल का निर्माण पूर्व में ही कराया जा चुका है।

जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना विकास समिति सम्पूर्णानगर एवं पलिया कला समिति में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की संख्या

75–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के गन्ना विकास समिति सम्पूर्णानगर एवं पलिया कलां समितियों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है? यदि हां, तो उनकी कितनी संख्या है ? क्या उक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से कार्य लिये जाने के लिये शासन से रोक लगी होने के बाद भी अधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी रखे गये हैं? यदि हां, तो शासन के आदेश की अवहेलना करने वाले कर्मचारियों/अधिकारियों को दंडित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

51

जी नहीं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर की पानी देने की क्षमता

76–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के कितने पम्प वर्तमान समय में 91-92 पानी दे रहे हैं ? ये पम्प कितने क्यूसेक पानी दे रहे हैं? क्या इन पम्पों में कोई यांत्रिक खराबी है? यदि हां, तो इसके लिये कौन से लोग जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद गाजीपुर के देवकली पम्प नहर के कुल पांच पम्प वर्तमान समय में पानी दे रहे हैं।

ये पम्प कुल 750 क्यूसेक पानी दे रहे हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने की मांग

77–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत लखनऊ में कितने डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर हैं एवं इनके कार्यालय कहां-कहां पर स्थित हैं ? क्या बिल वितरण/कनेक्शन/कलेक्शन मीटर गड़बड़ी/मीटर बुक/संशोधित बिल आदि अनेक महत्वपूर्ण बिल संबंधी कार्य के लिए उपभोक्ताओं को लेसू आना पड़ता है ? यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है ? क्या मंत्री जी क्षेत्रवार, डी० आर० ई० कार्यालय में ही गन विन्डो सिस्टम लागू करके उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

लखनऊ नगर की विद्युत आपूर्ति हेतु नगर को छः वितरण क्षेत्रों में बांटा गया है। पांच क्षेत्र डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर पद नाम के अधिशासी अभियन्ता स्तर के अधिकारी के अधीन रखे गये हैं तथा छठें क्षेत्राधिकारी का पद नाम अधिशासी अभियंता ही है।

उक्त क्षेत्रों के अधिकारियों का कार्यालय निम्न स्थानों पर अवस्थित हैं :––

1–डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर (हुसैनगंज), 19/5. गोखले विहार मार्ग, लखनऊ।

2–डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर (आलमबाग), ऐशबाग पावर हाउस, लेसू, लखनऊ।

3–डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर (रेजीडेन्सी) कैसरबाग, लेसू, लखनऊ।

4–डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर (अलीगंज) 31-ए, चन्द्रलोक, लेसू, लखनऊ।

5–डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर (इंदिरानगर), 13/23. मुंशीपुलिया, लखनऊ।

6–अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, 17 अशोक विहार, खुर्रम नगर, लखनऊ।

विद्युत बीजकों को उपभोक्ताओं को पहुंचाया जाता है अतः इस कार्य को किसी भी माध्यम से किया जाय उपभोक्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

सभी नये विद्युत उपभोक्ताओं के संयोजनों को दिये जाने का समस्त कार्य संबंधित क्षेत्र के डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियरों/अधिशासी अभियन्ताओं द्वारा ही किया जाता है।

केवल 1 से 4 क्रम तक के क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को ही बीजक संबंधी अन्य समस्त उल्लेखित कार्यों हेतु केन्द्रीय लेसू कार्यालय, कैसरबाग, लखनऊ आना पड़ता है। इन चार क्षेत्रों के बीजकों संबंधी मामलों के निस्तारण के आदेश संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा निस्तारित किये जाने के आदेश परिषद्

द्वारा वर्ष 1985 में ही कर दिये गये हैं। लेकिन इन आदेशों का परिपालन आवश्यक पदों के भरे जाने में परिषद् की विषम वित्तीय स्थिति के कारण सम्भव नहीं हो पाया है और न ही निकट भविष्य में ऐसी सम्भावना प्रतीत होती है। उपभोक्ताओं की असुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी डिप्टी रेजीडेंट इंजीनियर/अधिशासी अभियन्ता उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु बीजकों के संशोधन/बीजक भुगतान/मीटर गड़बड़ी आदि महत्वपूर्ण कार्यों के निस्तारण हेतु भुगतान तिथियों पर स्थानीय शिविर भी स्थापित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त बीजक भुगतान की सुविधा राजधानी बैंक की आलमबाग तथा अमीनाबाद शाखाओं में सुलभ की गयी है।

78–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया]

जनपद हरदोई के ब्लाक बेंहदर के हरिजन बाहुल्य ग्राम पाल्हाराय-पिटियारी का विद्युतीकरण करने की मांग

79–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई ब्लाक बेंहदर के हरिजन बाहुल्य ग्राम पाल्हाराय-पिटियारी का विद्युतीकरण करने हेतु राज्य मंत्री लघु सिंचाई के पत्र सं०-274 दिनांक 22-2-91 के साथ संलग्न ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र अधिशासी अभियन्ता (विद्युत) हरदोई को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त ग्राम का सर्वे दो बार होने के बावजूद अभी तक विद्युतीकरण न कराने का क्या कारण है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जनगणना पुस्तिका में प्रश्नगत ग्राम का नाम राजस्व ग्रामों की सूची में न होने के कारण और विकास खण्ड अहिरोरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में ग्राम के विद्युतीकरण हेतु सम्मिलित न किये जाने के कारण उक्त का विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड अहिरोरी के ग्राम वैशपुर में हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण

80–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई विकास खण्ड अहिरोरी के गांव वैशपुर की हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण कराये जाने के संबंध में राज्य मंत्री लघु सिंचाई के पत्र सं०–226 दि० 16-2-91 के साथ संलग्न उक्त ग्रामवासियों का प्रार्थना-पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी हरिजन बस्ती में प्राथमिकता के आधार पर विद्युतीकरण कराने की और शासकीय नीति के बावजूद उक्त ग्राम का अभी तक विद्युतीकरण न करने वाले दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कर सम्बन्धित ग्राम का विद्युतीकरण कराने के आदेश देगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

प्रश्नगत ग्राम विकास खण्ड अहिरोरी की ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित नहीं है। अतएव इसका विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका। इसके लिये कोई अधिकारी दोषी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की बेंच स्थापित कये जाने का प्रस्ताव

81–श्री नरेश अग्रवाल, डा० दिनेश जौहरी तथा श्री विजय सिंह राणा–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति के आधार पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की एक नई बेंच की स्थापना सरकार के विचाराधीन है और क्या इस विषय में केन्द्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ है ? यदि हां, तो उक्त बेंच किस जनपद में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

भारत सरकार ने राज्य सरकार से अपेक्षा की है कि माननीय उच्च न्यायालय तथा श्री राज्यपाल से विचार विमर्श एवं उनका दृष्टिकोण प्राप्त करके अपने अभिमत से अवगत करायें।

मा० उच्च न्यायालय को लिखा गया है तथा उनका अभिमत प्रतीक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोरखपुर/देवरिया के विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड में कार्यरत कर्मचारियों के लिये सीट रोटेशन की प्रक्रिया लागू करने की मांग

82–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड, गेसू गोरखपुर/देवरिया में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एक सीट पर पिछले 10 वर्षों से या उससे अधिक समय से बिलिंग , एग्रीमेंट, आई० बी० एम० एवं पब्लिक डीलिंग संबंधी कार्य कर रहे हैं ? क्या परिषदीय नियमानुसार सीट रोटेशन संबंधी प्रक्रिया अपनाई जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या परिषद् ने वर्तमान समय/पिछले समय में कोई परिषदाज्ञा जारी की है ? यदि हां, तो वह क्या है तथा इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री लाल जी टण्डन–

विद्युत वितरण खण्ड/उपखण्ड गेसू गोरखपुर/देवरिया में 71 कर्मचारी ऐसे हैं जो एक सीट पर पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय से बिलिंग, एग्रीमेंट, आई० बी० एम० एवं पब्लिक डीलिंग संबंधी कार्य कर रहे हैं।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जी हां ।

सामान्य रूप से लिपिक वर्ग का एक सीट से रोटेशन 3 वर्ष बाद एवं बिल क्लर्क का एक वर्ष बाद किये जाने का प्राविधान है।

परिषदाज्ञानुसार कर्मचारियों के सीट रोटेशन के आदेश किये गये थे किन्तु कुछ कर्मचारियों ने उक्त आदेश के विरुद्ध मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में याचिका दायर कर दी थी तथा इसी मध्य गेसू का पुनर्गठन कर दिया गया एवं कर्मचारी संगठन ने भी इस रोटेशन आदेशों का विरोध किया जिसके कारण इन रोटेशन आदेशों का कार्यान्वयन नहीं हो सका ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में स्कूटर एडवांस की प्राथमिकता निर्धारण में धांधली की शिकायत

83–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द लाल जायसवाल प्रान्तीय मंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ, सम्बद्ध, भारतीय मजदूर संघ के पत्र सं०–132/उ०प्र० वि० म० सं०/प०-2, दिनांक 27-7-90 जो कि स्कूटर एडवांस की प्राथमिकता निर्धारण में की गयी धांधली विषयक पत्र जो अध्यक्ष/सचिव उ० प्र० रा० वि० प० को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी और कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र स्कूटर एडवांस के आवेदन पत्र पर प्राथमिकता निर्धारण करने में संबंधित अधिकारी द्वारा की गयी कथित अनियमितता के संबंध में था। इस संबंध में परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि मामले में कोई भी अनियमितता नहीं बरती गयी है एवं समस्त प्रक्रिया परिषद् में लागू नीति के अनुरूप ही संपादित की गयी है। कोई भी अधिकारी दोषी नहीं पाया गया अतः किसी भी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के समस्त अधिकारी कर्मचारी वर्ग के सेवकों का वेतनमान पुनरीक्षित किया जाना

84–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में मुख्यालय कर्मचारी, अवर वर्ग सहायक, प्रवर वर्ग सहायक एवं अन्य अधिकारी वर्ग का 1969, 1972, 1974, 1979 तथा 1984 में वेतन पुनरीक्षण हुआ है? यदि हां, तो क्या परिषद् के अन्य कर्मचारियों का भी इन्हीं वर्षों में वेतन पुनरीक्षित हुआ है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां। वर्ष 1972 को छोड़कर अन्य संदर्भित वर्षों में परिषद् के सभी सेवकों के वेतनमान पुनरीक्षित हुए हैं?

1969, 1974, 1979 तथा 1984 में समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी वर्ग के सेवकों के वेतनमान पुनरीक्षित किये गये हैं।

अप्रयोज्य।

टाण्डा तापीय परियोजना में घोर वित्तीय अनियमितता की सतर्कता विभाग से जांच के आदेश

85–श्री रविन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री सर्वेश चन्द्र द्विवेदी, अध्यक्ष, उ० प्र० वि० मजदूर संघ, सम्बद्ध, भारतीय मजदूर संघ के पत्र सं०–1012/उ० प्र० वि० म० सं०/जांच दिनांक 13-8-91 जो कि ऊर्जा मंत्री एवं अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था और जिसमें टाण्डा तापीय परियोजना में घोर वित्तीय अनियमितता/धोखाधड़ी संबंधी प्रकरण था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी तथा इस धोखाधड़ी के लिये कौन जिम्मेदार है?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

महाप्रबन्धक, टांडा परियोजना द्वारा एक सदस्यीय जांच समिति गठित करके मामले की जांच करवायी गयी पर जांच में सम्पूर्ण तथ्य सामने नहीं आ पाये। अतः परिषद् द्वारा पुनः परिषद् की सतर्कता इकाई के माध्यम से सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराये जाने के आदेश दे दिये गये हैं ।

सतर्कता इकाई से जांच आख्या प्राप्त होने के बाद ही यह सुनिश्चित हो सकेगा कि इस धोखाधड़ी के लिये कौन जिम्मेदार है।

86–श्री बाला प्रसाद–

[दिनांक 9-3-92 को अता० प्र० सं० 194 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ताओं को सेलेक्शन ग्रेड और प्रोन्नति के अनुरूप पद देने की मांग

87–श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कितने सहायक अभियन्ता (सिविल) 18 वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हैं तथा वे सेलेक्शन ग्रेड पाने के अधिकारी हैं? क्या उन्हें सरकार अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नत करके वेतन के अनुरूप पद प्रदान करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग में 350 सहायक अभियन्ता (सिविल) दिनांक 30-6-91 तक 18 वर्षों की निरन्तर सेवा पूर्ण कर चुके हैं। 18 वर्ष की निरन्तर सेवा के बाद सहायक अभियन्ता को सेलेक्शन ग्रेड दिये जाने का कोई प्राविधान वर्तमान में नहीं है।

केवल 18 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण करने वाले सहायक अभियन्ताओं को अधिशासी अभियन्ता पद पर प्रोन्नत कर वेतन के अनुरूप पद प्रदान किये जाने का कोई प्राविधान नियमों में नहीं है।

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत सहायक अभियंता से अधिशासी अभियंता (सिविल) के पद पर प्रोन्नति का विवरण

88-श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में सहायक अभि० (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) पद पर पिछली बार प्रोन्नति कब की गई थी? वर्तमान में दिसम्बर, 91 तक कितने पद खाली हो गये हैं ? क्या इन पदों को भरने के लिए विभाग कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

सहायक अभियन्ता (सिविल) से अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के पद पर पिछली बार दिसम्बर, 91 में प्रोन्नतियां की गई थी । दिसम्बर, 91 तक अधिशासी अभियन्ता (सिविल) के दो पद रिक्त थे जिन पर शासनादेश दिनांक 22-1-92 द्वारा दो सहायक अभियन्ताओं को प्रोन्नत किया जा चुका है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

89-90–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाये गये]

जनपद बांदा की तहसील नरैनी के ग्राम परसहर के भरवा क्षेत्र में बोर किये गये राजकीय ट्यूबवेल को चालू करने की मांग

91–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा अन्तर्गत तहसील नरैनी के गांव परसहर के हरीपुर के भरवा क्षेत्र में राजकीय ट्यूबवेल वर्ष 1990 एवं 1991 में स्वीकृत होकर बोर किया जा चुका है तथा पानी का अच्छा स्रोत मिला है ? यदि हां तो उसे कब तक चालू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत मसौनी पम्प कैनाल योजना के निर्माण कार्य को शीघ्र शुरू करने की मांग

92–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अंतर्गत मसौनी पम्प कैनाल योजना वर्ष 1976 से स्वीकृत है तथा मिट्टी का कार्य किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या इस नहर को पम्प हाउस (डिलवरी टैंक) का निर्माण कर चालू किया जा सकता है ? यदि हां, तो क्या शासन से वर्ष 91 में करीब 20 लाख रुपया इसके निर्माण के लिए स्वीकृत किया जा चुका है तथा मार्च, 91 में यह धनराशि जिले में प्राप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो अभी तक निर्माण न शुरू करने का क्या कारण है ? क्या इसे जल्दी शुरू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मसौनी पम्प कैनाल योजना वर्ष 1978 में स्वीकृत हुई थी तथा अभी मिट्टी का कार्य आंशिक रूप से पूर्ण हुआ है।

मसौनी पम्प कैनाल योजना राज्य नियोजन संस्थान/परियोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग एवं पर्यावरण निदेशालय को संदर्भित है। राज्य नियोजन संस्थान एवं पर्यावरण निदेशालय से स्वीकृति प्राप्त होने पर तथा धन उपलब्ध होने पर डिलीवरी टैंक का निर्माण चालू किया जा सकता है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

राज्य नियोजन संस्थान तथा पर्यावरण निदेशालय से स्वीकृति मिलने पर तथा धन उपलब्ध होने पर कार्य प्रारम्भ करना सम्भव हो सकेगा।

93-94–श्री दल सिंगार–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिये गये]

जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में मुंसिफ न्यायालय खोलने का प्रस्ताव

95–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ में वर्ष 1986-87 से मुंसिफ न्यायालय खोलने का प्रस्ताव लम्बित है ? यदि हां, तो यह कार्य कब तक प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता हो जाने पर कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

राम की पैड़ी के निर्माण कार्य में घोटाले के संबंध में कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

96–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24 अगस्त, 91 के लगभग प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्रमुख अभियन्ता सिंचाई, श्री भार्गव को मिला है जिसमें राम की पैड़ी के निर्माण कार्य में घोटाले की बात है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

राम की पैड़ी के निर्माण में अनियमितताओं के संबंध में एक अधिशासी अभियन्ता, 2 सहायक अभियन्ता एवं 2 अवर अभियन्ताओं को निलम्बित किया गया है।

जनपद देवरिया की चीनी मिल छितौनी के सा० प्रबन्धक श्री राजेन्द्र कुमार कपूर के विरुद्ध की गयी शिकायतों की जांच

97–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 26 अगस्त, 91 के लगभग श्री राजेन्द्र कुमार कपूर, सा० प्रबन्धक, चीनी मिल, छितौनी, जि० देवरिया के विरुद्ध उन्हें मिला है ? यदि हां, तो उस मामले की जांच में कौन सी कार्यवाही की गयी ? जांच अधिकारी कौन है तथा उसकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां, पत्र दिनांक 25-8-1991 प्राप्त हुआ था। शिकायतों की जांच की जा रही है। श्री के० एम० जोशी, प्रधान प्रबन्धक, इकाई छितौनी जांच अधिकारी हैं। जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

जनपद देवरिया की शुगर मिल बैतालपुर के सा० प्र०/अदाता श्री राजेश्वर शाही के विरुद्ध की गयी शिकायत पर कृत कार्यवाही की जानकारी

98–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें सीताराम शुगर मिल, बैतालपुर, देवरिया के सा० प्र०/अदाता श्री राजेश्वर शाही के विरुद्ध कोई शिकायती पत्र 26 अगस्त, 1991 के लगभग प्रश्नकर्ता का भेजा हुआ है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां, इस संबंध में प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनांक 25 अगस्त, 1991 प्राप्त हुआ । मामले में राज्य चीनी निगम से जांच आख्या प्राप्त हो गयी है जिसका शासन स्तर पर परीक्षण किया जा रहा है ?

श्री जहुरूद्दीन अहमद अभियन्ता के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित शिकायती -पत्र

99–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें।दिनांक 24 अगस्त, 91 के लगभग प्रश्नकर्ता का कोई पत्र श्री जहुरुद्दीन अहमद, अभियन्ता के विरुद्ध मिला है ? यदि हां, तो उस पत्र में क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता। अतः शेष का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जनपद देवरिया के दुदही-अमुवाखास मार्ग के निर्माण में व्यय धनराशि का विवरण

100–श्री नन्द किशोर मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-देवरिया में कोई दुदही--करवापट्टी मार्ग है ? यदि हां, तो यह कब बनना प्रारम्भ हुआ एवं कितना धन अब तक इस पर व्यय हो चुका है ? कितना मार्ग उस धन से बन चुका है तथा कब तक मार्ग बनकर तैयार होने की सम्भावना है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

दुदही–करवापट्टी मार्ग नहीं बल्कि दुदही–अमुवाखास मार्ग है। जो गत वर्ष 1988-89 में बनना प्रारम्भ हुआ एवं इस मार्ग पर रु० 11.65 लाख का मिट्टी का कार्य कराया गया जिससे लगभग 10 कि०मी० में आंशिक रूप से मिट्टी का कार्य हुआ है।

कार्यों की पारस्परिक वरीयता एवं धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए इस पर कार्य बन्द है।

101–श्री राम स्वरूप वर्मा--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद हरदोई की कटिघरा ड्रेन में कराये गये कार्यों का भुगतान

102–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई की कटिघरा ड्रेन पर फरवरी/मार्च, 1988 को कराये गये कार्य का भुगतान मजदूरों को अब तक न किये जाने के क्या कारण है ? क्या संबंधित अवर अभियन्ता (श्री ए० एच० नकवी) द्वारा अधिशासी अभियन्ता को बार-बार पत्र लिखे जाने के बाद भी लगभग 48 हजार रुपये का भुगतान न करके मजदूरों को भुखमरी की कगार पर ला दिया गया है ? यदि हां, तो क्या संबंधित दोषी अधिकारी को दण्डित करके भुगतान कराना सुनिश्चित करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कटिघरा ड्रेन में जो भी कार्य सम्पादित कराये गये थे उनका पूर्ण भुगतान किया जा चुका है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न में निहित भुगतान शेष न होने के कारण ।

प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के अनुसचिवीय संघ के साथ हुई वार्ता में लिये गये निर्णय पर कार्यवाही

103–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता कार्यालय सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश के अनुसचिवीय संघ के साथ शासन के विशेष सचिव सिंचाई की दिनांक 6-12-90 को कोई वार्ता हुई थी? यदि हां, तो इस वार्ता में किन-किन बिन्दुओं पर क्या-क्या निर्णय लिये गये थे? क्या लिये गये निर्णयों के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि नहीं, तो कब तक वांछित कार्यवाही पूरी कर ली जायेगी? लिये गये निर्णयों के अनुसार निश्चित तिथि तक कार्यवाही न पूर्ण करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शासन के आदेशों/निर्देशों के उल्लंघन हेतु क्या कार्यवाही की गयी? यदि इन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही अभी नहीं की गयी, तो कब तक कर ली जायेगी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 6-12-90 को विशेष सचिव, सिंचाई की वार्ता हुई थी, जिसका कार्यवृत्त संलग्न है।

लिये गये निर्णयानुसार कार्यवाही की जा रही है।

मांगों की पूर्ति के संबंध में समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

(संलग्नक के लिए देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 124 -125 पर)

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के कार्यरत लिपिकों को मूल कार्यालयों को वापस करने की मांग

104–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालयों एवं शिविरों में कुल कितने खण्डीय/मण्डलीय संवर्ग के लिपिक कार्यरत हैं? क्या उन्हें उनके मूल कार्यालयों को वापस किये जाने के लिये प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग द्वारा पूर्व में आदेश/निर्देश जारी किये गये हैं? यदि हां, तो जारी आदेशों/निर्देशों के उपरान्त भी अब तक इन्हें क्यों नहीं वापस किया गया तथा अब कब तक वापस कर दिया जायेगा? प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करके ऐसे लिपिकों को कार्यरत बनाये रखने वाले संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कब तक कार्यवाही कर ली जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद देवरिया की चीनी मिल भटनी की क्षमता विस्तार हेतु मझौली राज में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव

105–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया में चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने हेतु पूरी धनराशि का आवंटन हो गया है? यदि हां, तो कार्य प्रारम्भ न करने का क्या कारण है? क्या उसकी भूमि मझौलीराज में उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी ? क्या मझौली राज में यथाशीघ्र कार्य प्रारम्भ करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई, भटनी के क्षमता विस्तार हेतु कुल अनुमानित लागत रुपया 40.00 करोड़ में से केवल 3.30 करोड़ रुपये की अंशपूंजी शासन द्वारा आवंटित की गयी है, परन्तु अन्य स्रोतों जैसे वित्तीय संस्थाओं व चीनी विकास मद से ऋण अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः विस्तारीकरण का कार्य प्रारम्भ कराया जाना सम्भव नहीं है। भटनी इकाई के विस्तारीकरण हेतु मझौलीराज में भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

जनपद देवरिया की सदर चीनी मिल के मृत चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने की मांग

106–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्टूबर, 1988 से दिसम्बर, 1990 तक देवरिया चीनी मिल, जनपद देवरिया के चतुर्थ श्रेणी के किन-किन कर्मचारियों की मृत्यु सेवाकाल में ही हो गयी? उनके नाम और पद नाम क्या हैं? क्या उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सेवा में ले लिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? यदि लिया जायेगा, तो कब तक ? क्या वर्ष 88 से 90 के दौरान मिल में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो उनके नाम और पते क्या हैं?

श्री हनुमन्त सिंह–

माह अक्टूबर, 1988 से दिसम्बर, 1990 तक निगम की देवरिया इकाई, जनपद–देवरिया में निम्न कर्मचारियों की उनकी सेवाकाल में मृत्यु हुई :–

1–श्री गोरख पुत्र श्री रामपत, चौकीदार, दि० 30-11-1988

2–श्री प्यारे मोहन पुत्र श्री श्याम बिहारी, मजदूर दि० 16-12-88

3–श्री रामदेव पुत्र श्री सहदेव, मेन्टीफ्यूगल मजदूर, दि० 1-2-89

4–श्री मोती पुत्र श्री प्रसाद, ब्वायलर मजदूर, दि० 29-10-89

5–श्री रामलगन पुत्र श्री अलगू, केन कै० मजदूर, दि० 23-6-1990

6–श्री नत्थू पुत्र श्री चोकट, ब्वायलर मजदूर, दि० 29-9-1990

क्रम सं० 4, 5, 6 अंकित कर्मचारियों की सेवाकाल में हुई मृत्यु के फलस्वरूप उनके आश्रितों को अनुकम्पा के आधार पर सेवा में ले लिया गया है। क्रम सं० 1 से 3 पर अंकित कर्मचारियों की मृत्यु उनके सेवाकाल में देवरिया चीनी मिल के अधिग्रहण की तिथि दि० 24-4-89 के पूर्व हुई थी एवं उनके

आश्रितों को सेवा में नहीं लिया गया है। अधिग्रहण के पूर्व हुई मृत्यु के लिये मृतकों के आश्रितों को सेवा में लिये जाने का उत्तरदायित्व अधिग्रहण अधिनियम, 1971 के अनुसार नियम का नहीं है। वर्ष 1988 से वर्ष 1990 के बीच मिल में नियुक्त 81 अकुशल मजदूरों की सूची उनके नाम व पते सहित संलग्न है।

(संलग्नक के लिए देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 126-129 पर)

जनपद अलीगढ़ के विकास खण्ड हसायन में जाऊ माइनर के टेल क्षेत्र में अनावश्यक पानी छोड़ने से जल प्लावन की समस्या

107–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जनपद के हसायन विकास खण्ड में, जाऊ माइनर के टेल क्षेत्र में छोड़े जाने वाले अनावश्यक जल से कृषि भूमि में क्षति होती है? यदि हां, तो क्या इस माइनर की टेल को कानऊ ग्राम की सीमा तक बढ़ाकर नाले में छोड़ने के प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति से हो चुका है? यदि हां, तो क्या विभाग के पास इस कार्य के लिये धन भी उपलब्ध है? यदि हां, तो इस कार्य को कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद अलीगढ़ के हसायन विकास खण्ड में जाऊ माइनर की हेड रीच में पानी की मांग कम होने की स्थिति में टेल क्षेत्र में अतिरिक्त पानी आने के कारण जल प्लावन की समस्या हो जाती है। कृषि भूमि में क्षति नहीं होती है।

प्रोजेक्ट का अनुमोदन जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति की दिनांक 16-3-91 की बैठक में हो चुका है।

जी हां। यह कार्य जून, 1992 तक पूर्ण करा दिया जाना प्रस्तावित है

जनपद अलीगढ़/एटा की तहसील सिकन्दराराऊ/जलेसर की ऊसर भूमि को ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत लिया जाना

108–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सरकार को जानकारी है कि अलीगढ़ जनपद की सिकन्दराराऊ व एटा जनपद की जलेसर तहसीलों के अन्तर्गत बड़े भूभाग में ऊसर, बंजर तथा बेकार भूमि पड़ी है? यदि हां, तो क्या इस भूमि के सुधार हेतु सरकार की कोई योजना है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

जनपद एटा में ऊसर सुधार योजना गत वर्ष से कार्यान्वित की जा रही है। जनपद अलीगढ़ के सिकन्दराराऊ तथा एटा के जलेसर तहसीलों को विश्व बैंक पोषित ऊसर सुधार योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है।

जनपद अलीगढ़ पी० बी० मार्ग से महमूदपुर सीमान्त मार्ग पर लेपन स्तर तक कार्य कराने की मांग

109-श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी० बी० मार्ग से ग्राम महमूदपुर (जनपद-अलीगढ़) के सीमान्त मार्ग के अन्तर्गत 0.960 कि० मी० लम्बाई में कृषि उत्पादन मण्डी समिति सिकन्द्राराऊ (अलीगढ़) द्वारा खड़ंजा लगाया गया था? यदि हां, तो क्या इस मार्ग के शेष भाग पर दूसरे विभाग ने लेपन स्तर का कार्य कर दिया है? क्या उक्त 0.96 कि०मी० मार्ग मण्डी परिषद् के पास है? यदि हां, तो क्या इस भाग में लेपन कार्य हेतु विधान सभा आश्वासन सं०–130/87 के अनुरूप मण्डी परिषद् मुख्यालय से स्वीकृति दी जा चुकी है? क्या यह भी बतायेंगे कि पी० बी० मार्ग से महमूदपुर सीमान्त मार्ग की 0.960 कि०मी० लम्बाई में लेपन कार्य कब तक करा दिया जायेगा?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सिकन्द्राराऊ द्वारा नहीं बल्कि जिला परिषद् द्वारा खड़ंजा लगाया गया था।

जी नहीं।

जी हां।

जी हां।

जून, 1992 तक।

जनपद मिर्जापुर के ब्लाक नरायनपुर, जमालपुर, राजगढ़ के चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

110-श्री यदुनाथ सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री मिर्जापुर जनपद एवं सोनभद्र जनपद के सौ प्रतिशत ग्रामों का ऊर्जीकरण करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त जनपदों के सितम्बर, 1991 ऊर्जीकरण चयनित ग्रामों की क्या सूची है? ग्रामें के विद्युतीकरण के लिये चयन की क्या प्रक्रिया एवं प्राविधान है? क्या जनपद मिर्जापुर के नरायनपुर ब्लाक, जमालपुर ब्लाक, राजगढ़ ब्लाक के चयनित ग्रामों का पूर्ण विद्युतीकरण 30 नवम्बर, 1991 तक कर दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण ऐसा कर पाना अभी सम्भव नहीं है।

जनपदवार सितम्बर, 1991 में ऊर्जीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची संलग्नक "क" व "ख" में दी गयी है।

विद्युतीकरण हेतु ग्रामों का चयन जिला की सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य जनपद के सभी मा० सांसद एवं विधायक होते हैं। उक्त समिति जनपद के लिये वर्ष विशेष हेतु निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप ग्रामों का चयन करती है।

प्रश्नगत तीनों विकास खण्डों में ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और संसाधन उपलब्ध होने के प्रतिबन्ध के साथ इनका विद्युतीकरण इसी वित्तीय वर्ष में किया जा सकता है।

(संलग्नक के लिए देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 130-133 पर)

जनपद टिहरी गढ़वाल के तिलवाड़ा मरदार पावर हाउस को शीघ्र चालू करने की मांग

111–श्री मातवर सिंह कण्डारी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलवाड़ा मरदार पावर हाउस टिहरी गढ़वाल क्यों बन्द पड़ा हुआ है? क्या पावर हाउस चालू किया जावेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

तिलवाड़ा जल विद्युत गृह (क्षमता 200 कि० वाट) नहर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण बन्द है।

लगभग 200 मीटर लम्बी नहर की मरम्मत की जानी है, जिस पर रु० 3.35 लाख का व्यय होना तथा कार्य में 4 माह का समय लगना अनुमानित है। अतः आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर यह कार्य पूर्ण किया जा सकेगा।

राज्य विद्युत परिषद् में वित्तीय विशेषज्ञ श्री के० पी० राव की सेवायें लेने का औचित्य

112–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् में सितम्बर, अक्टूबर, 1991 में किसी उच्च स्तरीय परामर्श दाता की नियुक्ति की गयी है? यदि हां, तो क्या इस प्रकार के किसी परामर्शदाता की कोई जगह रिक्त थी? यदि नहीं, तो परामर्शदाता की नई जगह सृजित करने के लिये क्या शासन से पूर्व स्वीकृति प्राप्त की गयी थी? क्या सरकार बतायेगी कि करोड़ों रुपये के घाटे पर चल रहे बोर्ड में परामर्शदाता की क्या आवश्यकता थी?

श्री लाल जी टण्डन–

"जी नहीं"। परिषद् में सितम्बर, अक्टूबर, 1991 किसी उच्च स्तरीय परामर्शदाता की नियुक्ति नहीं की गयी है। विद्युत परिषद् को कितना घाटा उसके सुचारु रूप से काम न करने तथा उत्पादन में कमी एवं अधिक लाइन हानियों के कारण हो रहा है तथा कितना टैरिफ इत्यादि में कमी के कारण, इसका अध्ययन करने हेतु वित्तीय विशेषज्ञ श्री के० पी० राव की सेवायें एक मुश्त भुगतान पर ली गयी थीं।

"जी नहीं"। इस प्रकार के किसी परामर्शदाता की परिषद् में न तो कोई जगह रिक्त थी और न ही नयी जगह का सृजन ही किया गया था। जब सृजन ही नहीं किया गया तो शासन की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं थी। शेष प्रश्न नहीं उठता।

सिंचाई विभाग के कानपुर, लखनऊ, रुड़की में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं के तैनाती की अवधि

113–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई विभाग में कानपुर, लखनऊ, रुड़की में अधीक्षण अभियन्ता प्रतिबन्धित अवधि पूरा करने के बाद भी एक ही जगह पर वर्षों से रह रहे हैं? यदि हां, तो इनको कार्यकारी पद पर न भेजने का क्या कारण है? डाल सिंचाई वाराणसी में एक अधीक्षण अभियन्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने के संबंध में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मंत्री को तारीख 6-8-91 को प्रेषित पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सिंचाई विभाग के अन्तर्गत कानपुर, लखनऊ, रुड़की में 7 अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) तथा 2 अधीक्षण अभियन्ता (यांत्रिक) ऐसे हैं जो 3 वर्ष की प्रतिबन्धित अवधि पूरी कर चुके हैं परन्तु इनमें से 6 अधीक्षण अभियन्ता वर्तमान पदों पर 3 वर्ष से कम अवधि से तैनात हैं।

अधिकारियों की उपयुक्तता एवं कार्य की आवश्यकता को देखते हुए पद स्थापना की जाती है।

उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार संबंधित अधिकारी की सत्यनिष्ठा संदिग्ध नहीं है। अतः किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

जनपद वाराणसी की सदर तहसील में काश्तकारों की भूमि पर विश्व बैंक एवं राजकीय नलकूप लगाने हेतु ली गयी भूमि के मुआवजे का भुगतान

114--श्री दीना नाथ सिंह यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी सदर तहसील में वर्ष 1980 से 1990 के बीच प्रतिवर्ष कितने विश्व बैंक एवं राजकीय नलकूप काश्तकारों की भूमि पर लगाये गये हैं परन्तु भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया ? इसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई तथा ब्याज सहित अवशेष मुआवजा कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

वर्ष 1980 से 1990 बीच प्रतिवर्ष काश्तकारों की भूमि पर निर्मित विश्व बैंक एवं राजकीय नलकूप, जिनकी भूमि का मुआवजा नहीं दिया गया है, का विवरण निम्नवत् है :--

क्रमांक	वर्ष	राजकीय	विश्व बैंक
1.	1980-81	15	2
2.	1981-82	11	11
3.	1982-83	3	--
4.	1983-84	5	--
5.	1984-85	4	--
6.	1985-86	6	25
7.	1986-87	6	--
8.	1987-88	5	--
9.	1988-89	1	48
10.	1989-90	7	--
11.	1990-91	2	--
	योग	67	86

जनपद वाराणसी की सदर तहसील में चकबंदी की प्रक्रिया प्रगति में है, जिसके कारण भूमि अध्याप्ति के प्रकरण लम्बित हैं। चकबंदी एवं भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त प्रतिकर का भुगतान कर दिया जायेगा।

जनपद वाराणसी कृषि उत्पादन मण्डी समिति द्वारा श्री हरिनाथ यादव को ट्रांसपोर्ट हेतु स्थान उपलब्ध कराने की मांग

115–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मंडी समिति, वाराणसी ने अपने पत्रांक मंडी स्थल ट्रांस 90/1000, दिनांक 21-11-90 के द्वारा उपनिदेशक, विपणन, राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद् उ० प्र०, 16 ए० पी० सेन रोड, लखनऊ को नवीन मंडी स्थल पहड़ियां, वाराणसी में श्री हरिनाथ यादव को ट्रांसपोर्ट हेतु स्थान उपलब्ध कराने हेतु लिखा है? यदि हां, तो क्या उन्हें अब तक स्थान उपलब्ध करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस संबंध में उपनिदेशक, विपणन ने पत्र संख्या वि०प०/व्या०/स्थान०/741/88.3414, दिनांक 21 अगस्त, 90 द्वारा संभागीय उपनिदेशक (प्रशासन) के माध्यम से आख्या मांगी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री हरिनाथ यादव को उक्त ट्रांसपोर्ट की सुविधा तुरन्त देने पर विचार करेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं, इस प्रकार की संस्तुति संदर्भित पत्र में नहीं की गयी ।

जी नहीं ।

प्रशासनिक दृष्टि से ट्रांसपोर्ट हेतु स्थान दिया जाना सम्भव नहीं है।

जी नहीं, वरन् आख्या उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मारक भेजा गया था ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद व तहसील वाराणसी, प० कोल असला के ग्राम पिंडरा में आ० चक नं० 2446 पर स्थापित पब्लिक नलकूप संख्या-10 का भूमि अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत मुआवजे का भुगतान

116–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप संख्या 310 जो कि चक नं० 2046 के आ० संख्या 1304/39558 गांव पिंडरा, प० कोल असला, त० व जिला वाराणसी में लगभग 10 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया है? उसका मुआवजा अब तक किसानों को न देने का कारण क्या है ? क्या यह आराजी श्री सुरेन्द्र नारायण सिंह, नि० पिंडरा, वाराणसी की है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका मुआवजा जल्द से जल्द उन्हें भुगतान करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पब्लिक नलकूप संख्या 310 चक संख्या 2046 पुराने गाटा संख्या 1304 में लगभग 10 वर्ष पूर्व में बनाया गया है ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण प्रतिकर का भुगतान नहीं हो सका है । अब धारा 4/6 की विज्ञप्ति प्रकाशन हेतु निदेशक, राजकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री, उ० प्र०, इलाहाबाद को दिनांक 5-2-92 को भेज दी गयी है ।

गाटा संख्या 1304 मि० रकबा 0.13 एकड़ जिसमें नलकूप संख्या 310 निर्मित है, श्री सुरेन्द्र नारायण उर्फ निहाल पुत्र भगवदबादुर, निवासी पिंडरा के चक में प्रतिष्ठ की गयी है।

भूमि अर्जन अधिनियम की धारा 4 व 6 की विज्ञप्ति प्रकाशित होने के उपरान्त मुआवजा का भुगतान कर दिया जायेगा ।

नलकूप विभाग एवं डाल सिंचाई योजना में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ताओं का स्थानान्तरण न करने का कारण

117–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप विभाग एवं डाल सिंचाई योजना में कितने ऐसे अधीक्षण अभियन्ता यांत्रिक हैं जो अपना छः वर्ष का प्रतिबन्धित कार्यकाल पूरा कर चुके हैं? उनको अब तक स्थानान्तरित न करने का कारण क्या है ? क्या डाल सिंचाई, वाराणसी मे किसी ऐसे अधीक्षण अभियन्ता की नियुक्ति की गयी है जिनकी सत्यनिष्ठा संदिग्ध रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

नलकूप विभाग एवं डाल सिंचाई योजना में अर्थात् सिंचाई विभाग के यांत्रिक संवर्ग में 4 अधीक्षण अभियन्ता ऐसे हैं जिन्होंने 6 वर्ष का प्रतिबन्धित कार्यकाल पूरा कर लिया है ।

उक्त 4 में से 2 अधीक्षण अभियन्ता वर्तमान में प्रतिबन्धित स्थानों पर पदस्थ नही हैं अतः उन्हें प्रतिबन्धित स्थान से अप्रतिबन्धित स्थान पर स्थानान्तरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता । शेष दो अधीक्षण अभियन्ताओं को कार्यहित/जनहित मे प्रतिबन्धित स्थान पर ही तैनात रखा गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ के ग्राम धनपालपुर की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

118–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च से लेकर 20 जून, 91 तक काशी विद्यापीठ ब्लाक, जिला वाराणसी मे कितने गांवों का विद्युतीकरण अधिशासी अभियन्ता, विद्युत, वाराणसी ने बिना स्वीकृति के किया है ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र ऊर्जा मंत्री को दिनांक 3-7-91 को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र की प्रति जोनल चीफ विद्युत, वाराणसी को दि० 1 जुलाई, 91 को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी ? यदि नहीं की गयी, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उन हरिजन बस्तियों तथा अन्य गांवों के नाम की सूची सदन के पटल पर रखेगी, जहां विद्युतीकरण कर दिया गया है ?

श्री लाल जी टण्डन–

प्रश्नगत अवधि में किसी भी गांव का विद्युतीकरण बिना स्वीकृति के नहीं किया गया ।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्नगत अवधि में वाराणसी जनपद के विकास खण्ड काशी विद्यापीठ में ग्राम धनपालपुर तथा निम्नलिखित हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण उनके सम्मुख दिये गये प्राक्कलित धनराशि से किया गया :––

क्र० सं०	हरिजन बस्ती का नाम	प्राक्कलित धनराशि
1.	धनपालपुर	रु० 0.94 लाख
2.	मूढादेव	रु० 0.09 लाख
3.	खनांव	रु० 0.09 लाख

जनपद गाजीपुर के सैदपुर स्थित विद्युत विभाग के जे० ई० श्री देवदत शर्मा द्वारा 12 मई को ग्राम दबेथुआ की पोलिंग पर झंडा फहराने और वोट दिलाने के संबंध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

119–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, सैदपुर, गाजीपुर के जे० ई० श्री देवदत शर्मा, ग्राम दबेथुआ, थाना फूलपुर, वाराणसी 20 जून व 12 मई को अपने गांव दबेथुआ के पोलिंग पर कांग्रेस का झंडा फहरा कर वोट दिलवाने और फर्जी वोटिंग का काम करा रहे थे ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में थाना फूलपुर के रिटर्निंग आफीसर 245-कोल असला विधान सभा क्षेत्र तथा जिलाधिकारी, वाराणसी को क्रमशः 21 मई व 13 जून, 91 के प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए हैं ? क्या विद्युत मंत्री को भी इसी बारे में दिनांक 28-6-91 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

ग्राम-दबेथुआ, थाना फूलपुर, वाराणसी में मतदान दिनांक 20 व 12 मई को न होकर दिनांक 1 मई, 1991 को हुआ था । श्री देवदत्त शर्मा, अवर अभियन्ता दिनांक 20 मई, 1991 को केवल वोट डालने गये थे और उन्होंने न कोई झण्डा फहराया और न ही फर्जी वोटिंग करायी थी ।

संदर्भित पत्र सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर, विधान सभा क्षेत्र 245 कोल असला, वाराणसी तथा इस विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बांदा के सिंचाई विभाग में प्रमुख अभियन्ता के अधीन नलकूप मध्य द्वारा मृतक श्री बदलू राय की पत्नी श्रीमती शिवदुलारी को सेवा में न लिये जाने की शिकायत

120– श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० नलकूप मध्य दिनांक 30-4-1991 को अ० शासकीय पत्र संख्या 3667 नलकूप मध्य द्वारा मृतक आश्रित श्रीमती शिवदुलारी, ग्राम/पो० पलरा, तहसील व जनपद बांदा के आवेदन पत्र दिनांक 25-4-91 के सदर्भ में उसके स्व० पति श्री बदलूराय पुत्र देवीदयाल पनरोल सेवा के दौरान में मृत्यु के आधार पर "श्रेणी घ" में नियमित नियुक्ति/समायोजन हेतु अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड बांदा को निर्देश दिया गया है ? यदि हां, तो क्या पत्र की प्रतिलिपि, शिवदुलारी को भी भेजी गई है ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या किया गया ? क्या समायोजन करके नियुक्ति पत्र उसे दे दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक उन्हें नियुक्ति किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पात्रता के अनुसार नियुक्ति हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी प्रति श्रीमती शिवदुलारी को भी भेजी गई थी । श्री बदलू राय की सींचपाल के पद पर अस्थायी नियुक्ति 1-12-72 को की गयी थी

श्री बदलू राय दि० 9-5-75 से 13-5-75 तक अवकाश पर रहे । तत्पश्चात् स्व० श्री बदलू राय ने दिनांक 20-6-84 को देहावसान हो जाने के पूर्व कार्यभार ग्रहण नहीं किया ।

9 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए सेवा से अनुपस्थिति रहने के कारण उनके आश्रित को सेवा में नहीं लिया गया ।

प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के पुनर्गठन हेतु समिति के सुझावों की प्राप्ति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही

121–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के पुनर्गठन के लिए प्रमुख अभियन्ता (परिकल्प नियोजन) के ज्ञाप संख्या-सी-86/प्र०अ० दिनांक 19-2-90 द्वारा किसी समिति का गठन किया गया है ? यदि हां तो क्या समिति द्वारा दिये गये सुझाव विभागाध्यक्ष को प्राप्त हो गये हैं ? यदि नहीं, तो कब तक प्राप्त हो जायेंगे तथा पुनर्गठन के प्रस्ताव शासन द्वारा दिनांक 6-12-90 को संघ के साथ हुई वार्ता में दिये गये निर्देशों के अनुसार शासन को कब तक प्राप्त हो जायेंगे एवं इस पर शासन द्वारा कब तक पुनर्गठन के आदेश जारी कर दिये जायेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जी हां ।

समिति के सुझाव अभी प्राप्त नहीं हुये हैं ।

समिति के सुझाव शीघ्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे है । समिति के सुझावों की प्राप्ति के उपरान्त अग्रेतर कार्यवाही किया जाना संभव होगा ।

प्रमुख अभियन्ता/क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय के कतिपय अनुभागों हेतु प्रशासनिक अधिकारी के पदों के औचित्य का परीक्षण

122–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रमुख अभियन्ता /क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालयों के कुल कितने अनुभाग कार्यरत हैं ? क्या इन अनुभागों के इंचार्ज का नाम प्रशासनिक अधिकारी है ? यदि हां, तो वर्तमान में कुल कितने प्रशासनिक अधिकारी के पद स्वीकृत/कार्यरत हैं ? इस प्रकार कुल कितने अनुभाग ऐसे हैं जिनके लिये प्रशासनिक अधिकारी के पद स्वीकृत/कार्यरत नहीं है ? कब तक इन शेष अनुभागों के लिये प्रशासनिक अधिकारी के पद स्वीकृत कर इन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति कर दी जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 61 अनुभाग कार्यरत हैं ।

उक्त 61 अनुभागों में से 44 अनुभागों के इंचार्ज का नाम प्रशासनिक अधिकारी हैं । वर्तमान में कुल 44 पद प्रशासनिक अधिकारी के स्वीकृत/कार्यरत हैं ।

17 अनुभाग ऐसे हैं जिनके लिये प्रशासनिक अधिकारी के पद स्वीकृत नहीं हैं ।

शेष अनुभागों में पदों के औचित्य का परीक्षण किया जा रहा है ।

जनपद लखनऊ के सिंचाई विभाग की कालोनी के कतिपय आवासों में अनधिकृत रूप से अध्यासित कर्मचारियों/अधिकारियों से किराये की वसूली

123–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित समस्त श्रेणी के कितने आवासों में सेवानिवृत्त एवं लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी निवास कर रहे हैं ? क्या इनके द्वारा शासनादेश संख्या–आर-8004/32-2-88, दिनांक 24-12-88 में निर्धारित दण्डात्मक किराये की धनराशि जमा की जा रही है ? यदि नहीं, तो इनके प्रति बकाये धनराशि की वसूली इनके पेंशन आदि से कब तक कर ली जायेगी तथा वर्ष 1988 से अब तक ऐसे कितने कर्मचारी/अधिकारी हैं जिनसे उक्त शासनादेश के अनुसार दण्डात्मक किराये की वसूली की जानी है ? अब तक कुल कितनी धनराशि वसूली जा चुकी है तथा कितनी धनराशि की वसूली शेष है ? इस प्रकार की वसूली न होना क्या वित्तीय अनियमितता नहीं है ? यदि हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी उत्तरदायी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्तमान में सिंचाई विभाग के लखनऊ स्थित कालोनी के 15 आवासों में सेवानिवृत्त एवं लखनऊ से बाहर स्थानान्तरित अधिकारी/कर्मचारी निवास कर रहे हैं ।

वित्तीय हस्त पुस्तिका के प्राविधानों तथा शासनादेश संख्या –8004/32-2-88, दिनांक 24-12-88 के अनुसार दण्डात्मक किराया लगाया गया है तथा वसूली की कार्यवाही की जा रही है । बकाये किराये की वसूली हेतु नोटिस जारी की जा चुकी है । वर्ष 1988 से अब तक 22 कर्मचारी/अधिकारियों से दण्डात्मक किराये की वसूली की जानी है ।

अब तक रु० 15,220.00 की वसूली की जा चुकी है और 7,02,962.55 की वसूली अवशेष है ।

जी हां ।

इसके लिए उपरोक्त कर्मचारी/अधिकारी ही उत्तरदायी हैं जिनके विरुद्ध दण्डात्मक किराये की वसूली की जानी है ।

जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा की अवशेष ग्राम सभाओं का विद्युतीकरण करने की मांग

124–श्री बाला प्रसाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में किनने ऐसे राजस्व ग्राम सभायें हैं तथा पुरवे हैं जहां अभी तक ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य नहीं कराया गया है? क्या सरकार भविष्य में आर० ई० सी० योजना मे अवशेष ग्राम सभाओं को विद्युतीकरण में शामिल करने के लिये कोई योजना भारत सरकार को भेज रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद लखीमपुर खीरी के अन्तर्गत तहसील धौरहरा में कुल आबाद राजस्व ग्रामों की संख्या 194 है जिनमें से 93 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार किया जा चुका है जबकि 75 राजस्व ग्रामों में एल० टी० लाइन बिछायी जा चुकी है। इस प्रकार 101 अदद ऐसे

आबाद राजस्व ग्राम हैं जिनमें बिल्कुल विद्युतीकरण का कार्य नहीं हुआ है जबकि 119 राजस्व ग्रामों को एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकृत किया जाना अभी शेष है। राजस्व ग्रामों के पुरवों के विद्युतीकरण करने के कार्य का प्राविधान वर्तमान में ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में नहीं है।

प्रश्नगत क्षेत्र के ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु नई आर० ई० सी० योजनायें बनायी जा रही हैं जिनको शीघ्र ही स्वीकृति हेतु भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) के "ए" टाइप आवासों को अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने की मांग

125–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये निर्मित आवास "ए" टाइप (नई कालोनी) आवासों में बाहरी व्यक्तियों द्वारा अनधिकृत कब्जा किया गया है ? यदि हां, तो किन-किन आवासों पर अनधिकृत कब्जा किया गया है तथा अनधिकृत कब्जा करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या हैं? क्या सरकार "ए" टाइप आवासों को अनधिकृत व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त करायेगी? यदि हां, तो किस तिथि तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

आवास सं०–ए-10 नई कालोनी।

श्री राम प्रसाद, प्रवक्ता, श्री नवाब सिंह ग्रामोदय इण्टर कालेज, कासिमपुर (अलीगढ़)।

जी हां, अनधिकृत व्यक्ति के कब्जे से आवास मुक्त कराने के लिये जिला प्रशासन का सहयोग प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है।

जनपद उन्नाव के पोस्ट–कोरारी के ग्राम–भुभुवार के निवासियों को विद्युत कनेक्शन न देने के संबंध में अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

126–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-भुभुवार, पोस्ट–कोरारी कला, जनपद–उन्नाव के 20 नागरिकों द्वारा बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिये विद्युत वितरण खण्ड, उन्नाव के कार्यालय में धनराशि जमा की गयी है ? यदि हां, तो अभी तक विद्युत कनेक्शन उन लोगों को न देने के क्या कारण हैं तथा कब तक कनेक्शन दे दिया जायेगा ? कनेक्शन में विलम्ब के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लाल जी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है।

127–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) लखनऊ के कार्यालय लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के लम्बित समयबद्ध वेतनमान के मामलों का विवरण

128–श्री भगवती प्रसाद शुक्ला–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) कार्यालय-14, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ द्वारा समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने के कितने केस सितम्बर, 1991 तक लम्बित हैं? ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम, तैनाती स्थान कहां-कहां हैं? क्या यह सत्य है कि लम्बित समयबद्ध वेतनमान के केस को निबटाने हेतु गलत कार्यालय ज्ञापन जारी किये गये और बाद में इन आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी ? यदि हां, तो इन आदेशों को निर्गमित करने वाले अधिकारी का क्या नाम है तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ में सितम्बर, 1991 तक लिपिक वर्गीय कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत किये जाने के 237 मामले लम्बित हैं। ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम एवं तैनाती स्थान की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जी नहीं । समयबद्ध वेतनमान स्वीकृत करने हेतु गठित चयन समिति के संज्ञान में नवीनतम आदेश न होने के कारण गलत आदेश जारी हो गये थे। विसंगति पता लगने पर इन आदेशों के क्रियान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गयी ।

उक्त आदेश चूंकि चयन समिति की अनुशंसा पर जारी किये गये थे अतः किसी अधिकारी विशेष को इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता ।

129–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय में अधिष्ठान जांच एवं अन्य कार्यों हेतु रखे गये अवर/सहायक अभियन्ताओं का विवरण

130–श्री राम लखन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रमुख अभियन्ता सिंचाई विभाग के कार्यालय में कितने अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता अधिष्ठान जांच तथा अन्य गैर तकनीकी कार्यों पर रखे गये हैं जबकि यह कार्य लिपिकों से ही लिया जा सकता है? कितने गैर तकनीकी प्रकृति वाले अनुभागों के प्रति अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठ आफीसर) नियुक्त किये गये हैं जिनका कार्य वैयक्तिक सहायक (अनुसचिवीय) से लिया जा सकता है? इस प्रकार से अधिक वेतनमान वाले अभियन्ता, सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता के स्थान पर लिपिक तथा वैयक्तिक सहायक (अनुसचिवीय) से कार्य लिये जाने पर वेतन के रूप में दी जाने वाली शासकीय धन की प्रति वर्ष कितनी बचत होगी ऐसे तकनीकी अधिकारियों को कब तक कार्यालय से हटा कर उनसे प्रदेश के विकास हेतु क्षेत्रों का कार्य लिया जायेगा तथा इनके स्थान पर लिपिकीय कर्मचारियों को कब तक नियुक्त किया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग में 21 अवर अभियन्ता, 5 सहायक अभियन्ता एवं 43 अधिशासी अभियन्ताओं को अधिष्ठान जांच एवं अन्य कार्यों हेतु स्थापित किया गया है। इनके द्वारा किये जाने वाला कार्य लिपिकों से नहीं लिया जा सकता है ।

आवश्यकतानुसार विभिन्न अनुभागों में 21 अधीक्षण अभियन्ता (वरिष्ठ स्टाफ आफीसर) नियुक्त हैं। जिस कार्य हेतु वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी नियुक्त हैं वह कार्य वैयक्तिक सहायक (अनुसचिवीय) से नहीं लिया जा सकता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के ब्लाक पिण्डरा के ग्राम सिंधौरा के श्री देवसरन राम के पम्पिंग सेट को कनेक्शन सुविधा दिया जाना

131–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सिंधौरा, ब्लाक पिण्डरा, जिला वाराणसी के देवसरन राम पुत्र शिव प्रसाद के नाम वाराणसी से कनेक्शन नं० 7983/525440 को वाराणसी जिले की सीमा में कनेक्शन देने हेतु खम्भे गाड़ दिये गये थे ? क्या यह सही है कि बिना किसी आदेश के चोलापुर सब विद्युत स्टेशन के जे०ई० मानवर राय ने सभी खम्भों को उखाड़ कर जौनपुर जिले के जमसार गांव में गलत ढंग से गड़वाये ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और कार्यवाही करेगी ? क्या यह सही है कि इसका विरोध करने पर पुनः देवसरन राम की लाइन उक्त जे० ई० ने तीसरी जगह से जोड़ दिया है जो स्वीकृति के विपरीत है ? क्या यह भी सही है कि देव सरन की मशीन 5/6 माह से बन्द पड़ी है और खम्भा टूटा हुआ है तथा तीन तार तीन तरह के लगाये गये हैं ? क्या सरकार उक्त जे० ई० मानवर राय के खिलाफ कार्यवाही करते हुए श्री देवसरन राम के पम्पिंग सेट को कनेक्शन की स्वीकृति के मुताबिक ठीक करायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

उपरोक्त लाइन से जुड़े अन्य बकायेदार उपभोक्ताओं की लाइन प्रभावी तरीके से काटने के फलस्वरूप श्री देवसरन राम भी प्रभावित हो गये । चूंकि श्री देवसरन राम उपरोक्त लाइन के अन्तिम छोर पर थे तथा इनके यहां कोई विद्युत बकाया नहीं था, अतः इनकी लाइन को अन्यत्र से चालू करने का प्रस्ताव स्वीकृत हो चुका है । श्री देवसरन राम के पम्पिंग सेट से काफी नजदीक जमसार गांव तक जौनपुर की विद्युत आपूर्ति मौजूद होने के कारण पहले जमसार गांव में खम्भे गाड़कर इसी लाइन से श्री देवसरन राम को कनेक्शन देने का प्रयास किया गया था, लेकिन ग्रामीणों द्वारा इनका विरोध करने पर उपरोक्त कनेक्शन को अन्य व्यवस्था द्वारा स्वीकृत प्राक्कलन के अनुरूप चालू किया गया है ।

उपरोक्त प्रक्रिया के दौरान श्री देवसरन राम की विद्युत आपूर्ति लगभग 4 माह तक बन्द रही है, लेकिन इस समय चालू अवस्था में है । शिफ्टिंग के दौरान दो खम्भे टूट गये थे जिन पर एक्सटेन्शन पीस लगाकर लाइन चालू की गयी है। लाइन में एक स्पैन जी० आई० वायर लगा हुआ पाया गया जिसका कारण मौके पर तार का कम होना बताया गया है जो प्राक्कलन से भी प्रमाणित है ।

उपरोक्त परिस्थितियों में जे० ई० के विरुद्ध कार्यवाही का मामला नहीं बनता है। श्री देवसरन राम के पम्पिंग सेट को कनेक्शन सुविधा दे दी गयी है ।

जनपद आगरा के दयालबाग माइनर की भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की कार्यवाही

132–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि आगरा में दयाल बाग माइनर अब कार्य नहीं कर रही है और इसकी जमीन पर अवैध कब्जा हो रहे हैं? यदि हां, तो अवैध कब्जों को रोकने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो क्या और कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां । अवैध कब्जों को हटाने हेतु न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद आगरा के चम्बल डाल योजना के अवशेष कार्य हेतु अनुमानित व्यय का विवरण

133–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में चम्बल डाल योजना कब स्वीकृत हुई और कब तक पूरा होने का समय निर्धारित किया गया था? निर्धारित अवधि में योजना के पूरा न हो पाने के कारण क्या हैं? अब इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा? अब तक इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी है और कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है ? शेष कार्य पर आगे क्या खर्च होने का अनुमान है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आगरा में चम्बल डाल योजना की स्वीकृति सितम्बर, 1979 में प्रदान की गयी । प्रारम्भिक अनुमान के अनुसार यह परियोजना वर्ष 1983-84 में पूर्ण होनी थी। धन की उपलब्धता अत्यधिक कम होने के कारण परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सकी। परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य वर्ष 1997-98 रखा गया है। जनवरी, 1992 तक इस परियोजना पर रुपये 1281 लाख का व्यय हुआ है, जिससे परियोजना का लगभग 30% भाग पूर्ण हुआ है, शेष कार्य पर वर्तमान आगणन के अनुसार लगभग रुपये 2.879 लाख व्यय होने का अनुमान है ।

जनपद फैजाबाद के विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर/ फैजाबाद में औद्योगिक कनेक्शन देने पर रोक की शिकायत

134–श्री लाल जी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद के विद्युत वितरण खण्ड, अकबरपुर एवं फैजाबाद में औद्योगिक कनेक्शन पर रोक लगायी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखनऊ के मार्टिन पुरवा के कतिपय मकानों को विद्युत कनेक्शन देने की मांग

135–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि मार्टिनपुरवा, लखनऊ में बिजली के पोल नं० 9/3 के ठीक सामने जहां इण्डिया मार्क–II हैण्ड पम्प लगा हुआ है उस स्थान पर करीब 100 आवास हैं, किन्तु उन घरों में बिजली आज तक नहीं है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित में उक्त स्थान पर बिजली के पोल गड़वा कर तार खिंचवायेंगे? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां। मार्टिन पुरवा, लखनऊ में बिजली पोल नं० 9/3 के ठीक सामने जहां इण्डिया मार्क-II हैण्ड पम्प लगा है, उस स्थान पर अनेक घर बने हैं जिनमें से कुछ घरों में विद्युत कनेक्शन आज तक नहीं हैं।

वर्तमान में विद्युत कनेक्शन दिये जाने के नियमों के अनुसार प्रश्नगत क्षेत्र के जिन घरों की दूरी विद्यमान एल० टी० लाइन से 40 मीटर तक है, उन्हें एल० टी० लाइन के द्वारा कनेक्शन दिये जा रहे हैं। किन्तु जिन मकानों की दूरी 40 मीटर से अधिक है उन्हें विद्युत कनेक्शन तभी दिये जा सकते हैं जब वे अतिरिक्त एल० टी० लाइन का व्यय स्वयं वहन करें।

136–श्री राम आसरे वर्मा–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद लखीमपुर खीरी, गन्ना विकास समितियों के सचिव (एम) तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के स्थानान्तरण का विवरण

137–श्री बाला प्रसाद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में 1 जुलाई, 1991 से नवम्बर, 1991 तक किन-किन सचिव (एम) तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का स्थानान्तरण किया गया ? एक स्थान पर इनका कार्यकाल कितने समय का था ? स्थानान्तरण करने के कारण क्या थे ? ऐसे कितने ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव (एम) जिनका कार्यकाल इस जनपद में एक वर्ष से अधिक हो गया है और इनका स्थानान्तरण क्यों नहीं किया गया ? क्या सरकार उनको स्थानान्तरण करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जनपद लखीमपुर में 1 जुलाई, 91 से नवम्बर, 91 तक गन्ना विकास समितियों के सचिव (एम) तथा ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षकों के स्थानान्तरण एक स्थान पर उनका कार्यकाल तथा स्थानान्तरण के कारण संबंधी विवरण निम्न प्रकार हैं:

क्रमांक	नाम सचिव प्रभारी/ गन्ना समिति का नाम	स्थानान्तरण की तिथि	कार्यकाल की अवधि	स्थानान्तरण का कारण
1	2	3	4	5
1.	इन्द्रपाल सिंह सोलंकी, जे० बी गंज।	30-7-91	चार माह	प्रशासनिक एवं जनहित में

1	2	3	4	5
2	छविनाथ पाण्डेय, फरधान	15-10-91	एक वर्ष	प्रशासनिक एवं जनहित में
3	बांके बिहारी पाण्डेय, भीरा ।	19-8-91	आठ माह	,,
4	जे० बी० सिंह, जे० बी गंज ।	15-10-91	ढाई महीना	,,
5	राना हरनाम सिंह, अरनीखाना ।	3-8-91	एक वर्ष	,,
6	एस० एन० राय, ज्ये० ग० वि० नि०/ प्रभारी सचिव, लखीमपुर खीरी ।	3-8-91	तीन माह चार दिन	,,
	राजकिशोर सिंह, ज्ये० ग० वि० नि०, पलिया ।	30-7-91	चार वर्ष	,,
8	दयाशंकर द्विवेदी, ज्ये० ग० वि० नि०, गोला ।	3-8-91	एक वर्ष	,,

जनपद लखीमपुर खीरी में एक वर्ष से अधिक कार्यरत ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक एवं सचिव (एम) जिनका स्थानान्तरण नहीं किया गया है, का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक का नाम	गन्ना विकास परिषद् का नाम
	सर्वश्री :	
1	आर० के० उत्तम	बेलरायां
2	ज्येन्द्र विक्रम सिंह	ऐरा
3	अनीस अहमद	सम्पूर्णानगर

गन्ना विकास निरीक्षक (क्रय)/सचिव

1	हरिशंकर सिंह	सम्पूर्णानगर
2	समर बहादुर सिंह	ऐरा

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनहित एवं कार्यहित में एक वर्ष में निश्चित रूप से स्थानान्तरण करने का कोई नियम प्रवृत्त नहीं है।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर के चावल मिल योजना में कार्यरत कतिपय अधिकारियों को यू० जी० सी० वेतनमान देने की मांग

138–श्री सत्य देव पचौरी–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर में चल रही चावल मिल योजना के कतिपय अधिकारियों को यू० जी० सी० वेतन दिये जाने विषयक तत्कालीन सदस्य विधान परिषद् श्री श्रीकृष्ण बाजपेई द्वारा कृषि मंत्री को लिखा गया पत्र दिनांक 1-3-1986 एवं विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कृषि सचिव को लिखा गया पत्र संख्या–318/आर एम-57/90-91, दिनांक 20-6-1990 प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो इस अप्रत्याशित विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है एवं जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है उक्त पत्रों में दिये गये तथ्यों के अनुसार चावल मिल योजना के अधिकारियों को यू० जी० सी० वेतनमान स्वीकृति किये जाने की कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जहां तक चावल मिल योजना के कतिपय अधिकारियों को यू० जी० सी० वेतनमान दिये जाने का संबंध है उक्त योजना खाद्य तथा रसद विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित की जा रही थी । सचिव, खाद्य तथा रसद विभाग ने उक्त योजना के अन्तर्गत कार्यरत स्टाफ को यू० जी० सी० वेतनमान दिया जाना इसलिये सम्भव नहीं बताया है, कि इस योजना का कोई कार्य चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के अधीन चल रहे शिक्षण शोध या प्रसार कार्यों के ढांचे में नहीं आता, अतः इस योजना में कार्यरत स्टाफ को कृषि विश्वविद्यालय का स्टाफ नहीं कहा जा सकता, अतः उन्हें यू० जी० सी० वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के विद्युत परिषद् के अधीन बाल विद्यालय (मान्टेसरी स्कूल) कासिमपुर की सह अध्यापिकाओं को वेतनमान देने में की गयी अनियमितता की जांच

139–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत परिषद् के अधीन विद्युत परिषद् बाल विद्यालय (मान्टेसरी स्कूल), कासिमपुर (अलीगढ़) में दिनांक 1-7-1976 के पश्चात् राजकीय वेतनमान रु० 200–320 में कुछ सहायक अध्यांपिकाओं (प्रशिक्षित) तथा वेतनमान रुपया 250–425 के 2/3 वेतन पर कुछ सहायक अध्यापिकाओं (अप्रशिक्षित) की नियुक्ति की गयी है? क्या बाद में इन्हें वेतनमान रु० 230–380 एवं पुनः वेतनमान रुपया 250--425 नियुक्ति तिथियों से ही दिये जाने का आदेश प्रबन्धक ने दिया

है? यदि हां, तो क्या यह वेतनमान उत्तर प्रदेश शासन अथवा विद्युत परिषद् के किसी आदेश के अनुसार दिया गया है ? यदि नहीं, तो इस अनियमितता के संबंध में विद्युत परिषद्/शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी तथा कब तक ? अनियमितताओं के लिये दोषी अधिकारियों के नाम क्या हैं?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां।

जी हां।

जी नहीं, ये वेतनमान प्रबन्धक द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की अनुशंसा से दिये गये थे और परिषद् या शासन के किसी आदेश के अनुरूप नहीं थे।

महाप्रबन्धक हरदुआगंज द्वारा इस अनियमितताओं की जांच हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था जिसकी संस्तुति/रिपोर्ट परिषद् में विचाराधीन है।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में आवास आवंटन में अनियमितता की जांच

140–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर (अलीगढ़) में आवास आवंटन नीति संबंधी विद्युत परिषद् के आदेशों के उल्लंघन के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री, उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ, 2-नवीन मार्केट, कानपुर का पत्रांक–3121/उ०प्र०वि० म० सं०/91, दिनांक 1-11-91 एवं पत्रांक 1413/उ० प्र० वि० म० सं०/91. दिनांक 14-11-91 विद्युत परिषद्/शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या यह भी बतायेंगे कि आवास आवंटन नीति संबंधी उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के आदेशों के विपरीत कार्य करने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा इनके विरुद्ध विद्युत परिषद् द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

श्री पवन कुमार श्रीवास्तव महामंत्री उ० प्र० वि० मजदूर संघ 2–नवीन मार्केट, कानपुर का केवल पत्रांक 1413–उ० प्र० वि०म०सं०/91. दिनांक 14-11-91 प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में निहित आवास आवंटन समिति के द्वारा आवासों के आवंटन संबंधी आदेशों की जांचोपरान्त यह पाया गया कि आवंटन में कोई अनियमितता नहीं बरती गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर के परिषदीय भवनों को बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जे से मुक्त कराने की मांग

141–श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) मे कार्यरत कार्मिकों/अधिकारियों के लिए निर्मित आवासीय भवनों में से अनेक आवासीय भवनों पर बाहरी व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो किन-किन आवासीय भवनों पर बाहरी व्यक्तियों का अवैध कब्जा है तथा भवनों पर अवैध कब्जा करने की तिथियां क्या हैं ? क्या यह

सही है कि उक्त परियोजना का प्रशासन तंत्र बाहरी व्यक्तियों से आवासों के किराये के रूप में प्रत्येक माह धन की अवैध रूप से उगाही कर रहा है ? यदि हां, तो क्या विद्युत परिषद्/शासन उक्त परियोजना परिसर स्थित परिषदीय भवनों को बाहरी व्यक्तियों के कब्जे से मुक्त कराने में असफल महाप्रबन्धक व आवास आवंटन समिति के सदस्यों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? परिषदीय भवनों को बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जे से शासन द्वारा किस तिथि तक मुक्त करा दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

आवासीय भवनों पर बाहरी व्यक्तियों के अवैध कब्जे की तिथि आदि का विवरण सदन के पटल पर रखवा दिया गया है ।

जी नहीं ।

किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बाहरी व्यक्तियों से आवास खाली कराये जाने के लिए जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से निरन्तर संपर्क करके प्रयास जारी हैं। कतिपय मामले माननीय न्यायालय में भी ले जाये गये हैं ।

प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय से निर्णय होने/जिला प्रशासन/पुलिस प्रशासन से सहयोग प्राप्त करके अवैध कब्जे से आवास मुक्त कराये जायेंगे ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अंतर्गत हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कर्मचारियों के लिए निर्मित टाइप–द्वितीय के आवंटित आवासों का विवरण

142–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) की आवासीय कालोनी में टाइप–द्वितीय आवासों की कर्मचारियों को आवंटित करने हेतु कोई वरिष्ठता सूची घोषित की गयी है ? यदि हां, तो वह वरिष्ठता सूची क्या है तथा इस सूची में से किन-किन कार्मिकों को टाइप-द्वितीय आवास आवंटित किया जा चुका है ? जिन कार्मिकों को अभी तक टाइप–द्वितीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, उनके नाम, पदनाम व परियोजना पर तैनाती की तिथि क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

यद्यपि ऐसी कोई सूची औपचारिक रूप से घोषित नहीं की गयी है तथापि आवासों की उपलब्धता पर वरिष्ठता क्रम में नियमानुसार जिन कार्मिकों को टाइप-द्वितीय आवास आवंटित किये गये हैं उनका विवरण संलग्नक में दर्शाया गया है ।

जिन कर्मचारियों को अभी तक टाइप–द्वितीय आवास आवंटित नहीं किये गये हैं उनका विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 134-135 पर)

जनपद अलीगढ़ हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना कासिमपुर के कर्मचरियों को वरिष्ठता क्रम के आधार पर आवास आवंटित करने की मांग

143–श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) की आवासीय कालोनी मे टाइप–द्वितीय आवासों में रह रहे उन कर्मचारियों के नाम, पदनाम व परियोजना में तैनाती की तिथि क्या हैं, जिन्हें वह आवास दिनांक 13-10-91 तक आवंटित नहीं किये गये हैं, क्या इन कर्मचारियों को कनिष्ठ कर्मचारियों को परियोजना की आवास आवंटन समिति द्वारा टाइप-द्वितीय आवास आवंटन करके उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो इस अनियमितता के लिए दोषी कौन है ? क्या टाइप–द्वितीय आवासों में रह रहे कर्मचारियों को वही आवास आवंटित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लाल जी टंण्डन–

ऐसे कर्मचारियों के नाम, पदनाम व परियोजना पर तैनाती की तिथि का विवरण संलग्न है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नियमानुसार वरिष्ठता क्रम में बारी आने पर ही आवास आवंटित करना सम्भव हो सकेगा ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 136 पर)

जनपद कानपुर की पनकी ताप विद्युत परियोजना के कार्मिकों को टाइप–तृतीय के आवास आवंटित करने की मांग

144–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पनकी ताप विद्युत परियोजना, पनकी (कानपुर) में कार्यरत किन-किन पदों के कार्मिक टाइप–तृतीय आवासीय सुविधा पाने के हकदार हैं? क्या ऐसे कार्मिकों की परियोजना पर तैनाती की तिथि के क्रम में आवास आवंटन हेतु पारस्परिक ज्येष्ठता सूची आवास आवंटन समिति द्वारा घोषित की गयी है? यदि हां, तो इस सूची में उल्लिखित जिन कार्मिकों को टाइप–तृतीय आवास आवंटित नहीं किया गया है, उनके नाम, पद व तैनाती की तिथि क्या है? ऐसे कार्मिकों को किस तिथि तक टाइप–तृतीय आवास आवंटित कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

पनकी ताप विद्युत परियोजना (कानपुर) में निम्नलिखित पदों के कार्मिक टाइप–तृतीय आवास के पात्र हैं :

1–अवर अभियन्ता,

2–एच० पी० डब्लू०,

3–महाप्रबन्धक के शिविर सहायक ,

4–मुख्य सहायक/कार्यालय अधीक्षक ,

5–केमिस्ट–ग्रेड–प्रथम,

6–केमिस्ट-ग्रेड–द्वितीय,

7–लेखाकार,

8–सहायक लेखाधिकारी,

9–कम्प्यूटर,

10–निरीक्षक (सी० आई० एस० एफ०),

11–लेक्चरर (प्रवक्ता),

12–केबिल ज्वाइन्टर,

13–फायर आफीसर ।

टाइप–तृतीय आवास के पात्र कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है, जिनमें से क्रम संख्या–189 से क्रम संख्या–228 तक अंकित कर्मचारियों को अभी आवास आवंटित नहीं किया जा सका है ।

आवास उपलब्ध होने पर इन कर्मचारियों को आवास का आवंटन किया जायेगा ।

जनपद गाजीपुर के गांव शेरपुर की सैकड़ों एकड़ जमीन को गंगा नदी के कटान से बचाने हेतु सर्वेक्षण

145–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि गांव शेरपुर, जिला गाजीपुर की सैकड़ों एकड़ जमीन सन् 1989, 90, 91 में कट कर गंगा नदी में विलीन हो गयी है ? क्या कटान गांव के बिल्कुल नजदीक आ गया है? यदि हां, तो इस कटान को रोकने के लिये शासन द्वारा अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार तुरन्त जांच कराकर इस कटान को रोकने हेतु मंजूर करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

गंगा नदी के किनारे से शेरपुर गांव की आबादी 400 मीटर से 2500 मीटर की दूरी पर है ।

कटान रोकने के उपायों हेतु सर्वेक्षण कराया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी की तहसील भदोही के ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड नहर के टूट जाने से कतिपय गांवों की जमीन तथा बस्तियों में पानी भर जाने की शिकायत

146–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड की बड़ी नहर टूट जाने से भदोही तहसील, जिला वाराणसी के गोविन्दपुर बरवां, सुरहन, भगवानपुर, टिकैतपुर दौलतिया, हड़हीवारी तथा आस-पास के दर्जनों गांवों की जमीनें तथा बस्तियां पानी से भर गयी हैं तथा बीसों कच्चे मकान गिरने से एक दर्जन से ज्यादा पशु मर गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर नहर टूटने की जिम्मेदारी निश्चित करेगी? क्या सरकार किसानों की क्षति पूर्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ज्ञानपुर मुख्य नहर दिनांक 21-10-91 को कि०मी० 51.20 बांयी पटरी पर हड़हीवारी के किसानों द्वारा काटी गयी थी । प्राप्त जानकारी के अनुसार गोविन्दपुर बरवां, सुरहन, भगवानपुर, टिकैतपुर, दौलतिया हड़हीवारी तथा आस-पास के गांवों में किसी प्रकार की न तो क्षति हुई है और न ही पशु मरे हैं।

नहर की कटिंग करने के अपराध में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध विभागीय मुकदमा कायम किया गया है। इसमें कर्मचारी की जिम्मेदारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड ज्ञानपुर भदोही के कतिपय ग्रामों के किसानों की नहर निर्माण हेतु ली गयी जमीन का मुआवजा ब्याज सहित देने की मांग

147–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्ञानपुर नहर प्रखण्ड ज्ञानपुर, भदोही, जिला वाराणसी में गांव जंगलपुर, रवानापुर, कलनुमा, गोधना गांवों की जमीन सन् 1978 में नहर के लिये किसानों से अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि आज तक उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर मय ब्याज के किसानों को मुआवजा दिलायेगी ? किसानों को अब तक मुआवजा न देने का कारण क्या रहा है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण मुआवजा नहीं दिया जा सका है ।

जनपद आगरा में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों का विवरण

148–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 से वर्ष 1991 तक जनपद आगरा में कुल कितने गांवों को विद्युतीकरण के लिये चयनित किया गया है और उन चयनित गांवों में से कितने गांवों का विद्युतीकरण पूरा हुआ है ? कितने गांव शेष रह गये हैं। शेष चयनित गांवों का विद्युतीकरण कब तक पूरा हो जायेगा? अभी तक उनके पूरा न होने के क्या कारण हैं?

श्री लाल जी टण्डन–

(क) जनपद आगरा में वर्ष 1987 (1-4-87) से वर्ष 1991 (31-3-91) तक 176 गांवों को एल० टी० मेन्स बिछाकर विद्युतीकरण के लिये चयनित किया गया और चयनित ग्रामों से 58 ग्रामों का विद्युतीकरण पूरा किया गया ।

(ख) 118 ग्राम शेष रह गये हैं।

(ग) शेष रह गये ग्रामों का विद्युतीकरण संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

(घ) संसाधनों के अभाव के कारण शेष ग्रामों का विद्युतीकरण अभी तक नहीं किया जा सका है ।

जनपद आगरा में व्यक्तिगत नलकूपों को विद्युतीकृत करने हेतु लम्बित प्रार्थना-पत्रों की संख्या

149–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में वर्ष 1991 में कुल कितने नवीन व्यक्तिगत नलकूपों का विद्युतीकरण किये जाने के प्रार्थना-पत्र लम्बित हैं और कितने व्यक्तिगत नलकूपों

को आपूर्ति दी गयी है ? शेष व्यक्तिगत नलकूपों का विद्युतीकरण कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? अभी तक इनको विद्युतीकृत न किये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री लाल जी टण्डन–

आगरा जनपद में वर्ष 1991 (1-4-90 से 31-3-91 तक) में 674 निजी नलकूपों के प्रार्थना-पत्र (बी० एण्ड एल० फार्म) लम्बित हैं जिनमें से उपरोक्त अवधि में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार 437 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत कर दिया गया ।

उपरोक्त में से बचे हुए 237 बी० एण्ड एल० फार्म तथा वर्ष 1991-92 (1-4-91 से 20-1-92 तक) में प्राप्त हुए 598 बी० एण्ड एल० फार्म अर्थात् कुल 835 बी० एण्ड एल० फार्मों में से वर्ष 1992 में 418 निजी नलकूपों को ऊर्जीकृत किया जा चुका है। शेष बचे हुए 417 बी० एण्ड एल० फार्मों के नलकूपों का ऊर्जीकरण संसाधन उपलब्ध होते ही किया जा सकता है ।

जनपद व मण्डल आगरा के अधिशासी अभियन्ताओं के स्थानान्तरण लम्बी अवधि के बाद भी न किये जाने की शिकायत

150–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में कुल कितने अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जिनको आगरा मण्डल में कार्य करते 10 वर्ष से भी अधिक का समय पूरा हो गया है ? इनके नाम क्या हैं और वर्तमान में किस पद पर कार्यासीन हैं? उनके इनती लम्बी अवधि में भी स्थानान्तरण न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या अब इनका स्थानान्तरण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

वर्तमान में निम्नलिखित 7 अधिशासी अभियन्ता ऐसे हैं जिनको आगरा मण्डल में कार्य करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय पूर्ण हो गया है :–

नाम	वर्तमान तैनाती का स्थान
सर्वश्री–	
1–अमर नाथ गुप्ता	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, आगरा।
2–विष्णु दत्त उपाध्याय	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, फिरोजाबाद।
3–यशेश्वर सिंह	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत वितरण मण्डल, आगरा।
4–ओम प्रकाश गर्ग	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत परीक्षण खण्ड, आगरा ।
5–ओमदत्त भार्गव	अधिशासी अभियन्ता (सम्बद्ध) विद्युत नगरीय वितरण मण्डल, आगरा ।
6–सुरेश चन्द्र शर्मा	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड, तृतीय, आगरा ।
7–प्रह्लाद सिंह	अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड-द्वितीय, आगरा ।

उपर्युक्त अधिकारी परिषदीय कार्यहित में इन स्थानों पर तैनात हैं। आगामी स्थानान्तरण सत्र में विद्युत परिषद् की स्थानान्तरण नीति के आधार पर उक्त अधिकारियों के स्थानान्तरण हेतु विचार किया जायेगा ।

जनपद आगरा के चयनित सूची के गांवों में विद्युतीकरण हेतु ट्रांसफार्मरों की आपूर्ति करने की मांग

151–श्री विजय सिंह राणा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा में विद्युतीकरण की चयनित सूची के गांवों और विद्युतीकरण के लिये लम्बित पड़े व्यक्तिगत नलकूपों के ऊर्जीकरण के लिये कुल कितने किलोमीटर तार और कितने ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है? साथ ही चोरी गये तारों को लगवाने के लिये तथा खराब या चोरी गयी ट्रांसफार्मरों के बदले जाने के लिये कितने कि०मी० तार तथा कितने ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है ? यह तार और ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता कब तक पूरी कर दी जायेगी? अभी तक इनकी आपूर्ति न होने के कारण क्या हैं?

श्री लाल जी टण्डन–

आगरा जनपद में विद्युतीकरण की चयनित सूची के शेष 118 गांवों के विद्युतीकरण व 417 व्यक्तिगत नलकूपों के लम्बित बी० एण्ड एल० फार्मों के ऊर्जीकरण के लिये 1160 किलोमीटर वीजल कन्डक्टर व 343 नं० 25 के० वी० ए० के ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है ।

वर्ष 1990-91 में 177 किलोमीटर तार व 421 ट्रांसफार्मर तथा 1991-92 में 95-0 किलोमीटर तार व 437 ट्रांसफार्मर खराब/चोरी गये । चोरी गये 272 किलोमीटर तार व चोरी/खराब हुए 858 ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता है। चोरी गये तार को उपलब्धता के अनुसार जी० आई० वायर अथवा एए एसी तार से बदल दिया गया है। लगभग 10 किलोमीटर तार की आवश्यकता शेष तारों को बदलने के लिये होगी ।

क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को बदल दिया गया है व जी० आई० वायर को बदलने के लिये लगभग 200 किलोमीटर एए एसी या बिजली के तार की आवश्यकता है। तार व ट्रांसफार्मरों की आवश्यकता की आपूर्ति संसाधनों पर निर्भर है। धन व सामान की उपलब्धता के अनुसार आपूर्ति की जा रही है ।

जनपद बांदा के अन्तर्गत कर्वी सम्भाग की चिल्लीमल पम्प कैनाल के मृत पम्पों को बदलने की मांग

152–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा के अन्तर्गत सम्भाग कर्वी में चिल्लीमल पम्प कैनाल की चार पम्पों की वर्तमान में 180 क्यूसेक की क्षमता है,? यदि हां, तो विगत वर्षों 1989, 1990 एवं 1991 में उक्त कैनाल से कितने क्यूसेक पानी दिया गया है ? चिल्लीमल पम्प कैनाल में निर्धारित मात्रा में कम पानी देने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि स्थापित पम्पों की समय अवधि बीत जाने से यह चालू हालत में नहीं है? यदि हां, तो क्या उनके बदलने की कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या समय अवधि से मृत पम्पों को बदला जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

विगत वर्षों 1989, 1990 एवं 1991 में इस पम्प नहर से 40 से 80 क्यूसेक तक पानी दिया गया है।

बार्ज के पेनटून गल जाने के कारण 3 पम्प एक साथ बार्ज पर नहीं चलाये जा पा रहे हैं।

जी नहीं ।

आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में राजापुर पम्प कैनाल को उच्चीकृत करने की मांग

153–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में राजापुर पम्प कैनाल में पुराने पम्प काम कर रहे हैं ? यदि हां, तो कितने वर्ष पुराने, क्या कार्यरत पम्पों की जीवन अवधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या उनके स्थान पर नये पम्पों को लगाने की व्यवस्था की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या राजापुर पम्प कैनाल निर्धारित मात्रा से कम पानी दे रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या पम्प कैनाल को शासन द्वारा उच्चीकृत करने के फैसले को कब तक पूरा किया जायेगा ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह पम्प लगभग 23 वर्ष पुराने हैं ।

जी हां ।

जी नहीं ।

आवश्यकतानुसार की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

पम्पों की कार्यक्षमता घट गई है । वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जनपद बांदा में डाल सिंचाई के अर्न्तगत सोनेपुर एवं बनकट पम्प कैनाल को पूर्ण क्षमता से चलाने की मांग

154–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बांदा में डाल सिंचाई के अन्तर्गत सोनेपुर पम्प कैनाल एवं बनकट पम्प कैनाल निर्धारित मात्रा में पानी नहीं दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इन नहरों को पूर्ण क्षमता से चालू किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओमप्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी की कृषि उत्पादन मण्डी समिति से प्राप्त आय द्वारा भवन व सड़क मार्गों के निर्माण का विवरण

155–श्री बाला प्रसाद –

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति लखीमपुर खीरी, जनपद खीरी को मण्डी समिति की स्थापना से आज तक कितनी आय प्राप्त हुई ? इस आय से कितने मण्डी भवन बनवाये गये और कितने किलो मीटर सम्पर्क मार्ग बनवाए गए और कहां-कहां सम्पर्क मार्ग निर्माण कराए

गए ? क्या तहसील धौरहरा में सम्पर्क मार्ग निर्माण करने का कोई प्रस्ताव प्रश्नकर्ता का अक्टूबर, 1991 में कृषि मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह

कृषि उत्पादन मंडी समिति, लखीमपुर-खीरी की स्थापना दिनांक 10-4-72 से 31-12-91 तक मंडी शुल्क से कुल रुपया 3.95 करोड़ आय हुई है ।

इस आय से प्रधान मंडी स्थल राजापुर लखीमपुर का निर्माण कराया गया है और 10.32 किमी० खड़ंजा एवं पुलिया तथा 3.25 किमी० सतह लेपन स्तर तक तीन सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराया गया है ।

तहसील धौरहरा एवं लखीमपुर में ।

जी हां ।

नियमानुसार मंडी समिति को प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

पनकी, पारीक्षा, टाण्डा एवं हरदुआगंज के विद्युत गृहों में प्लान्ट लोड फैक्टर आधा या एक तिहाई होने के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की मांग

156-श्री पवन कुमार पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1967 में स्थापित ओबरा बिजलीघर की तुलना में बिजली पनकी, पारीक्षा, टाण्डा एवं हरदुआगंज में क्रमशः प्लान्ट लोड फैक्टर आधा या एक तिहाई होने के क्या कारण हैं जबकि इन नये 4 बिजलीघरों में विभिन्न मद में किये गये व्यय के कारण विद्युत परिषद् को लगभग 26 करोड़ रुपया की हानि हुई है ? यदि हां, तो उसके लिए कौन-कौन से अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध शासन द्वारा दण्डात्मक कार्यवाही की जा रही है ? यदि हां, तो कार्यवाही का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन-

पनकी, पारीक्षा, टाण्डा एवं हरदुआगंज विद्युत गृहों के प्लांट लोड फैक्टर ओबरा के सापेक्ष कुछ कम रहने के मुख्य कारण कोयला आपूर्ति में कमी एवं उसकी गुणवत्ता में गिरावट तथा धनाभाव के कारण तकनीकी कारणों से बन्द मशीनों को चालू करने में कठिनाई आदि हैं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

157-श्री राम आसरे वर्मा -

[मा० उपाध्यक्ष हो जाने के कारण हटाया गया ।]

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज की हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण

158–श्री सुखदेव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज मे सन् 1985 में अब तक जिन हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु लिया गया है क्या उनमें विद्युतीकरण का कार्य पूरा हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि विद्युतीकरण केवल कागज पर ही दिखाया गया है ? यदि हां, तो क्या मौके पर जांच हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज में सन् 1985 से अब तक 57 हरिजन बस्तियों को विद्युतीकरण हेतु लिया गया है और इन सभी को विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

उ० प्र० में सिंचित कृषि योग्य भूमि को अन्य प्रयोजन हेतु विक्रय न किये जाने की मांग

159–श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि समस्त उ० प्र० में सिंचित कृषि योग्य भूमि का विक्रय अन्य किसी प्रयोजन के लिए किये जाने पर श्री जगमोहन भारद्वाज, एडवोकेट ने रोक लगाने की मांग की है ?क्या इस संबंध में कृषि मंत्री से श्री जगमोहन भारद्वाज के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल जुलाई के द्वितीय सप्ताह वर्ष 1991 में मिला था ? यदि हां, तो सरकार ने इस मामले में क्या कार्यवाही की ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद पौड़ी गढ़वाल में विभागीय भूमि पर कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु फलदार पेड़ों के काटे जाने संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

160–श्री लीला राम शर्मा–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उद्यान विशेषज्ञ कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल को, श्री जगमोहन प्रसाद भारद्वाज, देवी रोड़ (बालासौड़) कोटद्वार, गढ़वाल का एक पत्र दिनांक 3 जुलाई, 1991 पत्रांक 125 पी० सी० 1991 द्वारा प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र किस संबंध में दिया गया था और शासन उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? क्या यह सत्य है कि श्री भारद्वाज के पास कटे हुए फलदार वृक्षों के घटना स्थल पर लिये गये चित्र हैं? यदि हां, तो क्या सचिव, उद्यान विभाग, उ० प्र० को इस मामले की पूरी जानकारी 1 जुलाई, 1991 तक प्राप्त हो गयी थी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र ग्रास्टनगंज, कोटद्वार में विभागीय भूमि पर कार्यालय एवं आवासीय भवन निर्माण हेतु कार्यस्थल पर खड़े पुराने बीजू एवं अलाभकारी छः आम के पेड़ों के काटने से सम्बन्धित था । श्री भारद्वाज का पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उन्हें वस्तुस्थिति से संतुष्ट कर दिया गया था । अतः उनके पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी ।

इसकी कोई जानकारी नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है।

विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आदेशों के बावजूद मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियुक्ति एवं उन्हें नियमित न किये जाने की शिकायत

161–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत परिषद् में वर्ष 1979 से मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गयी है ? क्या ग्रामीण विद्युतीकरण व अन्य निर्माण कार्य ठेकेदारों से कराये जा रहे हैं? क्या परिषद् में वर्ष 1974 के पश्चात् से अब तक कनेक्शनों, लाइनों, हरिजन बस्तियों व विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या में कम से कम दस गुना की वृद्धि हुई है, जबकि कर्मचारियों की संख्या में दो गुनी वृद्धि भी नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मस्टर रोल प्रथा के बन्दी के आदेशों के बावजूद अभी भी मस्टर रोल/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी लगाये जा रहे हैं? यदि हां, तो उन्हें नियमित न करने का कारण क्या रहा है ? क्या सरकार प्रत्येक जनपद में अनुरक्षण व ग्रामीण विद्युतीकरण में कार्यरत मस्टर रोल श्रमिकों की वरिष्ठता सूची बनवा कर उन्हें नियमित करने के आदेश करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी नहीं । परिषदीय कार्यों को यथासम्भव विभागीय कर्मचारियों द्वारा ही कराये जाने के आदेश हैं परन्तु ऐसे कार्य जिनका विभागीय कर्मचारियों द्वारा निष्पादन सम्भव नहीं होता है वे ठेके पर यदाकदा करा लिये जाते हैं।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

चूंकि वर्तमान में नई नियुक्तियों पर परिषद् द्वारा पूर्ण प्रतिबन्ध लगा हुआ है अतः इन मस्टर रोल कर्मचारियों को नियमित किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद उन्नाव की मौरावां ब्रांच से कृषकों की बुआई के समय सिंचाई हेतु पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने की मांग

162–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि रबी की बुवाई के समय वर्ष 1991-92 में नहरों में पानी उपलब्ध नहीं रहा ? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की मौरावां ब्रांच में पठई, जयसिंह खेड़ा, गुलरिहा क्षेत्रों के कितने किसानों ने रबी बुआई के समय पानी का इस्तेमाल किया? नरीचक रजबहा पर स्थित ग्राम पटेढ़ा गालिबपुर जगतपुर, छोटीखेड़ा के और हिलौली रजबहा स्थित ग्राम परसाद खेड़ा (चन्द्रखेड़ा) बुआखेड़ा रजवाड़ा आदि के कितने किसानों ने रबी बुआई में सिंचाई की? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि आदेशों के अनुरूप सिंचाई विभाग के अधिशासी अभि०/स० अभि० उक्त क्षेत्र की बुआई के समय पड़ाव डालने गये? यदि नहीं, तो क्यों ? सरकार मौरावां ब्रांच, पुरवा ब्रांच में वर्तमान में कितना पानी देती है? क्या यह पानी पर्याप्त है ? यदि नहीं, तो [illegible] की मात्रा कब तक बढ़ाई जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस वर्ष रबी की बुआई में उक्त ग्रामों के 191 किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी ।

नरीचक रजवाहा के ग्रामों के 70 कृषकों को रबी बुआई में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। परसादखेड़ा, चन्द्रखेड़ा, बुआखेड़ा, रजवाड़ा आदि ग्राम हिलौली राजबहा के टेल के नीचे स्थित हैं इन ग्रामों में किसी भी किसान को रबी में सिंचाई सुविधा इस टेल के भाग में पानी का अभाव होने के कारण नहीं करायी जा सकी ।

जी हां । उक्त क्षेत्र के निकटतम मौरावां निरीक्षण गृह पर फसल रबी 1399 के माह 10/91 व 11/91 में अधिशासी अभियन्ता द्वारा 5 दिन तथा सहायक अभियन्ता द्वारा 12 दिन पड़ाव किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

निर्धारित रोस्टर के अनुसार मौरावां रजबहा में रबी 1399 फ० में 21.000 क्यूसेक डेज और पुरवा शाखा में 52.500 क्यूसेक डेज पानी देने का प्राविधान है ।

जी हां, यह नहर के कुल कमाण्ड क्षेत्र के 35% प्रस्तावित रबी हेतु पर्याप्त है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

163–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद अलीगढ़, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि संबंधी लेखा पर्ची उपलब्ध कराया जाना

164–श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में तृतीय श्रेणी के विभिन्न पदों पर कार्यरत समस्त कार्मिकों (अवर अभियन्ताओं को छोड़कर) को वर्ष 1984-85, 85-86, 86-87, 87-88, 88-89 व 89-90 की सामान्य भविष्य निधि खातों की लेखा पर्ची उपलब्ध करा दी गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त वर्षों की जी० पी० एफ० लेखा पर्ची कितने कार्मिकों को नहीं दी गयी है ? ऐसे कार्मिकों के नाम, पद व खाता संख्या क्या है तथा इन्हें किस तिथि तक उक्त वर्षों की जी० पी० एफ० लेखा पर्ची उपलब्ध करा दी जायेगी ? इन कार्मिकों की जी० पी० एफ० लेखा पर्ची तैयार करने के लिये उत्तरदायी अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम क्या हैं? क्या विद्युत परिषद् ऐसे लापरवाह अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

हरदुआगंज विद्युत परियोजना, कासिमपुर, अलीगढ़ में कार्यरत तृतीय श्रेणी के कार्मिकों की (अवर अभियन्ताओं को छोड़कर) कुल संख्या 1765 में से 1274 को वर्ष 1984-85 से 89-90 तक की लेखा पर्ची निर्गत की जा चुकी हैं ।

491 कार्मिकों को उक्त वर्षों की जी० पी० एफ० लेखा पर्ची नहीं दी गयी है ।

ऐसे कार्मिकों के नाम, पद व खाता संख्या की सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है । लम्बित लेखा पर्चियों को शीघ्र जारी करने का प्रयास किया जा रहा है ।

लेखा पर्चियों का समय से जारी न होने का कारण मूलतः प्रक्रियागत है । इसके लिये कोई कर्मचारी या अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं है।

विद्युत परिषद् अब इस कार्य को कम्प्यूटराइज्ड करने पर विचार कर रहा है, जिससे भविष्य में पर्चियों का त्वरित निस्तारण हो सकेगा ।

जनपद अलीगढ़, हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना कासिमपुर में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/मस्टर रोल कर्मचारियों का विवरण एवं उन्हें नियमित करने की मांग

165–श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/मस्टर रोल कर्मचारियों के नाम, पदनाम व नियुक्ति की तिथि क्या है ? क्या इन कर्मचारियों को दि० 1-1-91 से नियमित कर्मचारियों की भांति वेतन, महंगाई भत्ता, स्थल प्रतिकर भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि, सूती/गर्म वर्दी, आकस्मिक/उपार्जित अवकाश, आवासीय सुविधा, चिकित्सा सुविधा/चिकित्सा भत्ता आदि प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो क्या इन दैनिक वेतन भोगी/मस्टर रोल कर्मचारियों को उनके पदों पर नियमित घोषित करने से विद्युत परिषद् पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार बढ़ेगा ? यदि नहीं, तो क्या विद्युत परिषद्/शासन द्वारा इन कर्मचारियों को नियमित घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/मस्टर रोल कर्मचारियों के नाम, पदनाम व नियुक्ति की तिथि का विवरण संलग्न है ।

इन कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति वेजेज वेतन में वार्षिक बढ़ोत्तरी, अवकाश सुविधा तथा वर्दी की सुविधा प्रदान की जा रही है?

जी हां ।

वर्तमान में हरदुआगंज परियोजना में स्वीकृत रिक्त पद उपलब्ध न होने के कारण इन कर्मचारियों को नियमित किया जाना सम्भव नहीं है ।

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ 137-139 पर)

जनपद वाराणसी के विद्युत वितरण मण्डल में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को बोनस देने हेतु विधिक परीक्षण

166–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत नगरीय विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी के अधीन कार्यरत दैनिक वेतन भोगी/वैकल्पिक श्रमिकों को वर्ष 1987-88, 1988-89, 1989-90, में देय एक्सग्रेसिया (बोनस) का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि

हां, तो इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उस अधिकारी के विरुद्ध विद्युत परिषद्/शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जायेगी? क्या श्रमिकों को एक्सग्रेसिया (बोनस) भुगतान किये जाने के संबंध में श्री पवन कुमार श्रीवास्तव, महामंत्री, उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ, लखनऊ का पत्रांक 267/उ० प्र० वि० म० सं० दिनांक 26-7-91 विद्युत परिषद्/शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया तथा संबंधित श्रमिकों को देय एक्सग्रेसिया (बोनस) का भुगतान किस तिथि तक कर दिया जायेगा ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

एक्सग्रेसिया (बोनस) वैकल्पिक श्रमिकों को देय है अथवा नहीं, का विधिक परीक्षण किया जा रहा है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ?

जी हां ।

उक्त विधिक परीक्षण के पश्चात् ही मामले में अन्तिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) के पद पर परिचालकीय कर्मचारियों को प्रोन्नति देने की मांग

167–श्री बसन्त लाल गुप्ता–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर परिचालकीय कर्मचारियों की पदोन्नति के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय (लखनऊ बेंच) ने रिट याचिका संख्या–2681/86 व कुछ अन्य रिट याचिकाओं में दिनांक 29-8-89 को निर्णय दिया है? यदि हां, तो वह निर्णय क्या है? क्या विद्युत परिषद् द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा इसके लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है? उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में कितने कर्मचारियों को अवर अभियन्ता (सामान्य श्रेणी) पद पर प्रोन्नत किया जाना है तथा प्रोन्नतियां किस तिथि तक कर दी जायेंगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

परिचालन संवर्ग से प्रोन्नति संबंधी याचिका संख्या 3681/86 न कि 2681/86 में माननीय उच्च न्यायालय , लखनऊ (बेंच) ने दिनांक 29-8-89 को अन्य याचिकाओं को सम्बद्ध करते हुए निर्णय दिया है ।

निर्णय निम्नवत् हैं :–– (संक्षिप्त मे)

1– वर्ष 1977 की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सूची घोषित कर उसे निःशेष करने के पश्चात् 1979 की परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों की सूची से नियुक्तियां की जायें ।

2– नियुक्तियां उक्त निर्देशों के प्रकाशन के दो माह के अन्दर की जाये।

3– अस्थायी अवर अभियन्ताओं की सूची घोषित की जाये, उसके उपरान्त नियमानुसार उस सूची से नियुक्तियां की जावें ।

4- साक्षात्कार एवं मौखिक परीक्षा के अंकों को कम करके चयन किया जाये और इस आदेश की प्रति प्रस्तुत करने पर दो माह में काम पूरा किया जाये ।

5- नियम 31 को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार योग्यताओं को शिथिल किया जाये ।

आदेशों के अनुपालन में वर्ष 1977-79 की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मौखिक परीक्षा के अंक कम कर, शैक्षिक योग्यता शिथिल कर चयन किया जाना है जो एक समय लगने वाला कार्य है। साथ ही नई चयन सूची बनाने पर उन अवर अभियन्ताओं की जो 1977-79 की परीक्षा के आधार पर अवर अभियन्ता पद पर नियुक्ति पा चुके हैं पदावनिति की सम्भावना हो सकती है जिससे कर्मचारियों में असन्तोष स्वभाविक है, फिर भी मामले में विधिक राय लेकर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन हेतु कार्यवाही की जा रही है ।

कोई नहीं ।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों की समस्त औपचारिकतायें पूरी हो जाने पर ही बताना सम्भव हो पायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारियों को सामूहिक बीमा की धनराशि को जी० पी० एफ० में जमा करने की मांग

168-श्री बसन्त लाल गुप्ता तथा श्री रवीन्द्र प्रताप-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अधीन कार्यरत कर्मचारियों पर लागू ''सामूहिक बीमा व बचत योजना'' को दिनांक 1-8-88 से समाप्त करके योजना में जमा किये गये अंशदान को ब्याज सहित कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा करने के आदेश विद्युत परिषद् द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो क्या हरदुआगंज ताप विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में कार्यरत कर्मचारियों के जी० पी० एफ० खातों में सामूहिक बीमा व बचत योजना के अन्तर्गत अंशदान को ब्याज सहित जमा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों तथा किस तिथि तक उक्त राशि जमा करा दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां, केवल बचत योजना की धनराशि को सम्बन्धित कर्मचारियों के भविष्य निधि खातों में जमा करने के आदेश निर्गत किये गये थे ।

जी नहीं ।

यह धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम से निरन्तर प्रयासों के बाद भी अभी तक विद्युत परिषद् को प्राप्त नहीं हुई है । धनराशि के प्राप्त होते ही कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जायेगी ।

जनपद बाराबंकी के विकास खण्ड रुदौली के ग्राम सभा बरावां के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर पर बने दोनों पुलों (डिहवा पूरे कलहंस व पूरेगढ़वान) को ठीक करनें की मांग

169-श्री विजय सिंह (सोनभद्र)-

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा बरावां विकास खण्ड रुदौली, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत शारदा सहायक नहर पर बने दोनों पुलों (डिहवा पूरेकलहंस व पूरेगढ़वान) के टेल की मिट्टी बह गयी है जिससे कृषकों के आने जाने का मार्ग अवरुद्ध हो गया है ? क्या उक्त पुलों के टेल

पर मिट्टी की पटाई हेतु उपरोक्त ग्राम सभा के प्रधान श्री राम खेलावन मौर्य का प्रार्थना-पत्र दिनांक 28-8-91 पंजीकृत डाक द्वारा अधिशासी अभियन्ता, शारदा सहायक खण्ड बाराबंकी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त दोनों स्थलों पर मिट्टी डालकर रैम्प को ठीक कर दिया गया है।

जनपद हरदोई के गन्ना विकास परिषद् में कार्यरत लिपिक श्री श्रीकृष्ण वर्मा द्वारा की गयी वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध कार्यवाही

170–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्रीकृष्ण वर्मा, लिपिक, गन्ना विकास परिषद्, हरदोई द्वारा वित्तीय वर्ष 1984-85. 1985-86. 1986-87 के लेखों में लाखों रुपयों की गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं तथा गबन संबंधी शिकायती पत्र दिनांक 14-3-91 को मंत्री गन्ना विकास परिषद्, हरदोई ने संयुक्त गन्ना आयुक्त (गन्ना क्षेत्र) लखनऊ को दिया है, जिसकी गन्ना अधिकारी, हरदोई तथा गन्ना आयुक्त को भेजी है? यदि हां, तो उसमें प्रस्तरवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी संबंधित कर्मचारी/अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर कठोर कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के ग्राम सभा मांचा का विद्युतीकरण

171–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा के ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम सभा मांचा को आज तक विद्युतीकरण में नहीं लिया गया है ? क्या ग्राम मांचा में विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जनपद बांदा में ब्लाक तिन्दवारी के अन्तर्गत ग्राम मांचा (कोड नं० 77) का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषानुसार दिनांक 1-3-84 को किया जा चुका है किन्तु इस ग्राम का एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण नहीं किया जा सका है।

जिला सिंचाई एवं ऊर्जा सलाहकार समिति द्वारा उक्त ग्राम का विद्युतीकरण हेतु चयन नहीं किया गया है। उक्त समिति द्वारा चयन हो जाने के उपरान्त तथा संसाधन उपलब्ध होते ही विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी के ग्राम महुई में स्थित क्षतिग्रस्त राजकीय नलकूप की मरम्मत

172–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में विकास खण्ड तिन्दवारी ग्राम महुई नलकूप नं० 56 पर पानी की टंकी निम्न कोटि की बनायी जाने के कारण टूट गयी है जिससे सिंचाई नहीं हो पा रही है? यदि हां, तो राजकीय नलकूप नम्बर 56 ग्राम महुई की टंकी व पम्प हाउस की जांच कराकर कब तक मरम्मत कर दी जायेगी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिन्दवारी में ग्राम महुई में स्थित राजकीय नलकूप संख्या–56 बांदा समूह का पुराना डिलेवरी टैंक क्षतिग्रस्त हो गया था जिस की मरम्मत हो चुकी है।

नलकूप वर्तमान में सिंचाईरत है। रबी 1399 फसली में यह नलकूप 900 घण्टे चल चुका है व इसके द्वारा 90 एकड़ भूमि की सिंचाई की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद अलीगढ़ के सिंचाई ड्रेनेज मण्डल में सींचपालों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

173–श्री सुरेश प्रताप गांधी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ के अन्तर्गत सींचपालों के कितने स्थान रिक्त हैं? इन रिक्त पदों पर नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

ड्रेनेज मण्डल, अलीगढ़ के अन्तर्गत सींचपालों के कुल 22 पद रिक्त हैं।

नव नियुक्तियों पर शासनादेश दिनांक 17-7-91 के द्वारा प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । रिक्त पदों पर नियुक्तियां किया जाना फिलहाल सम्भव नहीं है।

उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि०, लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा यूरोपीय देशों की यात्रा पर व्यय धनराशि का विवरण

174–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गत मई एवं जून माह में प्रमुख सचिव, गन्ना व चीनी उद्योग सहित वरिष्ठ अधिकारियों का दल यूरोपीय देशों की गन्ना व चीनी उद्योग की आधुनिक तकनीकी का अध्ययन करके उत्तर प्रदेश में उन तकनीकों के अनुरूप योजनाएं क्रियान्वित कराने के उद्देश्य से भ्रमण पर गया था ? यदि हां, तो यूरोपीय देशों, जहां गन्ना और चीनी उद्योग नहीं है, वहां इन वरिष्ठ अधिकारियों के दल ने किन चीजों का अध्ययन किया तथा उक्त यात्रा पर कुल कितनी रकम व्यय हुई ?

श्री हनुमन्त सिंह–

गत मई और जून माह में उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि०, लखनऊ द्वारा विशेष नई विदेशी तकनीकी पर अधारित आसवनी एवं अन्य सभी आसवनियों में लगाये जा रहे प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के संबंध में विचार-विमर्श तथा उनकी उत्पादन व्यवस्था/प्रणाली की जानकारी हेतु वरिष्ठ अधिकारी यूरोपीय देशों की यात्रा पर गये थे। आसवनी एवं प्रदूषण नियंत्रण हेतु जो परियोज़ना बनायी गयी थी उनमें आपूर्तिकर्ता द्वारा विदेशी तकनीकी सहयोग से किये गये अनुबन्ध में यह प्राविधान था और यात्रा प्रदेश सरकार भारत सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के उपरान्त की गयी ।

उक्त भ्रमण पर कुल रु० 3.50.630 यात्रा व्यय हुआ तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत दरों पर दैनिक भत्ता वहन किया गया ।

जनपद उन्नाव के क्षेत्र पुरवा के ग्राम–हिलौली बाजार के क्षतिग्रस्त विद्युत खम्भों के पुनर्स्थापन की मांग

175–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० में विद्युत लाइनों के गांवों/कस्बों में टूटे/गिरे विद्युत खम्भों की मरम्मत में ढिलाई की जा रही है? यदि नहीं, तो क्या सरकार बतायेगी कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव के ग्राम-हिलौली बाजार के सभी पोल जो खतरनाक ढंग से टूटे हुए हैं और जो किसी भी दिन गिरकर जन धन की हानि कर सकते हैं के पुनर्स्थापन में कितना धन व्यय होगा ? उक्त विद्युत लाइनों का पुनर्स्थापन कब तक हो जायेगा ? क्या यह भी बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र के ऐसे सभी पुनर्स्थापन योग्य विद्युत खम्भे कब तक पुनर्स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत ग्राम के क्षतिग्रस्त खम्भों के पुनर्स्थापन में लगभग रु० 46.000/- (रुपये छियालिस हजार) का व्यय आयेगा ।

संसाधन उपलब्ध होते ही सभी क्षतिग्रस्त खम्भों की पुनर्स्थापना का कार्य किया जा सकता है ।

जनपद देवरिया की तहसील सलेमपुर में लगाये गये नलकूपों का विवरण

176–श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के सलेमपुर तहसील में राजकीय नलकूप के अतिरिक्त अन्य सरकारी साधन सिंचाई हेतु हैं? यदि नहीं, तो क्या सरकार यहां के किसानों के सिंचाई हेतु हर गांव में नलकूप लगाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस तहसील में अब तक कितने नलकूप लगाये जा चुके हैं और कितने की आवश्यकता किसानों को है ? कितने नलकूप तत्काल लगाने पर सरकार विचार कर रही है?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

धन की उपलब्धता के अनुसार नलकूप निर्माण का कार्य किया जा रहा है ।

तहसील सलेमपुर में विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत अब तक 482 सरकारी नलकूप लगाये जा चुके हैं। सर्वेक्षण के उपरान्त ही नये राजकीय नलकूपों की आवश्यकता का अनुमान किया जा सकता है।

जनपद योजना के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में तहसील सलेमपुर में 3 राजकीय नलकूपों का निर्माण किया जा रहा है।

उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना, रायबरेली में कार्यरत मस्टर रोल/तदर्थ और निविदा श्रमिकों का विवरण और उन्हें नियमित करने की मांग

177–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, ऊंचाहार तापीय विद्युत परियोजना, रायबरेली में ऐसे कितने मस्टर रोल/तदर्थ/निविदा श्रमिक है जिनकी भूमि अध्याप्ति की गयी है और वे कार्य कर रहे हैं? उनके नाम, पदनाम, पिता का नाम क्या है तथा वे कब से कार्य कर रहे है ? क्या इनके नियमित करने के संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्र दिनांक 26-10-91 जो कि ऊर्जा मंत्री एवं प्रबन्ध निदेशक को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लाल जी टण्डन–

ऊंचाहार परियोजना में ऐसे 116 कर्मचारी हैं जिनकी भूमि अध्याप्ति की गयी है और वे मस्टर रोल/तदर्थ/निविदा में कार्य कर रहे हैं।

संबंधित सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है ।

जी हां ।

ऐसे कर्मचारी जो निगम की ऊंचाहार परियोजना पर अथवा निगम मुख्यालय पर दो वर्ष की अवधि से ऊपर कार्य कर रहे थे उनके संबंध में अक्टूबर, 1991 में निगम प्रबन्धन द्वारा उनको नियमित करने हेतु महाप्रबन्धक, परियोजना द्वारा आदेश किये गये थे, परन्तु अक्टूबर, 1991 के पश्चात् निगम की स्थिति अनिश्चित हो गयी और शासन द्वारा निगम की उक्त परियोजना को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सौंपे जाने का निर्णय सैद्धांतिक रूप से लिया गया । शासन ने एन० टी० पी० सी० से यह समझौता भी किया था कि दिनांक 14-8-91 को कर्मचारियों की जो स्थिति है वह यथावत् बनाये रखी जाय और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाय । अन्ततोगत्वा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अध्यादेश संख्या 4/1992 एवं अधिसूचना संख्या–556पी–1/92 तथा 557 पी–1/92, दिनांक 13-2-92 द्वारा ऊंचाहार परियोजना राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अब सौंप दी गयी है जो भारत सरकार का उपक्रम है ।

मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद के अधीन विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर के कर्मचारियों द्वारा क्षेत्र से बाहर की गयीं यात्राओं हेतु धनराशि का भुगतान

178–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद के अधीन विद्युत प्रेषण खण्ड जौनपुर के कर्मचारियों के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर की गयी यात्रायें माह 4/90 से अब

तक मुख्य अभियन्ता, इलाहाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ स्तर पर अलग-अलग लम्बित हैं ? यदि हां, तो उनका अनुमोदन एवं भुगतान कब तक करा दिया जायेगा तथा इस विलम्ब के लिये कौन जिम्मेदार है एवं उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद के अधीन विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर के कर्मचारियों के भौगोलिक क्षेत्र से बाहर परिषदीय हित में की गयी यात्रायें माह 4/90 से 11/91 तक मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) इलाहाबाद एवं अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ के कार्यालय स्तर पर अलग-अलग लम्बित नहीं हैं।

समस्त भौगोलिक कार्य क्षेत्र से बाहर परिषदीय हित में की गयी यात्राओं का भुगतान माह 7/91 तक अधिशासी अभियन्ता, विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर द्वारा किया जा चुका है। माह 7/91 के उपरान्त अनुमोदित यात्राओं का भुगतान धन उपलब्ध होने की दशा में कर दिया जायेगा ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में 132 के० वी० उप विद्युत केन्द्र की आवासीय कालोनी में पेयजल समस्या को दूर करने की मांग

179–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के० वी० उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर की आवासीय कालोनी में द्वितीय/तृतीय मंजिले आवासों का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इन आवासों में पेयजल की आपूर्ति नहीं होती है ? क्या इस संबंध में उत्तर प्रदेश विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक 812. 813 अक्टूबर, 1990 अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, डायमन्ड होटल के पास, वाराणसी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई तथा पेय जल आपूर्ति की तात्कालिक क्या व्यवस्था करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक पानी की व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । 132 के० वी० उपकेन्द्र जौनपुर में द्वितीय/तृतीय मंजिले के 63 आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया है।

इन आवासीय भवनों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 कि० लीटर का 10 मीटर ऊंचा जलाशय निर्मित है जिससे एक नलकूप द्वारा जलापूर्ति की जाती है। आवासों एवं कार्यालयों की संख्या अधिक होने के कारण तृतीय तल में स्थित आवासों में जलापूर्ति की कुछ समस्या है।

जी हां । भारतीय मजदूर संघ के पत्र संख्या–1813 दिनांक 8-10-90 की प्रति अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, वाराणसी में प्राप्त हुई थी । संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण इस कार्य को अभी तक कराया जाना सम्भव नहीं हो सका है। जैसे ही संसाधन उपलब्ध होंगे, इस कार्य को किया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नीति के अनुसार किये गये स्थानान्तरण का विवरण

180–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता/चीफ रेजिडेन्ट इंजीनियर, लखनऊ में कार्यरत विभागीय अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की कोई मानक नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या शासन स्थानान्तरण सूची उसी नीति के अनुरूप जारी करता रहा है? यदि नहीं, तो स्थापित नीति के उल्लंघन के क्या कारण हैं?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं । इनका स्थानान्तरण परिषद् के अन्य अवर अभियन्ताओं की भांति समय-समय पर निर्धारित आधारभूत सिद्धान्तों, निर्देशों के अनुसार ही होता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

181–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

जनपद उन्नाव के नरीचक रजबहा की पटरी को रोड के रूप में विकसित करने की मांग

182–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग ने उन्नाव जिले में मौरावां गुलरिहा, गुरुबख्शगंज मार्ग से अकोहरी चौराहे से नरीचक रजबहा की पटरी को पक्का करके मवई रोड बनायी है? यदि हां, तो क्या सरकार अवगत है कि इसी नरीचक रजबहा की पटरी को मात्र 3 कि० मी० और पक्का करके रोड के रूप में विकसित करने से मार्ग अन्तर्जनपदीय बन जायेगा ? क्या गुरुबख्शगंज बछरावां मार्ग के ताला नामक स्थान से रायबरेली जिले के हिस्से में इसी नरीचक रजबहा की पटरी रोड के रूप में विकसित कर ली गयी है? यदि हां, तो उन्नाव जिले के शेष 3 कि० मी० को कब तक बना दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

सिंचाई विभाग में ऐसी कोई योजना नहीं है।

183–श्री सत्यदेव पचौरी–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम पैलानीडेला व महोली खुर्द के पास केन नदी पर लिफ्ट नहर बनाने की मांग

184–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार को जनपद बांदा के अन्तर्गत ग्राम पैलानीडेला व महोली खुर्द के पास केन नदी में पानी की उपलब्धता की मात्रा की जानकारी है? यदि हां, तो कितना जल उपलब्ध है? क्या इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उक्त स्थानों पर लिफ्ट सिंचाई योजना बनाये जाने संबंधी ज्ञापन खण्ड विकास अधिकारी, जसपुरा के माध्यम से शासन को वामपंथी किसान मोर्चा द्वारा दिनांक 19 नवम्बर, 1991 एवं जिला अधिकारी, बांदा को दिनांक 20-11-91 कम्युनिस्ट पार्टी में धरना के समय दिया गया है? यदि हां, तो क्या लिफ्ट सिंचाई योजना बनायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

75 प्रतिशत निर्भरता पर केन नदी पर वर्ष पर्यन्त कुल 4906 मिलियन घनमीटर जल उपलब्ध रहता है, परन्तु इस जल की लगभग 5 प्रतिशत मात्रा ही गैर-मानसून अवधि में उपलब्ध हो पाती है शेष 95 प्रतिशत मात्रा जल मानसून अवधि में नदी से गुजर जाता है।

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

केन नदी में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध न होने के कारण जनपद बांदा के ग्राम पैलानी डेरा व महोली खुर्द में लिफ्ट नहर बनाया जाना सम्भव नहीं है ।

नियम 301 की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

मैं अब नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

[xxx]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्या पढ़ रहे हैं, मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं। माननीय सदस्य आप बैठ जायं। मैं नियम 301 की सूचनाओं को लेता हूं ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, मैं सदन का बहिष्कार करता हूं ।

(श्री पवन कुमार पाण्डेय सदन का परित्याग कर चले गये)

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मार्च, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 9 सूचनायें प्राप्त हुई । प्राप्त सूचनाओं में से श्लाका के आधार पर निम्नलिखित 7 सूचनायें स्वीकार की गयीं । पहली सूचना श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है, जो भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा द्वारा किये जा रहे कथित भ्रष्टाचार की जांच करवाने के संबंध में है, दूसरी सूचना श्री बाबू खां की थाना पलिया कलां, लखीमपुर खीरी में तैनात सिपाही श्री भगीरथ शर्मा द्वारा श्री खलील

नोटः– [xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

अहमद को अकारण मारने पीटने एवं जनता को आतंकित करने के संबंध में है, तीसरी श्री रवीन्द्र प्रताप की है जो देवरिया जनपद के अनुसूचित जाति के 36 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत 256 अध्यापकों के वेतन भुगतान करने के संबंध में है, चौथी श्री किशन गोपाल की है आगरा में भीषण पेयजल समस्या को दूर करने के संबंध में, पांचवी डा० दिनेश जौहरी की बरेली में मेन व ब्रांच सीवर डलवाने के संबंध में है, छठी सूचना श्री कोविद कुमार सिंह की निर्माण विभाग में की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच करवाने के संबंध में है, सांतवी सूचना कुंवर सुरेन्द्र प्रताप की केसर शुगर मिल, बरेली द्वारा गत ढाई माह से गन्ना किसानों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अब मैं माननीय सदस्यों के नाम पुकार रहा हूं ।

(श्री उपाध्यक्ष द्वारा श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद का नाम पुकारे जाने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये इनकी सूचना को निरस्त कर रहा हूं ।

(श्री बाबू खां का नाम पुकारे जाने पर)

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, श्री बाबू खां जी को कुछ राजनीतिक पार्टियों ने टिकट देने का आश्वासन देकर रोक लिया है, आप उनकी सूचना को ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

चूंकि वह उपस्थित नहीं हैं, इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह सूचना भी निरस्त हुई ।

जनपद देवरिया के अनुसूचित जाति के 36 प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों के वेतन भुगतान के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मेरी सूचना देवरिया जनपद के 36 हरिजन प्राइमरी पाठशालाओं में कार्यरत 256 अध्यापकों के वेतन भुगतान के आदेश निर्गत करने के संबंध में है।

अनुसूचित जाति के 36 प्राथमिक विद्यालय में देवरिया जनपद के 256 अध्यापकों के स्वीकृत पद तथा स्वीकृत वेतन की धनराशि वर्ष 1988-89 से भुगतान करने, वेतन वितरण अधिनियम लागू करने, विद्यालय भवन बनाने, शिक्षा विभाग के नियमानुसार प्रशिक्षित वेतनमान देने, शासन के नियमानुसार अनावर्तक अनुदान प्राप्त अनुसूचित प्राथमिक विद्यालयों को आवर्तक सूची में लेने तथा शासन द्वारा 7-5-91 को स्थगन आदेश जारी कर अग्रिम आदेश तक भुगतान रोक देने से स्थिति खराब हो रही है। शिक्षकों ने क्रमिक अनशन, आमरण अनशन एवं आत्मदाह की घोषणा की है जिससे वातावरण जनमानस में खराब हो रहा है।

आपके माध्यम से अविलम्ब समाधान की अपेक्षा करता हूं। एक बात और कहना चाहता हूं कि इसके पहले भी सूचना दी गयी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने सूचना पढ़ दी इसके बाद भाषण की अनुमति नहीं दी जा रही है ।

जनपद आगरा में भीषण पेयजल समस्या के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किशन गोपाल–

मान्यवर, आगरा की ज्वलन्त पेयजल समस्या भीषण रूप धारण कर चुकी है। पाइप लाइनों में पानी नहीं आता है। हैण्ड पम्प स्थाई व अस्थाई रूप से खराब पड़े हुए हैं, कुओं की सफाई हेतु प्रार्थना करने पर कोई सुनवाई नहीं होती । आगरा महानगर की जनता बूंद-बूंद पानी को तरस रही है जनता का आक्रोश यहां तक उतर आया है कि प्रतिदिन आगरा शहर की सड़कों पर रास्ता जाम जुलूस, विधायकों के, सभासदों के घरों का घेराव व मुख्य मंत्री, नगर विकास मंत्री व क्षेत्रीय विधायक का पुतला जलाया जाता है ।

यदि जनता को पीने हेतु जल न दिया गया तो कोई अप्रिय घटना घटेगी जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी । इसलिये लिखित अवगत करा रहा हूं। गम्भीरता से लेकर तुरन्त पेयजल समस्या का समाधान कराने का कष्ट करें ।

बरेली महानगर में मेन व ब्रांच सीवर की व्यवस्था किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, बरेली महानगर की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा सीवर सुविधा से वंचित है जिसके कारण हर जगह गन्दगी का साम्राज्य है। महानगर की आबादी के हिसाब से करीब 11 किलोमीटर मेन व 140 किलोमीटर ब्रांच सीवर की आवश्यकता है। बरेली नगर क्षेत्र में लगभग 55 किलोमीटर लम्बी सीवर लाइन का जाल बिछाने के लिये गत वर्ष प्रस्ताव प्रशासन को गया भी था जिसमें गंगापुर, गुलाबनगर, जाटवपुरा, चौधरी मोहल्ला, मदारी दरवाजा, खन्नू मोहल्ला, बिहारीपुर, नरकुलागंज, नई बस्ती, कानून गोयान, भूड़, चाहवाई, गुदड़ाढाबाग, बानखाना, मौला नगर, सिकलापुर, चमेली की बगिया, साहूकारा, बजरिया मोतीलाल आदि तथा कटरा चांद खां शामिल थां; शामिल होने के बाद भी अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ जिस कारण नागरिकों को बेहद तकलीफ हो रही है।

अतः मैं मांग करता हूं कि बरेली महानगर के बाकी हिस्से में सीवर डलवाया जावे ।

लोक निर्माण विभाग में की जा रही कथित अनियमितताओं की जांच के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कोविद कुमार सिंह–

मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लोक निर्माण विभाग में भयंकर रूप से की जा रही सुनियोजित एवं शासन की छवि धूमिल करने वाली अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

लोक निर्माण विभाग में टोल टैक्स की वसूली और इस निमित्त नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा सीधे-सीधे नियमों को ताक पर रख कर मनमानी की जा रही है। सचिवालय प्रशासन एवं वित्त विभाग की बिना अनुमति के पद सृजित करके ऐसे-ऐसे लोगों का पदारूढ़ किया जा रहा है जो प्रथम दृष्टि में ही साजिश का परिणाम नजर आ रहा है। इस प्रकरण में सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यगण की शिकायतों के बाद भी कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दी जा रही है। उदाहरण स्वरूप एक विशेष कार्याधिकारी की नियुक्ति कनिष्ठ होते हुए भी प्रथम श्रेणी अधिकारी में की गयी है। जिसके द्वारा टोल टैक्स कलेक्शन में जाजमऊ पुल, कानपुर तथा फाफामऊ पुल, इलाहाबाद के ठेकेदारों को नाजायज ढंग से लाभ पहुंचाने

की तथा शासन की राजस्व की क्षति पहुंचाने हेतु समय विस्तार दिया गया है । यही नहीं जिस व्यक्ति को जिस कार्य हेतु पदस्थ किया गया है वह टोल कलेक्शन का कार्य ही नहीं वरन् एक भ्रष्टाचार एवं भ्रष्टाचारियों की व्यूह रचना के तहत अधिष्ठान एवं सेतु निगम से संबंधित कार्य का निष्पादन भी देखता है। गजब तो यह है कि सतर्कता जांच में अपेक्षित व्यक्ति को टोल कलेक्शन का विशेष अधिकारी भी बनाया गया है।

लोक निर्माण विभाग के उपर्युक्त क्रिया-कलाप स्पष्ट रूप से शासन की स्वच्छ छवि योग्यता सत्य चरित्रता एवं मितव्ययता नीति के विरोधी दृष्टान्त हैं।

अतः मैं उपर्युक्त गम्भीर स्थिति की सम्यक् जांच एवं दोषी अधिकारियों तथा शरणदाता, व्यूह रचनाकारों को दण्डित करके विभाग के बाद मूल पद पर भेजने की मांग करता हूं। आशा है कि आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाने पर शासन इस ओर अवश्य कार्यवाही करेगा ।

जनपद बरेली की केसर शुगर मिल, बहेड़ी द्वारा गन्ना किसानों का भुगतान न करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

कुंवर सुरेन्द्र प्रताप–

मान्यवर, केसर शुगर मिल बहेड़ी, बरेली द्वारा किसानों का गत ढाई माह से गन्ना भुगतान नहीं किया गया है जिससे गरीब कृषक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। किसानों में भारी असन्तोष है एवं वह आन्दोलन की तैयारी कर रहे हैं।

अतः मैं मांग करता हूं कि कृषकों का भुगतान यथाशीघ्र कराया जाय ।

पर्वतीय जनपदों में जिला उद्योग अधिकारियों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उपाध्यक्ष–

यदि श्री रमेश पोखरियाल जी हों, तो अपनी सूचना पढ़ें।

श्री रमेश पोखरियाल–

मान्यवर, एक ओर गढ़वाल जनपद उद्योग शून्य जनपद है और दूसरी ओर पौड़ी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, देहरादून सभी जनपदों में ज़िला उद्योग अधिकारियों के पद रिक्त चले आ रहे हैं। इनको भरवाने की कृपा की जाय ।

नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं नियम 300 की सूचनायें ले रहा हूं । इसमें श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की एक सूचना प्राप्त हुई है, चूंकि माननीय सदस्यगण उपस्थित नहीं हैं, इसलिये यह सूचना व्यपगत हुई ।

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें

नियम 311 के अन्तर्गत आज कुल 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। प्रथम सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की है, द्वितीय सूचना श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद की है। माननीय सदस्य यदि सूचनाओं की ग्राह्यता के विषय में कुछ कहना चाहें, तो कहें ।

जनपद लखीमपुर खीरी में गन्ना विभाग द्वारा गन्ना आपूर्ति नियमावली का उल्लंघन किये जाने विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, इस नियम 311 की सूचना के पहले मेरा एक निवेदन है। श्रीमन्, मैं यहां बैठा हूं, मुझे यहां बैठा देखकर यह सोचा जा सकता है कि मैं सत्ता पक्ष से मिल गया हूं, लेकिन ऐसा नहीं है मैं विपक्ष में ही हूं।

श्रीमन्, नियम 311 की सूचना के माध्यम से मे एक अत्यन्त लोक महत्व का प्रश्न आपके संज्ञान में रख रहा हूं। लखीमपुर खीरी में निघासन तहसील के पलिया गन्ना विकास समिति में 16 हजार किसान हैं, उनका बेसिक कोटा मात्र 41 लाख कुन्तल है, जबकि पलिया चीनी मिल की क्षमता 50 लाख कुन्तल है, तो 9 लाख चीनी मिल की पलिया की खपत है, बांनस्पत किसानों के बेसिक कोटा के। वहां पर 9 लाख कुन्तल की बढ़ोत्तरी में साढ़े 4 लाख को मात्र 1265 बड़े गन्ना किसानों में दे रहे हैं और बाकी साढ़े 4 लाख कुन्तल में शेष 14 हजार 735 किसानों को देने के आदेश किये गये हैं, इससे किसानों में भारी असन्तोष है और शांति भंग होने का अंदेशा है, किसान एक दूसरे से लड़ाई लड़ने पर आमादा हैं, दूसरी ओर गन्ना विभाग के अधिकारी भी अपमानित हो रहे हैं। यह सब इसलिये हो रहा है कि जो 9 लाख की बढ़ोत्तरी होनी थी, उसे छोटे से लेकर बड़े जो 16 हजार किसान हैं, सभी में समान बांटकर लाभ पहुंचाया जा सकता था, लेकिन ऐसा न करके साढ़े 4 लाख कुं० 1265 किसानों को ही दे रहे हैं और साढ़े 4 लाख कुन्तल मात्र 14 हजार 735 गन्ना कृषकों को दे रहे हैं। इस सबको लेकर गन्ना विकास समिति पलिया में अधिकारियों व कर्मचारियों को अपमानित होना पड़ रहा है, इसलिये श्रीमन्, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज सारे नियमों को निलम्बित करते हुए इस प्रकरण पर सुन लिया जाय। मैं आपके माध्यम से अपने भाई के समान, गुरु भाई संसदीय कार्य मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि यह अत्यन्त गम्भीर मामला है और शान्ति भंग हो सकती है, इसलिये सारे नियमों को निलम्बित करते हुए सुन लिया जाय।

• वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य लखीमपुर ने अपनी सफाई नाहक दी। वह किसी पार्टी से तो चुनकर आये नहीं। उनको तो हम न पक्ष में मानते हैं और न विपक्ष में। हम तो उन्हें निष्पक्ष मानते हैं। उन्होंने एक गम्भीर विषय की ओर ध्यान आकृष्ट कराया। मैं उसके संबंध में केवल दो बातें कहना चाहता हूं। माननीय सदस्य ने स्वीकार किया और इसका प्रमाण-पत्र भी उन्होंने सरकार को दिया कि किसानों के हित में हमने गन्ने की आपूर्ति को बढ़ाने का प्रयास किया। पहले के मुकाबले कुछ ज्यादा गन्ने की आपूर्ति हुई। उन्होंने एक शंका उठाई कि हमारी जो सट्टा की पालिसी है, कहीं उससे कोई विपरीत काम हो गया है। पहले यह तीन वर्ष के लिए था, अब हमने इसे दो वर्ष के लिये कर दिया है। उन्होंने यह कहा कि वहां पर कोई विवाद या झगड़ा हो सकता है। परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की कोई चीज वहां पर नहीं है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि इसका परीक्षण करा लिया जायेगा कि कहीं कोई सक्रिय नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ है। वैसे यह नियम 311 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने नियम 311 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, उसे निरस्त किया जाता है। दूसरी सूचना श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी की व श्री विशम्भर प्रसाद निषाद जी की है, चूंकि ये दोनों माननीय सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं, इसलिये इनकी सूचना को भी निरस्त किया जाता है।

• वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

व्यवस्था का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आज सम्पूर्ण विपक्ष के माननीय नेता व माननीय सदस्य इस सदन की महत्वपूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले रहे हैं। जनता ने उन्हें यहां चुनकर इसलिये भेजा है कि वह जन जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को इस सदन में उठायें।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य, इस पर व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है। सदन की कार्यवाही चल रही है। सदन की कार्यवाही में माननीय सदस्य भाग ले रहे हैं। सदन की कार्यवाही के लिये जो शर्तें होनी चाहिए, वे सारी शर्तें पूरी हैं। इसलिये इसके बारे में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं कह रहा था कि निकट भविष्य में ये लोग ऐसा न करें, इसलिये इनको आप चेतावनी दीजिये।

यू० पी० स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ का अठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1984-85 †

कृषि शिक्षा राज्य मंत्री (श्री महाबीर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट ऐग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 1984-85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (बारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1984-85 ††

पंचायती राज मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (बारहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1984-85 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (तेरहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1985-86 ††

पंचायती राज मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लि० का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (तेरहवां प्रतिवेदन) वर्ष 1985-86 कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापे नहीं गये।

यू० पी० स्टेट्टेक्सटाइल कारपोरेशन लि० का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 ††

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री मयंकर सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यू० पी० स्टेट टेक्सटाइल कारपोरेशन लि० का अट्ठारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1986-87 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण पत्र वर्ष 1987-88

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् का वार्षिक लेखा विवरण-पत्र 1987-88 को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऐक्ट, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 जुलाई, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति

संस्थागत वित्त राज्य मंत्री (श्री हरद्वार दुबे)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग–2 की दिनांक 1 जुलाई, 1990 के असाधारण गजट में प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या वि० क०–2-1447/ग्यारह-10-(1)-80-उ० प्र० अधि० - 15-48-आदेश-90. दिनांक 30 जून, 1990. जो विलम्ब के कारणों सहित दिनांक 11 मार्च, 1991 को सदन के पटल पर रखी गयी थी तथा जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि दशम् विधान सभा का दिनांक 4 अप्रैल, 1991 को विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हो सकी है, को विलम्ब के कारणों सहित, उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

अधिवक्ता अधिनियम 1961, में संशोधन के विषय को लेकर अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल के संबंध में न्याय मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय न्याय मंत्री जी ने एक वक्तव्य की इच्छा जाहिर की है।

सिंचाई, न्याय तथा विधायी मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन के विषय को लेकर अधिवक्ताओं की चल रही हड़ताल के संबंध में अपना वक्तवय पढ़ना चाहता हूं :––

अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में संशोधन करने के लिये कोई अध्यादेश अथवा विधेयक न तो उत्तर प्रदेश सरकार के विचाराधीन है और न ही भविष्य में इस प्रकार की कार्यवाही करने की योजना है। प्रदेश सरकार की बेंच या बार की स्वतंत्रता और अधिकार में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने की नीति नहीं है।

---

†† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

प्रदेश सरकार द्वारा जो पत्र भारत सरकार को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन करने के संबंध में भेजा गया है उस पर प्रदेश सरकार बल नहीं देगी और भारत सरकार को सूचित कर दिया गया है कि उक्त प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार कार्यवाही नहीं करना चाहती । अगर इस प्रकार की कोई कार्यवाही हो रही हो, तो उसे समाप्त कर दिया जाय । इस विचार को 4 मार्च, 1992 को सायंकाल मैंने अपने कक्ष में अध्यक्ष, बार काउंसिल, उ० प्र० के नेतृत्व में आये प्रतिनिधि मण्डल को लिखित रूप में दिया जिस पर सभी ने संतोष व्यक्त किया। 5 मार्च, 1992 को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से विधि सचिव ने सरकार का दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए एक पत्र केन्द्रीय विधि मंत्रालय के सचिव को भेजा जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार संशोधन संबंधी मामले पर पुनर्विचार करने के बाद अब अधिवक्ता अधिनियम, 1961 में किसी प्रकार का संशोधन प्रस्तावित नहीं करती और अगर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर संशोधन सम्बन्धी कोई कार्यवाही हो रही हो, तो उसे समाप्त कर दिया जाय।

अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सरकार ने सर्वप्रथम 1975 में भेजा था। उस समय अधिवक्ताओं के कतिपय अनुशासन व मर्यादा उल्लंघन के दृष्टान्त प्रकाश में आये थे जिस पर मा० उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह विचार प्रकट किये कि अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करके प्रेक्टिस से बिवर्जित (डिबार) किये जाने संबंधी अधिकार उच्च न्यायालय में भी होने चाहिए ।

प्रदेश सरकार ने वर्ष 1975 में अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन लाने के उद्देश्य से एक विधेयक का प्रारूप भारत सरकार की प्रतिक्रिया जानने हेतु संदर्भित किया था । इस विषय पर तत्कालीन महाधिवक्ता ने भी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए कहा था कि अधिवक्ता अधिनियम में अनुशासनात्मक कार्यवाही के संबंध में जो व्यवस्थायें हैं, उससे आशायें पूर्ण नहीं हुई हैं और अधिवक्ताओं के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही का अधिकार मा० उच्च न्यायालय को भी उपलब्ध होना चाहिए ।

वर्ष 1975 के बाद वर्ष 1976 में दो, 1977 में दो, 1978 में तीन, 1979 में एक, 1980 में दो, 1981 में तीन तथा 1982 में एक अनुस्मारक प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर भेजा गया । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर भारत सरकार को जो पत्र भेजे गये थे उस पर अनेक अनुस्मारकों के बावजूद भारत सरकार का अभिमत प्राप्त नहीं हुआ । मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन 1991 में अधिवक्ताओं के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही की अधिकारिता उच्च न्यायालय में दिये जाने की अनुशंसा की गयी थी । इस सम्मेलन में सम्बन्धित विषय पर पारित प्रस्ताव प्रदेश सरकार को प्राप्त हुआ था । समय-समय पर न्यायिक सेवा संघ एवं उसके सदस्यों द्वारा भी न्यायालयों में न्यायिक कार्य में पैदा की जा रही बाधाओं, आये दिन हो रहे अशोभनीय व्यवहार के बारे में भी शिकायतें प्राप्त होती रहीं और कार्यवाही की मांग होती रही । इन परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को नवम्बर, 1991 को अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के सम्बन्ध में एक पत्र भेजा गया जिसमें केन्द्र सरकार से अपने अभिमत से राज्य सरकार को सूचित करने का आग्रह किया गया था ।

भारत सरकार द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1991 के पत्र द्वारा यह सूचित किया गया कि प्रस्तावित विधेयक बार काउंसिल आफ इण्डिया के परामर्श के साथ परीक्षण में है। इस पर केन्द्र सरकार ने बार

काउंसिल का भी मत दो बिन्दुओं पर जानना चाहा–(1) मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन का प्रस्ताव, और (2) उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव। जानकारी के अनुसार जनवरी, 1992 में केन्द्रीय बार काउंसिल ने राज्य बार काउंसिल से इस पर राय मांगी ।

मान्यवर, अब यह स्पष्ट हो गया है और हमने स्पष्ट कर दिया है लिखित रूप में, मा० उच्च सदन में और बाहर भी कि तीन बिन्दुओं पर निर्णय है । पहला पत्र और प्रस्ताव जो भारत सरकार को भेजा है उस पर प्रदेश सरकार बल नहीं देगी । अब पुनः विचार के बाद किसी प्रकार के संशोधन का प्रस्ताव नहीं करते हैं और किसी प्रकार की कार्यवाही चल रही है तो उसे समाप्त करने का आग्रह कर दिया है। इसके बाद मैं समझता हूं कि अब अधिवक्ताओं को हड़ताल का कोई कारण नहीं है। मैं जनहित और प्रदेश के हित में माननीय अधिवक्ता बन्धुओं से और बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश से अपेक्षा करता हूं और आग्रह करता हूं कि अब वे हड़ताल समाप्त कर देंगे ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

मैं मंत्री जी से स्पष्टीकरण चाहता हूं कि राज्य सरकार के नवम्बर, 1991 अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के लिये जो भारत सरकार को अपने अभिमत से राज्य सरकार को सूचित करने का आग्रह संबंधी पत्र भेजा था उसे अधिवक्ताओं के आन्दोलन को देखते हुए दूसरा पत्र, केन्द्र सरकार को लिखा है, तो वह पत्र कब लिखा गया ? क्या उस पत्र के संबंध में बार काउंसिल, उत्तर प्रदेश को सूचित किया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैंने वक्तव्य में कहा है कि 4 मार्च, 1992 को मेरे कक्ष में बार काउंसिल, उ० प्र० के अध्यक्ष के नेतृत्व में आये प्रतिनिधि मंडल से मेरी बात हुई और उनको लिखित रूप से कार्यवाही समाप्त करने के संबंध में दिया था जिससे वे संतुष्ट थे और दूसरे दिन भी बताया गया कि वे संतुष्ट हैं। लेकिन किसी प्रकार बाद में बात नहीं बनी । मान्यवर, 5 मार्च को इस संबंध में केन्द्र सरकार को लिखित रूप में पत्र भेजकर सूचित कर दिया है और हमने सुनिश्चित कराया है कि उन्हें पत्र प्राप्त हो गया है। तो जब कार्यवाही समाप्त हो गयी तो वापस लेने का सवाल नहीं उठता है। मान्यवर, 1975 के बाद आज तक जो यह प्रारूप चर्चा में है, यह मंत्रि परिषद् से पास नहीं हुआ, सुझाव के रूप में था, विधेयक का जो पूर्ण स्वरूप होता है इसका ऐसा कोई स्वरूप नहीं था ।

श्री प्रेम प्रकाश उर्फ जिप्पी तिवारी–

जो पत्र मार्च 5, 1992 को विधि सचिव ने केन्द्रीय विधि मंत्रालय के सचिव को भेजा है उसमें क्या मंत्री जी अपने विचार सदन के समक्ष रखेंगे ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, सभी बात तो वक्तव्य में आ गयी है।

श्री उपाध्यक्ष–

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है, इसलिये अब आप बैठ जायं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 11-3-92 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल दो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की – जनपद खीरी के निधासन विधान सभा क्षेत्र में नदियों के कटान से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की–सम्पूर्ण प्रदेश में व्याप्त भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार अपनी सूचना के संबंध में कहें ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर चूंकि यह मेरे जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन 72-विधान सभा क्षेत्र और पूरे उत्तर प्रदेश में जबरदस्त कहर है उसके संबंध में है कि पूरे प्रदेश में आतंकवाद से लोग ग्रस्त हैं। लोग एक तरफ आतंकवाद से ग्रस्त हैं। दूसरी तरफ जंगल के शेरों से भय ग्रस्त हैं। एक तरफ लखीमपुर खीरी में घाघरा, शारदा, कौडियाला आदि नदियों से कटाव होने के कारण सैकड़ों एकड़ भूमि प्रति वर्ष कट जाती है । नदियों में रेता आता जा रहा है । खड़ी फसलों के खेत कट जाते हैं। इससे प्रतिवर्ष हजारों लोग भूमिहीन होते चले जा रहे हैं और भूमिहीन होने के बाद उन्हें गांव में मजदूरी भी नहीं मिलती है। जो किसान भूमिहीन हो जाते हैं वह शहरों की तरफ भागते हैं मजदूरी के लिये। श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए चाहता हूं कि इस प्रश्न पर काम रोक कर चर्चा कराने की अनुमति श्रीमन्, आप दें जिससे कि शासन का ध्यान इस ओर केन्द्रित हो सके । किसी प्रकार से भी पैसे की व्यवस्था करके नदियों में ठोकरें लगाकर भूमि के कटाव को रोका जाय जिससे इन किसानों की, जिनकी फसलें कट चुकी हैं, काटी जा रही हैं, उन्हें भूमिहीन होकर मजदूरी के लिये शहरों की ओर न भागना पड़े। मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस पर काम रोक कर चर्चा कराने की अनुमति दें ।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का पूरा प्रयास करता है लेकिन प्रकृति के ऊपर कब्जा कर पाना मुमकिन नहीं है। यह माननीय सदस्य भी जानते होंगे । माननीय सदस्य ने घाघरा, शारदा, मुहाना नदियों का जिक्र किया है । मैंने स्वयं इनके इलाके को देख रखा है । वहां नदियों का वैशिष्ठ है। नदियां हर साल रास्ता बदल कर बहती हैं। फाड़-फाड़ कर चलती हैं। यह इलाका सैलाबी भी है। हर साल सैलाब आते हैं। वाटर लागिंग हो जाती है। परिस्थितियों की गम्भीरता को हम भी समझते हैं। वहां नदियां रास्ता बदलती रहती हैं। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके लिये दो रास्ते हैं। एक नदी के दोनों तरफ बन्धे बनाये जायं । दूसरा नदियों का रास्ता काट दें। लेकिन मान्यवर, चार साल पहले आपको वहां जाने का मौका मिला होगा तो देखा होगा कि एक-एक किलोमीटर दूर एक तरफ यह नदियां बह रही हैं। मान्यवर, इस बारे में शासन की कोई नीति नहीं बनी है। मैं कोई तथ्य छिपाना नहीं चाहता । जो परेशानी है वह सबके सामने है। जिस बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकर्षित किया है इस बारे में कोई नीति तय नहीं हुई है । माननीय सदस्य से परामर्श कर लेंगे ।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

श्रीमन्, चूंकि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का यह स्थल देखा हुआ है और वह इसकी गम्भीरता को महसूस करते हैं। इसलिये श्रीमन्, इतना तो किया ही जा सकता है कि जिस प्रकार से आदिलाबाद में 4 ठोकरें लगवाकर 20 किलोमीटर की जमीन बचाई जा चुकी है। पिछली सरकार ने बाकी नहीं बचाई। मैं अपेक्षा करता हूं कि आठ-दस ठोकरें लगाकर सड़कें, रेलवे लाइन, परियोजना विभाग और गांव की फसल ठोकरें लगाकर बचाई जा सकती हैं, तो मैं आपके माध्यम से इसको लगवाने का निवेदन करूंगा इससे हजारों लोगों का फायदा हो जायेगा । मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी मिल लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपकी सूचना पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने स्वयं कह दिया है कि वह उसको गम्भीरता से ले रहे हैं उनका ध्यान इस विषय में आकर्षित हो गया है । कार्य-स्थगन प्रस्ताव के अन्तर्गत मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

* श्री पवन कुमार पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार जैसे गम्भीर विषय से संबंधित मेरा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि विधान सभा के द्वितीय सत्र 1991 में चर्चा के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अच्छे और सचरित्र अधिकारियों की नियुक्तियां महत्वपूर्ण पदों पर की गई हैं । फिर भी अगर सदन के सदस्यों को शिकायत है तो मामलों का परीक्षण करा लिया जायेगा । लेकिन परीक्षण कराना तो दूर, उल्टे गम्भीर मामलों से संबंधित अधिकारियों को अच्छे पद दे दिये गये, लूट-खसोट का और मौका मिले इसके लिये एम० एम० अधिकारी को दो-दो पदभार नियम तोड़कर सौंपे गये, कुछ मामलों की विशेष लेखा जांच के बाद दोषी लोगों से रिकबरी कराये जाने के आदेश संज्ञान में होते हुये दबाये जा रहे हैं ।

मान्यवर, उदाहरण के लिए टी० आर०-27 से करोड़ों रुपया निकालकर फर्जी बिल वाउचर के सहारे भुगतान हड़पने वाले नियुक्तियों में गम्भीर हेरा-फेरी करने वाले शासन की गाइडलाइन के विपरीत धन खर्च करने वाले और कार्य कराने वाले अधिकारी को जांच के दौरान ही सचिवालय से हटाकर कानपुर का डी० एम० बना दिया गया । जनपद हमीरपुर में चैक डैम के निर्माण में घोटाला करने वाले जमे हैं । लोक निर्माण विभाग के 39वें सरकिल से संबंधित गम्भीर आरोपों के दोषी अभियन्ता संरक्षित किये जा रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । जनपद फैजाबाद के जिला चिकित्सालय के सी०एम०एस० डा० वी० पी० गुप्ता जिन्हें मंत्री द्वारा आकस्मिक निरीक्षण के दौरान गम्भीर दोषी पाये जाने पर हटा दिया गया था उनकी नियुक्ति नियम तोड़कर सरकार ने पुनः फैजाबाद जिला चिकित्सालय का सी० एम० एस० बनाकर साक्ष्य नष्ट करने का अवसर दिया गया । इतना ही नहीं कनिष्ठ होते हुए इन्हें 3-4 माह से कार्यवाहक अपर निदेशक बना दिया गया है और दूसरा अपर निदेशक भेजा ही नहीं जा रहा है, उक्त डा० वी० पी० गुप्ता पचासों लाख के घपले से संबंधित है, अब अपर निदेशक की हैसियत से सी०एम०एस० कार्यालय से अभिलेख मंगाकर गायब कर रहे हैं ।

मान्यवर, जनपद फैजाबाद के ही ग्रामीण अभियन्त्रण सेवायें शाखा के अधिशासी अभियन्ता श्री बी०बी० सिंह जिनके पास अधीक्षण अभियन्ता का भी चार्ज रहा है, के द्वारा करोड़ों रुपया का घपला होने की शिकायतों की जांच प्रमुख अभियन्ता द्वारा करा लेने के बाद भी मामले को दबाया जा रहा है । इस तरह के सैकड़ों मामले हैं ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुये आज की सम्पूर्ण कार्यवाही रोककर इस प्रश्न पर चर्चा कराये जाने की मांग करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह एक दो पुराने मामलों को लेकर समस्त प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप लगायें मैं इस आरोप का खंडन करता हूं। विषय-वस्तु इससे भिन्न है यह जो चिकित्सा विभाग के अधिकारी का संबंध है। इस मामले में, पिछला सत्र जो विधान सभा का हुआ था, तब भी इस मामले को माननीय सदस्य ने उठाया था उस वक्त उत्तर दिया गया क्योंकि स्थिति ऐसी नहीं थी कि भ्रष्टाचार का मामला बने और दंडित करने का मामला बने। शिकायत दबाने का कोई सवाल नहीं है। श्री बी० बी० सिंह जिनका नाम लिया गया यह मुख्य अभियन्ता हैं। समाचार की कतरन मेरे पास है। 50 लाख की बात कही गयी है इसमें पूरी जांच करायी गयी। जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आये जिससे प्रशासन को स्वयं ऐसा लगा कि जांच सही नहीं की गयी है। इसमें दुबारा जांच करायी जा रही है। अगर किसी मामले को दबाने का इरादा रहा होता तो इस मामले की हम फाइल सील कर सकते थे लेकिन हम चाहते हैं कि मामले की जांच हो। माननीय सदस्य ने जो आरोप लगाये तो मामले की जांच हो रही है जो तथ्य सामने आयेंगे उनके आधार पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी और किसी व्यक्ति को बख्शा नहीं जायगा जिसका दूरदराज से भी इस मामले में हाथ होगा। मान्यवर, जहां तक कार्य-स्थगन की बात है, यह मामला कार्य-स्थगन का बनता नहीं। कार्य-स्थगन के लिये आवश्यक है कि मामला अविलंबनीय लोक महत्व का होना चाहिये। हाल में ही घटित घटना से संबंधित होना चाहिये। यह पुराना मामला है और इस सरकार से पहले का है लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, सरकार कोई भी रही हो, आज हमारी सरकार है इसलिये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसका अहसास करते हैं। इस मामले की जांच कराकर कड़ी कार्यवाही की जायगी। मान्यवर, न यह मामला अविलंबनीय लोक महत्व का है, न यह मामला हाल में घटित घटना से या पूरे प्रदेश से संबंधित है इसलिये इसको कार्य-स्थगन के रूप में स्वीकार न करने की कृपा करें।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, जो भ्रष्ट अधिकारी है, जांच के दौरान उनकी पदोन्नति की गयी है और उनका ट्रांसफर करने के बाद फिर वहीं पर उनकी नियुक्ति अपर निदेशक के पद पर हुयी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि जांच के दौरान उनको उनके पद से हटा दिया जाय ताकि निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी, आपका उद्देश्य पूरा हो गया है। आप शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते थे, शासन का ध्यान आकर्षित हो गया है। जहां तक कार्य-स्थगन का सवाल है इस पर कार्य-स्थगन की अनुमति, मैं नहीं देता हूं, इसको निरस्त करता हूं।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मान्यवर, जो अधिकारी इससे संबंधित है उनकी पदोन्नति की गयी है यह महत्वपूर्ण मामला है।

जनपद मऊ के थाना मधुबन के अन्तर्गत आजादी की लड़ाई में हुए शहीदों की यादगार में शहीद स्मारक निर्माण संबंधी संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय उपस्थित नहीं हैं, चूंकि श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय उपस्थित नहीं हैं अतः इसको स्थगित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश की सरकारी/अर्धसरकारी एवं वित्त पोषित संस्थाओं की नौकरियों में आरक्षण कोटा न पूरा करना संज्ञेय अपराध माना जाय के सम्बन्ध में संकल्प पर चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य श्री बी० आर० वर्मा उपस्थित नहीं हैं इसलिये इसको भी स्थगित किया जाता है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 11 मार्च, 1992 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 5 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री रवीन्द्र प्रताप की देवरिया की छोटी गण्डक, गोरखपुर के फरेन्द नाला एवं बस्ती की आमी नदी में फैक्टरियों द्वारा जहरीला पानी छोड़ने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। दूसरी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की जनपद फैजाबाद की अकबरपुर तहसील व निकटवर्ती जनपदों के ग्रामवासियों/नगरवासियों द्वारा सहकारी चीनी मिल के लिये जमा कराये अंशधन की ब्याज सहित वापसी या चीनी मिल की स्थापना के बारे में सुस्पष्ट किये जाने के संबंध में है। तीसरी सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की जनपद लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र में नहर के पानी के रिसाव से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। चौथी सूचना श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' की जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौरीखाल एवं कण्डारस्यूं क्षेत्र में पीने के पानी की कमी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है। पांचवीं सूचना श्री मातवर सिंह कण्डारी की जनपद टिहरी गढ़वाल में अधर में लटकी जखोली भीरी मोटर मार्ग के निर्माण कराये जाने के संबंध में है।

इसमें से माननीय रवीन्द्र प्रताप की सूचना को वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है और दूसरी सूचना जो श्री पवन कुमार पाण्डेय की है वह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार की जाती है। अन्य सूचनायें निरस्त की जाती हैं।

मद संख्या 17 की सूचना माननीय बी० आर० वर्मा की थी। वे अनुपस्थित हैं। लेकिन वक्तव्य माननीय मंत्री जी पूरा पढ़ दें।

उत्तर प्रदेश में पी० ए० सी० की भर्ती में पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट न दिये जाने के संबंध में नियम-51 के अन्तर्गत गृह राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग के शासनादेश संख्या–3195/अ/चालीस-रा० एकी०-77(6) (26)/77. दिनांक 8-11-1977 द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश के पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिये राजकीय सेवाओं में निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने के लिये आदेश प्रसारित किये गये थे। बाद में गृह (पुलिस) अनुभाग-10 के शासनादेश संख्या–949/आठ-10-1200 (136)/78. दिनांक 27-2-81 द्वारा पुलिस विभाग के अन्तर्गत कान्सटेबिलो की भर्ती के सम्बन्ध में पिछड़े वर्ग को अनुमन्य आयु में 5 वर्ष की छूट तात्कालिक प्रभाव से समाप्त कर दी गयी।

उक्त निर्णय इस वास्तविकता को दृष्टिगत रखते हुए लिया गया था कि पिछडे वर्ग के अभ्यर्थियों की योग्यता में कोई कमी नहीं है तथा विभाग को शारीरिक रूप से अधिक सक्षम अभ्यर्थी प्राप्त होंगे।

पुलिस बल में यूं भी शारीरिक क्षमता पर अधिक बल दिया जाता है। कान्सटेबिलों की भर्ती पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 15 प्रतिशत के आरक्षण की व्यवस्था पूर्व की भांति बनाये रखी गयी परन्तु उन्हें अनुमन्य आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की आवश्यकता नहीं समझी गयी। इस छूट की समाप्ति के बावजूद उनका प्रतिनिधित्व पर्याप्त है अर्थात उनका कोई अहित नहीं हुआ, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से, अनुवर्ती चयनों के आंकड़ों से भी, स्पष्ट हो जाता है :--

क्र० सं०	वर्ष	कान्सटेबिल पद पर कुल भर्ती की संख्या	पिछड़े वर्ग के चयनित अभ्यर्थियों की संख्या	कुल भर्ती के समक्ष पिछड़ी जाति के चयनित अभ्यर्थियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	1989	3769	821	21.7
2	1990	3497	891	25.4
3	1991	2200	671	30.5

श्री उपाध्यक्ष–

श्री मुन्ना चौहान अनुपस्थित हैं, लेकिन माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री अपना वक्तव्य पढ़ दें।

जनपद देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों के सृजन के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत मा० राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

माननीय विधायक श्री मुन्ना चौहान द्वारा दी गयी सूचना में यह उल्लिखित है कि जनपद–देहरादून में जूनियर प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के लगभग 306 पदों का लम्बे समय से सृजन नहीं हो पाया है। परिणाम स्वरूप जनपद के अनेक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक नहीं हैं। जिस कारण जनपद में कालसी व चकराता विकास खण्डों तथा विकास नगर, सहसपुर, रायपुर व डोईवाला विकास खण्डों के पर्वतीय अंचलों में जूनियर विद्यालय विशेष रूप से प्रभावित हैं। प्रधानाध्याकों के पदों के सृजन से जनपद के विशेष रूप से पर्वतीय अंचलों में अध्यापकों के रिक्त पद भी पदोन्नति द्वारा भरे जा सकते हैं।

2–इस संबंध में माननीय सदन को यह अवगत कराना चाहूंगा कि जनपद-देहरादून में वर्ष 1991-92 तक बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित 772 प्राथमिक विद्यालयों में से 267 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद सृजित नहीं हो सके हैं। उत्तरांचल क्षेत्र के प्रधानाध्यापक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के पदों का सृजन नामक योजना के अन्तर्गत जनपद–देहरादून के उक्त 267 प्रधानाध्यापक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक सहायक अध्यापकों के पदों को अस्थगित करके उनके स्थान पर प्रधानाध्यापक के पद के सृजन के प्रस्ताव पर उत्तरांचल विकास विभाग द्वारा विचार किया गया था, परन्तु चालू वित्तीय वर्ष 1991-92 में उत्तरांचल क्षेत्र के शिक्षा सेक्टर में निर्धारित परिव्यय उपलब्ध न होने के कारण पदों के सृजन की स्वीकृति इस वर्ष नहीं दी जा सकी।

3–माननीय विधायक श्री मुन्ना चौहान द्वारा दी गयी नोटिस में यह भी कहा गया है कि प्रधानाध्यापकों के पद सृजित न होने से देहरादून जनपद के कालसी, चकराता, विकास नगर, सहसपुर,

रायपुर व डोईवाला विकास खण्डों के प्राथमिक विद्यालय विशेष रूप से प्रभावित हैं। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि ब्लैक बोर्ड योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त विकास खण्डों जिसमें देहरादून जनपद के विकास खण्ड सम्मिलित हैं, में स्थित एकल अध्यापकीय प्राथमिक विद्यालयों में एक-एक अतिरिक्त महिला अध्यापिकाओं के पद स्वीकृत किये जा चुके हैं । इस व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में दो अध्यापकों का प्राविधान कर दिया गया है जिसमें ज्येष्ठतम् अध्यापक ही प्रधानाध्यापक के दायित्वों का निर्वहन करता है। विद्यालयों में संयुक्त खाते का परिचालन भी उसी के हस्ताक्षर से होता है । उक्त व्यवस्था के हो जाने से देहरादून जनपद के 267 प्रधानाध्यापक के पद न होने से शिक्षा एवं विद्यालयी प्रशासन व्यवस्था प्रभावित नहीं है। शासन प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं सुदृढ़ करने में सतत् प्रयत्नशील है ।

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के भविष्य निर्वाह निधि का रुपया फर्जी रूप से निकाले जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री का केवल वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष–

माध्यमिक शिक्षा मंत्री की ओर से, माननीय स्वामी नाथ यादव के द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, केवल वक्तव्य निर्धारित था । माननीय मंत्री जी यह बता दें कि क्या वक्तव्य तैयार है ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अमर नाथ यादव)–

जी हां, मान्यवर, तैयार है ।

श्री उपाध्यक्ष–

इसकी प्रतियां हमारे सचिवालय में नहीं प्राप्त हुई हैं।

वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, इसमें कहीं चूक हो गयी है। अगर आप अनुमति दें, तो ये पढ़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वक्तव्य की प्रतियां अभी-अभी प्राप्त हुई हैं, इसकी प्रतियां वितरित करवा दी जायं ।

(वक्तवय की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री अमर नाथ यादव–

मान्यवर, गोरखपुर मण्डल के जनपद देवरिया के अशासकीय सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सामन्य भविष्य निर्वाह निधि से गबन एवं घोटाले की शिकायत गोरखपुर के ''दैनिक जागरण'' समाचार पत्र में दिनांक 23-8-1991 तथा 28-8-1991 को प्रकाशित हुई थी । माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने भी दिनांक 4-9-1991 तथा 11-9-1991 को इसकी लिखित शिकायत की ।

2–प्रकरण की प्रारम्भिक जांच हेतु संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) को देवरिया जनपद भेजा गया तथा निदेशालय के आडिट अनुभाग से आडिट पार्टी भी जांच करने हेतु भेजी गयी ।

3–संयुक्त शिक्षा निदेशक (अर्थ) ने दिनांक सितम्बर 17 एवं 18. 1991 को जांच की तथा आडिट पार्टी ने 1-4-90 से 31-8-91 तक की अवधि के लेखों का आडिट दिनांक 6-9-1991 से 13-9-1991 तक पुनः दिनांक 9-10-1991 से 16-10-1991 तक की अवधि के मध्य किया । जिला विद्यालय

निरीक्षक, देवरिया सम्बन्धित प्रधानाचार्य, आडिट आख्या तथा संयुक्त निदेशक (अर्थ) की जांच से देवरिया जनपद के निम्न तीन विद्यालयों के अध्यापकों/कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि से रु० 13,91,274.00 के गबन की स्थिति प्रकाश में आयी तथा जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रामपुर अवस्थी, देवरिया में रु० 24,000 के दोहरे भुगतान की स्थिति भी प्रकाश में आयी है :--

1–महन्त त्रिवेणी पर्वत इ० का०, विशुनपुरा बाजार, देवरिया	रु० 6,97,974.00
2–इण्टर कालेज, जौरा बाजार	रु० 5,36,300.00
3–सत्य प्रकाश विवेकानन्द इण्टर कालेज, मुसहरी, देवरिया	रु० 1,57,000.00
योग ..	13,91,274.00

4–जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया ने तत्समय गबन के संबंध में दिनांक 21-8-1991 तथा दिनांक 28-8-1991 को पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी । जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सम्बन्धित लिपिक श्री राजवंशी प्रसाद तथा श्री रामाधार प्रसाद को निलम्बित किया जा चुका है तथा श्री विष्णु देव का स्थानान्तरण कर दिया गया है । जिला विद्यालय निरीक्षक को 9-11-91 को जनपद के समस्त सहायता प्राप्त विद्यालयों के सामान्य भविष्य निर्वाह निधि खातों की जांच करने के आदेश दिये गये थे । शिक्षा निदेशालय द्वारा भी दिनांक 26-11-1991 को जिला विद्यालय निरीक्षक, देवरिया को भविष्य निर्वाह निधि लेखों को पूर्ण कराने एवं 1986-87 से 1990-91 तक का सत्यापन कोषागार से कराने के निर्देश दिये जा चुके हैं।

5–मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस गबन के मामले में पाये गये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध नियमान्तर्गत कार्यवाही की जायेगी । आरोप पत्र बनाने के निर्देश भी विभाग को दिये जा चुके हैं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, यह देवरिया से सम्बन्धित प्रकरण है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिये मुझे प्रश्न करने की अनुमति दे दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार था । इसमें प्रश्न करने की अनुमति नहीं दी जाती है ।

जनपद आगरा के फतेहाबाद में बाईपास निर्माण में किसानों की अधिग्रहीत भूमि का प्रतिकर न दिये जाने के संबंध में नियम–47 के अन्तर्गत चर्चा का व्यपगत होना

श्री उपाध्यक्ष–

नियम–47 के अन्तर्गत श्री विजय पाल सिंह ने सूचना दी थी और उस पर आधे घण्टे की चर्चा स्वीकार हुई थी । माननीय सदस्य उपस्थित नहीं हैं, इसलिये यह व्यपगत हुआ ।

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 1 बजकर 15 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
11 मार्च, 1992

नत्थी 'क'

(देखिये अता० प्र० सं० 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37–38 पर)

संलग्नक

मद	1/91	2/91	3/91	4/91	5/91	6/91	7/91	8/91	9/91	10/91	योग
पंखा बत्ती											
प्राप्त आवेदन-पत्र	56	06	205	54	12	--	50	22	53	44	502
दिये गये कने-क्शनों की सं० ।	52	06	144	65	28	12	21	36	35	53	452
नलकूप											
प्राप्त आवेदन पत्र	17	05	31	--	--	22	--	08	--	07	90
दिये गये कने-क्शनों की सं० ।	04	10	17	03	--	04	09	12	05	05	69
उद्योग											
प्राप्त आवेदन पत्र	--	02	03	--	--	05	--	--	--	--	10
दिये गये कने-क्शनों की सं० ।	--	--	--	02	--	01	02	03	02	--	10

नोटः–दस कनेक्शन माह 11/91 में दिये गये ।

नत्थी 'ख'

(देखिये अता० प्र० सं०–34 का उत्तर पीछे पृष्ठ 41 पर)

विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के दूसरे बुधवार के अता० प्रश्न सं०–३४ का संलग्नक

अनुसूचित जाति के खेतों में कराये गये कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्र० सं०	वर्ष	ग्राम का नाम	कृषक का नाम	कार्य विवरण		सृजित मानव दिवस
1	2	3	4	5		6
1	1989-90	अमलोर	परसन आदि	जी० पी० सं० 60-ए		122
2	1990-91	..	बिदुरा, धोबीलाल	,,	-57-सी	338
3	..	..	मतैया, गया प्रसाद	,,	166	156
4	..	..	सन्ता, अनन्ता	,,	60बी	161
5	..	..	बिदुरा, धोबीलाल	,,	58बी	109
6	..	..	बुल्ली, कलुआ	,,	110	265
7	..	खरेही	नौरंग, कुबरा	,,	-6	384
8	..	..	कुबरा आदि	,,	8	117
9	..	..	कामता, कुबरा	,,	7	98
10	..	..	कुंवरा आदि	,,	4	146
11	..	खपटिहा	प्रताप	,,	11	335
12	..	अमरइया	कल्लू, श्रीपाल	,,	1	128
					योग	२३५९

नत्थी 'ग'

(देखिये अता०प्र०सं० 63 का उत्तर पीछे पृ० 53–54 पर)

जनपद उन्नाव में ऊर्जीकरण के उपरान्त असफल नलकूपों का विवरण

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	कूप संख्या व समूह	असफल होने का कारण
1	सिकन्दरपुर सरौसी	खटईखेड़ा	4 यू० जी०	खारा पानी
2	तदैव	सिलौली गढ़ी	8 यू० जी०	खारा पानी
3	तदैव	चिलौला	6 यू० जी०	–
4	तदैव	सरौसी	9 यू० जी०	–
5	तदैव	मरौदा	27 यू० जी०	–
6	सिकन्दरपुर करन	सिकन्दरपुर	14 यू० जी०	खारा पानी
7	तदैव	वन्थर	12 यू० जी०	–
8	फतेहपुर चौरासी	दोस्तपुर रोली	10 यस० जी०	खारा पानी
9	तदैव	शेरपुर अछेहा	16 एस० जी०	खारा पानी
10	सफीपुर	सरांय सकरन	13 एस० जी०	–
11	मियांगंज	फिरोजपुर	5 एच० जी०	नहर कमाण्ड
12	तदैव	कोटरा	28 एच० जी०	–
13	तदैव	कमलापुर	33 एच० जी०	–
14	नवाबगंज	रूद्रवारा	11 एच० जी०	खारा पानी
15	तदैव	आशाखेड़ा	13 एच० जी०	खारा पानी
16	तदैव	चमरौली	6 एच० जी०	–
17	हिलौली	रजवाड़ा	20 पी० जी०	खारा पानी
18	असोहा	पाठकपुर	31 पी० जी०	खारा पानी
19	तदैव	चोमाई	12 पी० जी०	–
20	तदैव	पाठकपुर–1	53 पी० जी०	–
21	तदैव	पाठकपुर–2	54 पी० जी०	–
22	तदैव	विलौरा	49 पी० जी०	–

नत्थी 'घ'

(देखिये अता०प्र०सं० 103 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

मिनिस्ट्रीरियल इस्टेब्लिशमेंट ऐसोसियेशन कार्यालय, प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उ० प्र० की समस्याओं के निराकरण के संबंध में विशेष सचिव (श्री रणवीर आहूजा) के कक्ष में दिनांक 6-12-90 को हुई बैठक का कार्यवृत्त

मांग	लिया गया निर्णय
1–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय का पुनर्गठन ।	1–प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के कार्यालय के पुनर्गठन के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियन्ता सूचना एकत्र कर शासन को उपलब्ध करा देंगे ।
2–वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन ।	2–यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियन्ता मंडल/खण्डों से सूचना एकत्र कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध करायेंगे ।
3–वरिष्ठ लिपिकों के पदों पर सीधी भर्ती को समाप्त करना ।	3–यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियंता से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर निर्णय लिया जाय। साथ ही सेवा नियमावली बनाये जाने के संबंध में प्रमुख अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमावली में भी उक्त बिन्दु को समाविष्ट किये जाने पर विचार किया जाय ।
4–मुख्य अभियंता, ऊपरी गंगा नहर आधुनिकीकरण (विश्व बैंक), अलीगढ़ परियोजना, लेखा अनुभाग, प्रमुख अभियंता कार्यालय, लखनऊ इण्डोडच अनुभाग में स्वीकृत वरिष्ठ सहायक के समान तथा कार्यालय अधीक्षक के स्थान पर प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन ।	4–प्रमुख अभियंता से प्रस्ताव प्राप्त हो गया है, सिंचाई अनुभाग–8 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी ।
5–प्रमुख अभियंता कार्यालय/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता कार्यालय के गैर तकनीकी कार्य वाले अनुभागों का कार्य वैयक्तिक सहायक (अनुसचिवय) से लिया जाना ।	5–यह निर्णय लिया गया कि प्रमुख अभियंता कार्यालय को पत्र लिख कर प्रस्ताव मांगा जाय ।
6–कार्यालय अधीक्षक स्तर–2 वर्षवार रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर सेवा नियमावली के अनुसार प्रमुख अभियंता कार्यालय के वरिष्ठ सहायकों की प्रोन्नति ।	6–कार्यालय अधीक्षक स्तर–2 पर वर्षवार रिक्त पदों के 50 प्रतिशत पदों पर वरिष्ठ सहायकों की प्रोन्नति किये जाने के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इस प्रस्ताव का शासन स्तर पर नियम (17)(1) के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जाय ।

मांग	लिया गया निर्णय
7–प्रमुख अभियंता कार्यालय में सम्बद्ध स्वीकृत कार्यालय अधीक्षक स्तर–2 के पदों का प्रशासनिक अधिकारियों के पदों में उच्चीकरण ।	7–यह निर्णय लिया गया कि अपेक्षित सूचना तथा प्रस्ताव का पूर्ण औचित्य शासन को उपलब्ध करायें ।
8–चिकित्सालय का निर्माण ।	8–चिकित्सालय विभाग की राय को देखते हुए प्रमुख अभियंता पुनः प्रस्ताव शासन को भेजेंगे ।
9–वेतनमानों का पुनरीक्षण ।	9–वेतनमान पुनरीक्षण के संबंध में सिंचाई अनुभाग–8 द्वारा कार्यवाही तत्परता से की जायेगी ।

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 106 का उत्तर पीछे पृष्ठ 67-68 पर)

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि० इकाई देवरिया ।

कार्यालय आदेश संख्या ए पी पी टी टी/हेयर्स/सरकु०/76. दिनांक 19 मार्च, 1988 द्वारा निम्नलिखित 81 मजदूरों की अकुशल श्रेणी में नियुक्ति की गयी है जो दिनांक 21-3-88 से प्रभावी है :-

क्र० सं०	कर्मचारी का नाम	पिता का नाम	पदनाम	ग्राम	पो०	जिला
1	2	3	4	5	6	7
1.	श्री सूर्यनाथ	श्री रामबली	अकुशल मजदूर	बेलवा बाजार	बेलवा बाजार	देवरिया
2.	.. कमला	,, पूजा	,,	बड़का हथौड़ा	हुसैनगंज	सिवान
३.	,, चन्दर	,, बब्बन	,,	दुबे का अमवा	महेशपुर	गोपालगंज
4.	.. रामभरोसा	,, छत्तर	,,	ललिया धतूराखास	बौडी तिवारी	देवरिया
5.	.. सत्यदेव शर्मा	,, लोकनाथ	,,	लाला मुडेरा	गोविन्दपुर	देवरिया
6.	.. ओम प्रकाश विश्वकर्मा	,, राजबली	,,	रजला (देवरिया खास)	देवरिया	देवरिया
7.	.. जगदीश	,, पूजन	,,	गोरया	सोहनपुर	देवरिया
8.	.. सुरेश	,, तपेशर	,,	बोडिया अनन्त	जी० आई० स्टेट देवरिया	देवरिया
9.	.. सच्चिदानन्द मिश्र	,, दुक्खी	,,	परतिया करकटही	बैकुण्ठपुर	देवरिया
10.	.. कमरुद्दीन	,, सैयद	,,	मझगांवा	मझगांवा	देवरिया
11.	,, रसूल	,, सूभान	,,	रजला (देवपुर)	देवरिया	देवरिया
12.	.. श्यामबदन प्रसाद	,, मौल	,,	पुरना छापर	भटनी	देवरिया
13.	.. रामहित यादव	,, कवलेश्वर	,,	भगुआ (विजय नगर)	सिरजम	देवरिया
14.	.. जगदीश सिंह	,, रामचन्दर	,,	बोडिया अनन्त	जी आई स्टेट देवरिया	देवरिया
15.	.. मकबूल हसन	,, रफीक	,,	मझगांवा	मझगांवा	देवरिया
16.	.. श्रीकृष्ण यादव	,, जगपाल	,,	धोबीछापर	खुखुन्दु	देवरिया
17.	.. धरभरन	,, चौथी	,,	नौगावा	गौरीबाजार	देवरिया
18.	,, निलेश्वरमणि	,, विरेश्वरमणि	,,	देवरिया खास	देवरिया	देवरिया
19.	,, रामविलास	,, पूर्णवासी	,,	विजईपुर	विजईपुर	देवरिया
20.	,, पीताम्बर दुबे	,, चन्द्रदेव	,,	दुबे बभनी	गडेर	देवरिया

1	2	3	4	5	6	7
21.	श्री समसुदीन	श्री अमीर अली	अकुशल मजदूर	बघडा महुआरी	बघडा महुआरी	देवरिया
22.	,, रामनगीना सिंह	,, राजाराम	,,	मूड़ाडीह	देवरिया	देवरिया
23.	,, रामइन्दल	,, ठग	,,	पुरवां	देवरिया	देवरिया
24.	,, किशुन	,, बन्हु	,,	बेलकुड़ा	बेलकुड़ा	देवरिया
25.	,, रामाकान्त	,, रामबेलाश	,,	भोजवली	देवरिया	देवरिया
26.	,, जगदीश	,, रामानन्द	,,	बरवाजंगल	दलीपनगर	देवरिया
27.	,, हरिओम विश्वकर्मा	,, रामरतन	,,	बघाड महदेवा	चौरीचौरा	गोरखपुर
28.	,, गिरधारी	,, बंशराज	,,	गुड़री	बैतालपुर	देवरिया
29.	,, महेन्दर	,, तुफानी	,,	देवरिया खास	देवरिया	देवरिया
30.	,, महेन्दर	,, जदुनन्दन	,,	पिपरादेवराज	भटनी	देवरिया
31.	,, राजाराम	,, राजनाथ	,,	गुड़री	बैतालपुर	देवरिया
32.	,, भूमूगुर	,, रघुपति	,,	बेलवनिाया	बरियारपुर	देवरिया
33.	,, श्रीकान्त	,, मुन्नर	,,	कुरमीटोला	देवरिया	देवरिया
34.	,, परमहंश	,, मानकी	,,	भोजवली	देवरिया	देवरिया
35.	,, द्वारिका नाथ	,, फणीश्वरमणि	,,	देवरिया खास	देवरिया	देवरिया
36.	,, बेचन	,, जमुना	,,	रजला	देवरिया	देवरिया
37.	,, गब्बू लाल	,, सुखदेव	,,	देवरिया खास	देवरिया	देवरिया
38.	,, मुरलीधर पाण्डे	,, महादेव पाण्डे	,,	लखिमा	लखिमा	गोरखपुर
39.	,, विष्णुदेव सिंह	,, लक्ष्मी सिंह	,,	भुजौली	देवरिया	देवरिया
40.	,, योगेन्दर यादव	,, रामदरस	,,	पिपराशुक्ल	बैकुंठपुर	देवरिया
41.	,, रामसवारे	,, रामदीन	,,	बिलारीटोलामठिया	सरदारनगर	गोरखपुर
42.	,, काशीनाथ सिंह	,, बद्रीनरायन सिंह	,,	उड़ियानपुर	अकोल्ही	सिवान
43.	,, जोखन यादव	,, परमेश्वर	,,	देवरियाखास	देवरिया	देवरिया
44.	,, जगदीश प्रसाद	,, सुन्दर	,,	पुरवां	देवरिया	देवरिया
45.	,, पुजारी	,, गुल्जार	,,	गुड़री	बैतालपुर	देवरिया
46.	,, अदालत	,, परसन	,,	पिपरादेवराज	भटनी	देवरिया
47.	,, कौशल	,, रामअशिष	,,	इटहरामिश्र	लारोड	देवरिया
48.	,, रामसिंह	,, चोकट	,,	कुरमीटोला	देवरिया	देवरिया

1	2	3	4	5	6	7
49.	श्री रामप्रीत	श्री शिवमंगल	अकुशल मजदूर	पकड़ीबुजुर्ग	बेलवाबाजार	देवरिया
50.	,, सुरेश पाण्डे	,, शंकर पाण्डे	,,	चन्दौली	लच्छीफुलवरिया	देवरिया
51.	,, मुक्तीनाथ	,, विभूति	,,	महदेवाबाजार	रामपुर कारखाना	देवरिया
52.	,, रामबडाई प्रसाद	,, शिवजी	,,	महुवारी पूरबटोला	उरवई	सिवान
53.	,, रामध्यान	,, झूरी	,,	करकटहीपरसियां	बैकुण्ठपुर	देवरिया
54.	,, प्रेमचन्द	,, रामदेव	,,	कन्डावल हरी	लाररोड	देवरिया
55.	,, अमरनाथ	,, अछैवर	,,	धर्मखोरबाबू तिवारीटोला	घांटी	देवरिया
56.	,, अनिरुद्ध	,, रामदास	,,	रामनाथ देवरिया	देवरिया	देवरिया
57.	,, आसकरन दूबे	,, चन्द्रमा	,,	पोखरभिन्डा	लाहिलपार	देवरिया
58.	,, जितेन्द्र सिंह	,, बेचूं सिंह	,,	डेहरी	सतराव	देवरिया
59.	,, कैलाश	,, बेचन	,,	मानू बरवां	मड़कड़ा	देवरिया
60.	,, उदयभान यादव	,, झगरू	,,	परसिया करकटही	बैकुण्ठपुर	देवरिया
61.	,, कोकिल	,, सूबेदार	,,	बांसपार बाजार	लाहिलपार	देवरिया
62.	,, सुरेन्द्र लाल श्रीवास्तव	,, रामसिंहासन	,,	रामपुर खुर्द	भेलही खास	गोपालगंज
63.	,, परशुराम	,, भागीरथी	,,	बगहाचौरी	बाटाबलुवाडीह	देवरिया
64.	,, सुभाषचन्द्र पाण्डे	,, श्रीराम पाण्डे	,,	बारीपुर	गडेर	देवरिया
65.	,, रामदरस	,, इन्द्रासन	,,	बाबू बन्ही	भेगांरी बाजार	देवरिया
66.	,, सूरज प्रसाद	,, जागेशर	,,	ठाकुरपुर	बरनई	देवरिया
67.	,, नेबूलाल	,, रामधारी	,,	बसडीला	बउड़ी	देवरिया
68.	,, रामदास	,, रामजीतं	,,	इटवा	सिरजग	देवरिया
69.	,, जवाहिर यादव	,, जमुना	,,	परसिया करकटही	बैकुण्ठपुर	देवरिया
70.	,, समसुद्दीन	,, सुलेमान	,,	रजला	देवरिया	देवरिया
71.	,, अभिमन्यू	,, छेदी	,,	रामनाथदेवरिया	देवरिया	देवरिया
72.	,, श्यामलाल	,, राजधारी	,,	लक्ष्मीपुर	लक्ष्मीपुर	देवरिया
73.	,, नेबुलाल	,, भुआल	,,	सूरजपुरा	बलिगवा	देवरिया
74.	,, मेवालाल	,, रामसुभग	,,	धतूराखास टोला ललिया	बउडी	देवरिया

1	2	3	4	5	6	7
75.	श्री नर्वदेश्वर मिश्र	श्री रामनरेश	अकुशल मजदूर	जंगलठकुरही	बढयाबुजुर्ग	देवरिया
76.	,, छेदी	,, रमेशर		केसरीपुर	तरकुलवा	देवरिया
77.	,, शम्भू नाथ	,, भगवान	,,	रामलीला मैदान	देवरिया	देवरिया
				राधानगर देवरिया		
78.	,, रामभजन	,, निरंजन	,,	बिशुनपुरा	बैतालपुर	देवरिया
79.	,, चन्द्रभान	,, रामजी	,,	रजला बरईटोला	देवरिया	देवरिया
80.	,, प्रह्लाद	,, कचौड़ीलाल	,,	रेलवे स्टेशन रोड	देवरिया	देवरिया
81.	,, देवेन्द्र कुमार गुप्त	,, गौरीशंकर	,,	मालवीय रोड	देवरिया	देवरिया
				देवरिया।		

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं०–110 का उत्तर पीछे पृष्ठ 69 पर)

संलग्नक ''क''

वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु चयनित ग्रामों की सूची विद्युत वितरण खण्ड मिर्जापुर (मिर्जापुर जनपद)

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना
1.	छानवे	खभ्भनपुर	आर० एन० पी०
2.		बखटा	,,
3.		अखवां.	,,
4.		आराजी चेंहरा	,,
5.		चिखौली	,,
6.	लालगंज	लालापुर	
7.		खैरा कला	
8.		रेंही	
9.		बसही कला	
10.		रामपुर खामेर	
11.		कोठी	
12.		गहटा कला	
13.	हलिया	कोटार नाना	
14.		परलिया	
15.		मझवा धनावल	
16.		बिलरा पहेहटा (ह० ब०)	
17.		नौनावा	
18.	नरायनपुर	जमुई	
19.		बंगला देवरिया	
20.		खिटौडी	
21.		देवलांसी	
22.		रजौली	
23.		बलसइया	

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना
24.	नरायनपुर	रसूलगंज	
25.	जलालपुर.	खगिजीपुर	
26.		हिनौली काफी	
27.		कैमारसूलपुर	
28.		भभौटी	
29.		लोढवा	
30.		करंजी	
31.	राजगढ़	चकसरिया	
32.		दरियापुर	
33.		नुआंव	
34.		लालपुर	
35.		रेकरी	
36.	नगर	सडवा	
37.		भवैया	
38.		सिनहरदीक्षित	
39.		जिमनौड़ी	
40.		हरिहरपुर बेदौली	
41.		सिरसी बघेल	
42.		दुल्लहपुर	
43.	पहाड़ी	जिवरी	
44.		मिलगो	
45.		चन्द्रिका	
46.		नान्हूपुर	
47.		पडरी से डाटीराम ग्राम लडिल 10 कि०मी०	
48.		लौकापुर	
49.	मड़िहान	रैकरा	
50.		हरहीखुर्द	

क्रमांक	विकास खण्ड	ग्राम का नाम	योजना
51.	मड़िहान	गुलालपुर	
52.		मेघईभीर	

सोनभद्र जनपद के चयनित ग्रामों की सूची वर्ष 1991-92 में विद्युतीकरण हेतु संलग्नक "ख"

क्रमांक	ब्लाक	ग्राम का नाम
1.	राबर्ट्सगंज	कुम्हारडीह
2.		भरूहा
3.		पीथा
4.		मझगांव
5.		घेउरी
6.		बेलच
7.		सहदेइया
8.		घुरमा
9.	घोरावल	बहेरी
10.		परही
11.		सिरीसिया जेठी
12.		गेरठ
13.		सिरसिया ठकुराई
14.		देवरी खुर्द
15.		फुलवारी
16.		मगेहरी
17.		कसहरा
18.	चतरा	सोपरी
19.		चवइल
20.		छतेहरी
21.		किचार
22.		टेकार
23.		बकवार

24.	नगवा	कुभ्हरिया
25.		सियारिया
26.	दुद्धी	सलयाडीह
27.		घुमा
28.		पिपरीडीह
29.	म्योरपुर	अंरगवानी
30.		पिपरहर
31.	चोपन	घोटहटा
32.		घघिया
33.	बभनी	भवर
34.		अरझट
35.	दुदंधी	बोम

प्रेषित महा
उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये अता० प्र० सं० 142 का उत्तर पीछे पृष्ठ 85 पर)

उन कर्मचारियों की सूची जिन्हें टाइप-II आवास उपलब्ध कराये जा चुके हैं : (आपरेटिंग कर्मचारी) संलग्नक

क्र०स०	नाम	पद	परियोजना पर नियुक्ति का दिनांक	आवास संख्या
1	2	3	4	5
1.	श्री चिरंजी लाल	टेक्नीशियन	6-10-62	II 139/28
2.	,, राम दास	आपरेटर ग्रेड-II	1-10-67	II 156/32
3.	.. राम प्रसाद	तदैव	12-2-68	II 63/11
4.	.. रामजी लाल वर्मा	तदैव	11-11-60	II 302/69
5.	.. गजेन्द्र पाल सिंह	तदैव	1-11-68	II 256/57
6.	.. बाल किशन नारायण	आपरेटर ग्रेड-I	1-11-68	II 78/74
7.	.. धर्मपाल सिंह	आपरेटर ग्रेड-II	1-11-68	II 264/59
8.	.. किशोरी लाल	टेक्नीशियन ग्रेड-II	1-4-67	II 76/12
9.	.. सूरज पाल सिंह	आपरेटर ग्रेड–II	1-4-69	II 337/78
10.	.. बिजेन्द्र पाल जोशी	तदैव	10-6-69	II 297/68
11.	.. आर० सी० वर्मा	टेक्नीशियन ग्रेड-I	26-12-69	II 216/47
12.	.. सुरेन्द्र सिंह	वेल्डर-I	2-1-70	II 80/14
13.	.. दयानन्द शर्मा	आपरेटर ग्रेड-II	1-3-70	II 268/60
14.	.. राधेश्याम सिंह	तदैव	5-9-70	II 170/23
15.	.. वी० सी० पाल	तदैव	23-8-72	II 36/6
16.	.. वासुदेव गुप्ता	तदैव	25-2-73	II 276/62
17.	.. कंछीलाल	तदैव	1-3-73	II 23/4
18.	.. जय नारायण शर्मा	जूनियर इलेक्ट्री०	1-1-74	II 331/76
19.	.. देवेन्द्र सिंह सिसौदिया	सहायक भंडार	3-7-76	II 296/67
20.	.. दिनेश चन्द्र जोशी	आपरेटर ग्रेड-II	30-4-77	II 334/

मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी

1	2	3	4	5
21.	शेर सिंह	दै० श्रे० लिपिक	1-8-77	II 180/38
22.	.. एम० पी० कुलश्रेष्ठ	तदैव	1-9-73	II 271/65
23.	.. किशन कुमार अग्रवाल	तदैव	2-2-74	II 164/34
24.	.. उमेश कुमार	तदैव	6-3-74	II 275/62
25.	.. सुरेश चन्द्र शर्मा	तदैव	15-4-77	II 335/77
26.	.. रमेश चन्द्र गुप्ता	अ० नै० एंड डी०	13-5-77	II 292/66
27.	.. महेश चन्द्र अग्रवाल	तदैव	17-5-77	II 255/54

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं०-143 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

कर्मचारियों का विवरण

क्र०सं०	नाम	पद नाम	परियोजना की नियुक्ति दिनांक
	सर्वश्री		
1.	अशोक कुमार शर्मा	टंकक	12-1-76
2.	ख्याली राम शर्मा	आ० ग्रे०-II	31-12-85
3.	सत्यवीर सिंह	तदैव	31-12-85
4.	पंजाब सिंह	तदैव	1-4-69
5.	संदीप कुमार	हेल्पर	1-8-86
6.	विजेन्द्र कुमार जैन	आ० ग्रे०-II	10-6-79
7.	के० पी० सिंह	तदैव	6-7-84
8.	बाल किशन शर्मा	आर० जी० सी०	9-9-74
9.	सुरेन्द्र सिंह	आ० ग्रे०-II	1-8-73
10.	श्रीमती रंजनी सिंह	अध्यापिका	4-4-88
11.	महावीर सिंह	सिपाही	7/87
12.	उत्तम सिंह	क्रेन ड्राईवर	1-11-69
13.	ओम प्रकाश शर्मा	ड्राईवर	7-1-81
14.	अनिल कुमार	आपरेटर ग्रेड-II	1-6-91

नत्थी 'ग्र'

(देखिये अता० प्र० सं०–165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 96 पर)

हरदुआगंज तापीय विद्युत परियोजना, कासिमपुर (अलीगढ़) में वर्तमान में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी (मस्टर-रोल) कर्मचारियों के नाम, पदनाम तथा तिथि जब से वह कार्यरत हैं, का विवरण

क्र०सं०	मस्टर रोल कर्मचारी का नाम	तिथि जब से कार्यरत हैं	पद नाम	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1.	अलानूर	1-12-73	वैल्डर तथा गैस कटर	
2.	श्याम लाल (पिछड़ी जाति)	1-4-74	वैल्डर कम-फिटर	
3.	मोहम्मद प्यारे खां	28-8-74	वैल्डर/गैस कटर	
4.	सन्तोष कुमार (चौहान)	2-9-74	वैल्डर	
5.	भजन सिंह	1-3-75	गैस कटर	
6.	नरसिंह प्रसाद	11/75	गैस कटर.वैल्डर	
7.	राजेन्द्र सिंह	1-2-74	वर्क अटेन्डेंट	
8.	स्वतंत्र बहादुर सक्सेना	15-6-74	वर्क अटेन्डेंट	
9.	बीर सिंह सिसौदिया	1-1-75	वर्क अटेन्डेंट	
10.	शिशुपाल सिंह	1-1-76	वर्क अटेन्डेंट	
11.	विजय पाल सिंह रावत	1-9-76	वर्क अटेन्डेंट	
12.	दया शंकर	1-1-73	वर्क मुंशी	
13.	दलवीर सिंह	1-4-73	वर्क मुंशी	
14.	श्याम सुन्दर	1-2-75	वर्क मुंशी	
15.	धनेश शर्मा	4/75	वर्क मुंशी	
16.	क्षत्रपाल (अनु० जाति)	1-5-75	वर्क मुंशी	
17.	देव दत्त सिंह	16-12-76	वर्क मुंशी	
18.	सन्तोष कुमार शर्मा	1-11-77	वर्क मुंशी	
19.	राज भान सिंह	1-2-78	वर्क मुंशी	
20.	होम दत्त शर्मा	2-4-74	स्टोर मुंशी	
21.	कृष्ण कुमार	14-4-74	स्टोर मुंशी	
22.	सुरेन्द्र पाल सिंह	29-4-74	स्टोर मुंशी	
23.	हरीश श्रीवास्तव	5-5-74	स्टोर मुंशी	
24.	शिव श्याम शुक्ल	25-5-74	स्टोर मुंशी	
25.	रुस्तम सिंह चौहान	1-7-74	स्टोर मुंशी	
26.	महावीर प्रसाद शर्मा	1-7-74	स्टोर मुंशी	

1	2	3	4	5
27.	सर्वश्री रईस अहमद	15-7-74	स्टोर मुंशी	
28.	बच्चन सिंह	1-10-74	स्टोर मुंशी	
29.	राम वीर शर्मा	1-11-74	स्टोर मुंशी	
30.	रोशन लाल शर्मा पुत्र श्री नरायन दास	1-1-75	स्टोर मुंशी	
31.	किशन प्रकाश	1-3-75	स्टोर मुंशी	
32.	रोशन लाल पुत्र बहोरी लाल	8/75	स्टोर मुंशी	
33.	योगेश कुमार दीक्षित	1-9-75	स्टोर मुंशी	
34.	ओम प्रकाश गोविल	20-2-76	स्टोर मुंशी	
35.	रजनीश कुमार दीति	1-7-76	स्टोर मुंशी	
36.	एम० ए० खान	1-9-76	स्टोर मुंशी	
37.	भूप सिंह (अनु० जाति)	4-9-76	स्टोर मुंशी	
38.	बाबू खां	1-8-74	फिटर	
39.	कैलाश प्रसाद गुप्ता	22-8-74	फिटर	
40.	कुंवर पाल सिंह	1-9-74	फिटर	
41.	यतीश कुमार	1-9-74	फिटर	
42.	मानिक चन्द्र	1-10-74	फिटर	
43.	किशन लाल सिंह	1-3-76	फिटर	
44.	मही लाल शर्मा	1-4-76	फिटर	
45.	अफसर हुसैन	10-8-76	फिटर	
46.	रामवीर सिंह (पिछड़ी जाति)	1-3-77	फिटर	
47.	राम पाल सिंह (पिछड़ी जाति)	1-3-77	फिटर	
48.	डी० थामस	15-5-78	फिटर	
49.	क्षत्र पाल	1-1-80	फिटर	
50.	मोहन लाल	1-5-78	कुशल श्रमिक	इन दोनों कर्मचारियों का नियमितीकरण यद्यपि कानपुर जोन में हो चुका है तथापि श्री मोहन लाल एक दुघर्टना में घायल होने के कारण अभी भी इसी परियोजना पर हैं तथा श्री सोलंकी माननीय न्यायालय के स्थगन आदेशों के कारण यहीं कार्यरत हैं।
51.	विनोद कुमार सोलंकी	1-8-78	कुशल श्रमिक	

1	2	3	4	5
52.	सर्वश्री मकदूम अली	14-9-74	ड्राईवर	
53.	गया प्रसाद	1-1-75	डाईवर	
54.	लाल सिंह (पिछड़ी जाति)	1-12-75	ड्राईवर	
55.	अरुण कुमार	1-1-76	ड्राईवर	
56.	पूरन सिंह	19-4-77	ड्राईवर	
57.	प्रताप सिंह	30-12-77	ड्राईवर	
58.	यादराम	विवादित	ड्राईवर	

सत्यमेव जयते